खण्ड–15, अंक–05
सोमवार, 13 चैत्र, शक संवत् 1928
(03 अप्रैल, 2006 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2006)

(खण्ड 15 में 10 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय, (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2006

मूल्य :

विषय	पृष्ठ संख्या
राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)	164–170
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं — —	170
लम्बे समय से "उत्तरांचल" शब्द से पंजीकृत संस्थाओं का नवीनीकरण न होने से गैर सरकारी संस्थाओं को कार्य में हो रही परेशानी के सम्बन्ध में वन एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य —	170–171
उत्तरांचल राज्य के समस्त विद्यालयों में वर्ष 2004–2005 से सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम लागू होने से वाणिज्य, कृषि तथा कला विषय वैकल्पिक बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य — —	171–172
नत्थी "क" — —	173

"क"

उपस्थिति

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अनिल नौटियाल
3–डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्री अरविन्द पाण्डे
5–श्रीमती आशा देवी
6–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7–श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8–श्री काशी सिंह ऐरी
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री कैलाश शर्मा
11–श्री कौल दास
12–श्री गगन सिंह
13–श्री गोपाल सिंह राणा
14–श्री गोविन्द लाल
15–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
16–श्री चन्द्रशेखर
17–श्री जोत सिंह
18–श्री तसलीम अहमद
19–श्री तिलक राज बेहड़
20–श्री तेजपाल सिंह रावत
21–श्री दिनेश अग्रवाल
22–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
23–श्री नव प्रभात
24–श्री नारायण दत्त तिवारी
25–श्री नारायण पाल
26–श्री नारायण राम आर्य
27–श्री नारायण सिंह जंतवाल
28–काजी निजामुद्दीन
29–श्री प्रकाश पंत
30–डा० प्रताप बिष्ट
31–श्री प्रदीप टम्टा
32–श्री प्रीतम सिंह
33–श्री प्रीतम सिंह पंवार
34–श्री प्रेमानन्द महाजन
35–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
36–श्री फूल सिंह बिष्ट
37–श्री बलवीर सिंह नेगी
38–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
39–श्री बिशन सिंह चुफाल
40–श्री भगत सिंह कोश्यारी
41–श्री मदन कौशिक
42–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
43–श्री महेन्द्र भट्ट
44–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
45–श्री मातबर सिंह
46–श्री माल चन्द्र
47–चौ० यशवीर सिंह
48–श्री रणजीत सिंह
49–श्री राम प्रसाद टम्टा
50–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
51–श्री शूरवीर सिंह
52–डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
53–श्री शहजाद
54–श्री साधू राम
55–श्री सुबोध उनियाल
56–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
57–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
58–श्री सुरेश चन्द
59–श्री हरबंस कपूर
60–श्री हरभजन सिंह चीमा
61–श्री हरीदास
62–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
63–श्री हीरा सिंह बिष्ट
64–श्री हेमेश खर्कवाल
65–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 03 अप्रैल, 2006 ई०

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11.00 बजे पूर्वान्हन में अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम 311 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की माँग

(नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह और श्री भगत सिंह कोश्यारी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नारायण पाल-

मान्यवर, किसानों से सम्बन्धित प्रकरण है। इसे हमने 22 तारीख को भी सदन के माध्यम से उठाने का प्रयास किया था..........

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, दो लोग आत्महत्या करने के उद्देश्य से टावर पर चढ़े हैं। बहुत गम्भीर मामला है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री नारायण पाल-

मान्यवर, किसानों का मामला है। आज पूरा तराई भाबर जल रहा है। इस विषय पर चर्चा कराई जानी चाहिए..........

(माननीय सदस्य श्री नारायण पाल "वेल" में आकर अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, अपनी सूचना को नियम 58 में दे दें। कल मैं इसे नियम 58 में सुन लूँगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री नारायण सिंह–

मान्यवर, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। टेलीफोन टावर में 2 युवक चढ़े हुए हैं, इनके पास पेट्रोल भी है। वे आत्महत्या करने जा रहे हैं। इसकी सूचना हमने नियम 311 में दी है। मैं चाहता हूँ आप इस पर सुनने की कृपा करें। वे वन विभाग के कर्मी हैं। वन विभाग के कर्मियों के साथ न्याय होना चाहिए। यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि इस पर चर्चा कराई जाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, लंच टाईम में आप आ जाएं। मैं इस पर विचार करूँगा।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, टेलीफोन टावर में 2 युवक चढ़े हुए हैं। वे आत्महत्या कर सकते हैं। वन कर्मियों के साथ न्याय होना चाहिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे नियम 56 में सुन लूँगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हरिद्वार स्टेशन में एक बम मिला है। वहाँ पर उपराष्ट्रपति आने वाले हैं और 14 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और बहुत से वी0आई0पी0 आने वाले हैं। मान्यवर, इससे अधिक महत्वपूर्ण और तात्कालिक अन्य कोई विषय नहीं हो सकता है अतः मैं चाहता हूँ कि तत्काल समस्त कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराई जाए। इससे अविलम्बनीय और लोक महत्व का अन्य कोई विषय नहीं हो सकता है। इसको नियम 56 में सुन लें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वहाँ पर बम मिला है। वास्तव में बहुत गम्भीर बात है। सरकार की तरफ से इस पर कुछ स्टेटमेंट तो आना ही चाहिए।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

राज्य निर्माण के बाद उ0प्र0 एवं उत्तरांचल सरकारों के बीच आवास विकास की सम्पत्ति की बिक्री हेतु अनुबन्ध के मुख्य बिन्दु

**1–श्री हरबंस कपूर–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के बाद उ0प्र0 एवं उत्तरांचल सरकारों के बीच आवास विकास की सम्पत्ति की बिक्री हेतु कोई अनुबन्ध किया गया था ?

यदि हाँ, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या थे ?

क्या आवास मंत्री अवगत हैं कि उ0प्र0 आवास विकास परिषद् को आवास विकास की खाली भूमि को नीलाम करने के अधिकार अभी तक प्राप्त हैं ?

यदि नहीं, तो उ0प्र0 आवास विकास परिषद् किस अधिकार के अन्तर्गत भूमियों की नीलामी कर रहा है ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी नहीं।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की परिसम्पत्तियों के निस्तारण हेतु दोनों प्रदेशों के मध्य सहमति हुई है।

इस विषय पर हुई सहमति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

(1) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की कुल परिसम्पत्तियों से देनदारी एवं डिपोजिट धनराशि घटाने पर अवशेष धनराशि रु0 2244.34 लाख को जनसंख्या के अनुपात (1321.70) में विभाजित करने पर उत्तरांचल राज्य के पक्ष में रुपये 112.93 लाख की धनराशि आती है, जो उत्तरांचल को देय होगी।

(2) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आवटन नहीं होगा और वे उ0प्र0 आवास विकास परिषद् के कर्मचारियों के रूप में ही कार्यरत रहेंगे।

(3) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की अपूर्ण सम्पत्तियों के निर्माण एवं विकास कार्य कराने तथा समस्त सम्पत्तियों के निस्तारण करने में परिषद् पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी, एवं उत्तरांचल स्थित योजनाओं में उत्तरांचल सरकार का अनुरोध प्राप्त होने पर अनुरोधानुसार वरीयता प्रदान की जायेगी।

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, से जानना चाहता हूँ कि जो समझौता उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल सरकार के बीच में हुआ है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी, यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् को ऐसी सम्पत्तियाँ भी बेचने का अधिकार प्राप्त है, जोकि सामुदायिक सुविधाओं के लिए जो "सेट आउट" उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के बीच में पहले निर्धारित किया गया था, उससे भिन्न हो ? मान्यवर, यह भी देखने में आया है कि जिस प्रयोजन के लिए भूमि खाली छोड़ी थी, उस भूमि पर वह कार्य न होकर अन्य कार्यों के लिए वह यूज हो रही है।

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, जी नहीं। मान्यवर, जो "ले आउट" बना है, उसी के अनुसार कार्य किया जायेगा। मान्यवर, जिस प्रयोजन के लिए भूमि है, उसी के लिए उसका उपयोग किया जायेगा।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस बात का संज्ञान लेते हुए कि इन्दिरानगर कालोनी, बसन्त विहार में भूमि संख्या 373 व 377 के बीच में जो भूमि प्राईमरी हेल्थ सेंटर के लिए छोड़ी गयी थी वहाँ पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् भवन बनाकर, उसे बेचने की फिराक में है। मान्यवर, यह भवन अभी भी बन रहा है। मान्यवर, क्या इस पर सरकार रोक लगायेगी, और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करेगी और इसी तरह से प्रदेश में जहाँ–जहाँ पर सामुदायिक भवन बनाने के लिए, पार्क के लिए, स्कूल के लिए भूमि है, क्या इनकी सुरक्षा के लिए सरकार कोई कार्यवाही करेगी। जिससे कि इसका उपयोग निर्धारित "ले आउट" के अनुसार ही हो सके ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दी है। इस प्रकरण को देखना होगा कि जिस विषय के लिए भूमि छोड़ी गयी थी, उसके लिए इसका उपयोग हो रहा है या नहीं। मान्यवर, चूँकि इस तरह की अस्पष्ट सूचनाएं मिल रही थी, इसलिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् को सूचित कर दिया गया है कि हमारी सहमति के बिना ऐसा कोई कार्य न करें।

उत्तरांचल पेयजल निगम में सेवानिवृत्त प्रबन्ध निदेशक का सेवा विस्तार

**2–श्री अजय भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में पेयजल निगम के प्रबन्ध निदेशक कौन हैं ?

क्या यह सत्य है कि वर्तमान निदेशक पेयजल निगम को सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद भी पद पर लगातार बनाये रखा गया है ? यदि हाँ, तो किस नियम के अनुसार इन्हें लगातार सेवा विस्तार देकर पद पर रखा गया है ?

सरकार कब तक इन्हें पद मुक्त कर नियमित प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति कर देगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्तमान में उत्तरांचल पेयजल निगम में श्री पी0के0 शर्मा प्रबन्ध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

उत्तरांचल (उ0प्र0 जलसम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा–4 (2) (क) के प्राविधानों के अनुसार प्रबन्ध निदेशक पद हेतु चयन प्रक्रिया एवं 3 वर्ष के कार्यकाल का निर्धारण कार्यालय ज्ञाप सं0 2381/नौ–2–पे0/2003, दिनांक 29 सितम्बर, 2003 द्वारा किया गया। इस पद पर अधिसूचना सं0 2457/नौ–2–(92 अधि0)/2002, दिनांक 13 अक्टूबर, 2003 द्वारा श्री पी0के0 शर्मा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा इनकी अधिवर्षता आयु जो भी पहले हो, तक के लिए प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया, तदोपरान्त अधिसूचना संख्या 2839/उन्तीस/04–02–(92 अधि0)/2002, दिनांक 2 दिसम्बर, 2004 द्वारा श्री शर्मा का कार्यकाल दिनांक 13–10–03 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक रखे जाने, बशर्ते राज्य सरकार उनका कार्यकाल गजट में अधिसूचना द्वारा पूर्व में ही समाप्त न कर दे, की स्वीकृति प्रदान की गयी। सार्वजनिक उद्यम विभाग की अधिसूचना सं0 2413/सात–औ0नि0/05/182–उद्योग/04, दिनांक 12 जुलाई, 2005 द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों में कार्यरत कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की गयी है जिसके आधार पर श्री शर्मा की सेवानिवृत्ति की तिथि 31–1–2007 होगी किन्तु श्री शर्मा, प्रबन्ध निदेशक का कार्यकाल उक्त अधिसूचना दिनांक 2–12–2004 के अनुसार 12–10–2006 तक ही रहेगा।

वर्तमान प्रबन्ध निदेशक का कार्यकाल 12 अक्टूबर, 2006 को पूर्ण होगा। तदोपरान्त ही अगले प्रबन्ध निदेशक के चयन की कार्यवाही की जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 12 जुलाई, 2005 द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों में कार्यरत कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की गयी है, इसलिए इस पद पर श्री शर्मा को रखा गया, लेकिन यह आदेश तो 12 जुलाई को निकला और उनकी सेवा निवृत्ति का कार्यकाल 31–1–2005 था तो जब 31–1–2005 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं तो कानून के अनुसार 12 जुलाई के आदेश को कैसे प्रभावी मान रहे हैं ? एक तो इसका उत्तर चाहिए और दूसरा क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग, न्याय विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो जो इसकी रिपोर्ट देता है, तो तीनों ने इनको एक्सटेन्शन देने के लिए मना करा है, अगर यह सही है तो इसके बावजूद भी सरकार ने कैसे एक्सटेन्शन दे दिया और क्या एक्सटेन्शन देने से पहले सरकार ने कोई नीति बनाई है कि हम कर्मचारियों को एक्सटेन्शन देंगे और क्या वह नीति कैबिनेट में आई है? उसका भी खुलासा चाहूँगा।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 29 सितम्बर, 2003 को 2381 की अधिसूचना है, इसमें प्रबन्ध निदेशक के पद पर चयन सम्बन्धी प्रक्रिया का निर्धारण किया गया और इसके अन्तिम पैराग्राफ में है कि उपरोक्त के अनुसार नियुक्त किया जायेगा, जब तक उसका कार्यकाल राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा समाप्त न कर दें। चूँकि यह कार्यालय ज्ञाप तीन वर्ष की नियुक्ति के लिए था, जो अधिसूचना जारी की गई उसको इस कार्यालय ज्ञाप के

अनुसार संशोधित किया गया, इसलिए एक्सटेन्शन का प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, एक्सटेन्शन के लिए कोई नीति नहीं है। मान्यवर, जो अधिनियम है उसमें धारा-4 में है कि प्रबन्ध निदेशक ऐसे नियमों और शर्तों पर पद धारण करेंगे जिन्हें 29 सितम्बर, 2003 के कार्यालय ज्ञाप के अनुसार दिया गया और उसके अनुसार निर्धारित किया गया है।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, 2 दिसम्बर, 2004 का जो दूसरा आदेश किया गया वह एकदम गलत है, चूंकि 31 जनवरी को रिटायर हो जाना चाहिए था क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में खुद लिखा है कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा इनकी अधिवर्षता आयु जो भी पहले हो, तो उसको पहले रिटायर हो जाना चाहिए था। मान्यवर, दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पत्रावली पर माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो प्रबन्ध निदेशक श्री अरविन्द नाथ को इसी आधार पर एक्सटेन्शन दिया गया और वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिक एक्सटेन्शन नहीं दिया जा सकता है।

मान्यवर, यह आदेश पत्रावली पर संलग्न है।

श्री नव प्रभात—

मान्यवर, इस किस्म का प्रकरण उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, जब प्रबन्ध निदेशक के पद के लिए एप्लीकेशन आयी थी तो वहाँ भी तीन वर्ष ही रखा गया।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, क्या प्रबन्ध निदेशक को एक्सटेन्शन देना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का वायलेशन करना न्यायोचित है ? दूसरा जब उत्तर प्रदेश की नियमावली ही उत्तरांचल में लागू है तो उस नियमावली के विरुद्ध जाकर सरकार ने एक्सटेन्शन कैसे दिया ?

श्री नव प्रभात—

मान्यवर, एक्सटेन्शन नहीं दिया गया, उनकी नियुक्ति ही तीन वर्ष के लिए की गई।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, इस प्रकरण में संदर्भित प्रबन्ध निदेशक, पेय जल निगम हैं उनको नियमों के विरुद्ध बड़े-बड़े आशीर्वाद प्राप्त हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देते हुए प्रश्न रखूँगा। मान्यवर, विभाग ने पहले उनको डी0पी0सी0 करके प्रबन्ध निदेशक बनाया और जब उनकी अधिवर्षता आयु पूरी हुई तो हमने उनको एक्सटेन्शन न दिये जाने की माँग की और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी कहा कि किसी भी अधिकारी को एक्सटेन्शन नहीं दिया जायेगा। मान्यवर, उन पर अधिकारियों की कृपा थी, उनकी नयी पत्रावली बनायी गयी और उनका कार्यकाल तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया क्योंकि एक्सटेन्शन न मिलने के लिए सरकार ने कह दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी भी

कह चुके थे। इसमें चयन की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी, वे विशेष कृपा पात्र अधिकारी रहे हैं। हमारी सरकार में बहुत सारे लोग हैं जिसके कारण उनका विकल्प भी फर्जी था। मान्यवर, सदन में भी स्वर्गीय त्रिपाठी जी के समय में भी हमने इसे उठाया था। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि तारांकित प्रश्न संख्या 4 में श्री जंतवाल जी का भी प्रश्न इसी से सम्बन्धित है। इस नियुक्ति के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने भी गड़बड़ियों का शिकायती-पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जिस पर जाँच हुई है। जाँच होने के बाद कार्मिक विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने टिप्पणी की। न्याय विभाग की टिप्पणी उनकी नियुक्ति और सेवा विस्तार के खिलाफ है, इसके बाद भी उस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं हुई है इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ भी भेजा गया है। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है इसमें नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, इसलिए सारे सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप इस प्रश्न को स्थगित कर दें, इसके लिए मैं श्री जंतवाल जी से भी अनुरोध करूँगा। इस पर एक घंटे की चर्चा आने वाले दिनों में कर दें। मान्यवर, हमारे पास इसकी इतनी बड़ी पत्रावली है। जो फर्जी विकल्प पत्र की बात आदी शासन उस पर जाँच करके कार्यवाही करे, इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है।...

मान्यवर, इनकी नियुक्ति के खिलाफ शिकायत की है। इस सम्बन्ध में माननीय उदय भट्ट जी ने तथा माननीय नारायण सिंह जन्तवाल जी ने प्रश्न लगाया है। यह इतना महत्वपूर्ण है, यह सबकी चिंता का विषय है। यह सरकार की कार्य प्रणाली की स्क्रूटीनिंग का विषय है। इसलिए मान्यवर, इस प्रश्न को यहाँ पर स्थगित कर दिया जाय और इस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली जाये। मैं माननीय जन्तवाल जी से भी कहूँगा कि वे भी अपने प्रश्न को स्थगित करवा दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 27 अगस्त, 2002 को जब......

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने माननीय अध्यक्ष जी से एक अनुरोध किया है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 27 अगस्त, 2002 को जब इस निगम के गठन का निर्णय लिया गया तो उसमें यह निर्णय किया गया कि इसमें एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की जाये और जो कार्यालय ज्ञाप निकला उसके अनुसार प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जानी थी। इसलिए यह माना गया कि वे 3 वर्ष काम करेंगे। (व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इससे पहले डी०पी०सी० हुई थी।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कार्यालय ज्ञाप के अनुसार 3 वर्ष के लिए नियुक्ति की गयी थी। पहली नियुक्ति में संशोधन करते हुए मूल कार्यालय ज्ञाप के अनुसार नियुक्ति की गयी है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह प्रश्न ऐसा है। मैंने जो कहा था। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न को घुमा दिया है। आपने नियुक्ति एक बार की है या दो बार ? मान्यवर, यह कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं है यह पूरे प्रदेश का मसला है। आखिर यह हो क्या रहा है ? मान्यवर, 31–1–2005 को अधिवर्षता आयु समाप्त हो गयी थी उसके बाद यह नियुक्ति की गयी है। इसे प्रथम नियुक्ति माना जाये तो फिर 2004 में 3 वर्ष के लिए नियुक्ति कर दी गयी। आखिर इस प्रदेश में एक अधिकारी को दो–दो बार नियुक्ति दी जा रही है। इसका कारण क्या है ? (व्यवधान) इसलिए मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह गम्भीर मसला है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्बन्धित विभाग का मसला है इसलिए यह और भी गम्भीर है। इससे तो गद्दी पर बैठने वाला बैठा ही रहेगा, यह असह्य है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं और मैं मूल प्रश्नकर्ता भी हूं इसलिए यह निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर एक घंटे की चर्चा जनहित में कराएं। आप हमारे संरक्षक हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय भट्ट जी ने और माननीय ऐरी जी ने जो बिन्दु रखे हैं मैं उनसे सहमत हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर एक घंटे की चर्चा करा दें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने यहाँ पर उठाया है। इसके उत्तर में जो शासनादेश संख्या लिखी गयी है उसकी तिथि 2 दिसम्बर, 2004 है। इसके बाद 13 अक्टूबर को फिर से नियुक्ति की गयी, 2 दिसम्बर, 2004 को प्रतिनियुक्ति की गयी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इनकी उम्र को देखते हुए यह शासनादेश निकाला गया ? 12 जुलाई, 2005 को 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किया गया है।

केवल इन्हीं के उद्देश्य से शासनादेश निकाला गया, मैं यह आरोप लगा रहा हूँ और इसी के माध्यम से इन्हें एक्सटेंशन देते रहे। मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है आज इस प्रकरण पर सारा सदन ही नहीं पूरा उत्तरांचल इसे देख रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

नियम 49 के अन्तर्गत मैं इसे आधे घंटे की चर्चा के लिए स्वीकार करता हूँ।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं।)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, क्या प्रश्न संख्या 4 भी इसमें सम्मिलित है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न संख्या 4 को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न

राज्य की सीमान्तर्गत मत्स्य पालन हेतु जलाशय एवं उनसे अर्जित आय

*1—श्री प्रकाश पंत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की सीमान्तर्गत मत्स्य पालन हेतु कितने जलाशय स्थित हैं ?

क्या सभी जलाशयों का सर्वाधिकार राज्य को प्राप्त हो चुका है ?

तथा 09 नवम्बर, 2000 से उक्त जलाशयों से अर्जित समस्त आय राज्य को प्राप्त हो चुकी है ?

यदि हाँ, तो कब तक तथा कितनी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राज्य की सीमान्तर्गत धौरा, बैगुल, नानकसागर, बौर, हरिपुरा एवं तुमरिया (06 जलाशय) जनपद ऊधमसिंह नगर में पूर्ण रूप से अवस्थित हैं। इनमें मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है।

शारदा सागर जलाशय आंशिक रूप से (लगभग 46 प्रतिशत) जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में अवस्थित है इसका शेष अंश (लगभग 54 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इस जलाशय में भी मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है।

शारदासागर जलाशय के अतिरिक्त उपरोक्त अन्य 6 जलाशयों का सर्वाधिकार उत्तरांचल को प्राप्त हो चुका है।

नहीं।

मात्र रु0 एक करोड़ धनराशि दिनांक 17 अप्रैल, 2004 को प्राप्त हुई है। शेष धनराशि लगभग रु0 चार करोड़ अट्ठानबे लाख सात हजार एवं इस पर देय ब्याज की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 81 के अन्तर्गत प्रकरण दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 से ही भारत सरकार को सन्दर्भित है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि राज्य की सीमान्तर्गत कितने ऐसे जलाशय हैं जिनमें मत्स्य पालन का कार्य अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से होता रहा है ? माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि ऊधमसिंह नगर के 6 जलाशयों में मत्स्य पालन का कार्य होता है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऊधमसिंह नगर के अलावा हरिद्वार जनपद में कोई ऐसे जलाशय नहीं हैं जहाँ पर यह कार्य होता हो ? दूसरा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि "शारदा सागर" जलाशय के अतिरिक्त उपरोक्त अन्य 6 जलाशयों का सर्वाधिकार उत्तरांचल को प्राप्त हो

चुका है।'' तो यह अधिकार कब प्राप्त हुआ है ? इसकी तिथि मैं जानना चाहता हूँ। मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि 17 अप्रैल, 2004 को 1 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है और शेष धनराशि प्राप्त नहीं हुई है और यह प्रकरण 24 अक्टूबर, 2003 से भारत सरकार को संदर्भित है। तो 24 अक्टूबर, 2003 से अब तक 3 वर्षों में सरकार ने शेष धनराशि को प्राप्त करने के लिए क्या कोई प्रयास किये हैं ? यह तीन प्वाइंटेड प्रश्न है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, 6 जलाशय उत्तरांचल के अन्तर्गत हैं और शारदा सागर का अधिकांश क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। दूसरा भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों प्रदेशों के अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं। इसमें हुई आय की एक किस्त ही उत्तरांचल को प्राप्त हुई है और शेष धनराशि को प्राप्त करने के लिए कई बार पत्र प्रमुख सचिव, मत्स्य पालन, माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव के माध्यम से लिखे जा रहे हैं और 1 या 2 माह के अन्दर ही हमारी बैठक हो जायेगी और पैसा भी प्राप्त हो जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, शारदा सागर जलाशय का 46 प्रतिशत भाग उत्तरांचल के पास है और शेष 54 प्रतिशत उत्तर प्रदेश के पास है और इस पूरे जलाशय में आज मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है। 46 प्रतिशत भाग बहुत बड़ा भाग होता है, और जो पैसा उत्तरांचल राज्य को मिलना चाहिए वह आज भी उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। यह पैसा हमारे प्रदेश में ही आये इसके लिए क्या सरकार कोई प्रभावी कदम उठायेगी और क्या सरकार द्वारा इसके लिए प्रयास किये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, सरकार द्वारा इसके बराबर प्रयास किये जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा ही इसके टेंडर आदि भी होते हैं और कोई राजस्व भी उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह भी अनुपूरक "ख" में पूछा था कि ऊधमसिंह नगर के अलावा हरिद्वार में भी जलाशय हैं या नहीं जिनमें मत्स्य पालन किया जाता है? इसका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, माननीय सदस्य छोटे जलाशयों की शायद बात कर रहे हैं। बड़े जलाशय जिनमें मत्स्य पालन होता है उनकी संख्या 6 है, यह मैंने बता दिया है।

काजी निजामुद्दीन--

मान्यवर, प्रश्न बड़े या छोटे का नहीं है। प्रश्न साफ है कि क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की सीमान्तर्गत मत्स्य पालन हेतु कितने जलाशय स्थित हैं ?

श्री तिलक राज बेहड़--

मान्यवर, हमारे यहाँ जो जलाशय हैं, उनके बारे में मैंने उत्तर दे दिया है।

काजी निजामुद्दीन--

मान्यवर, हमारे राज्य में कई जगह मछली पालन किया जा रहा है लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि सरकार छोटे मछली पालकों के प्रति गंभीर ही नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार वास्तव में उनके प्रति गंभीर नहीं है ?

श्री गोपाल सिंह राणा--

मान्यवर, प्रश्न पूछा गया था कि "क्या सभी जलाशयों का सर्वाधिकार राज्य को प्राप्त हो चुका है"? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 6 जलाशयों के सर्वाधिकार प्राप्त हो चुके हैं। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हुए हैं? मछली मारने का अधिकार प्राप्त हुआ है या उनके रख-रखाव का अधिकार प्राप्त हुआ है? मेरा अनुरोध है कि इसको स्पष्ट करने का कष्ट करें।

श्री तिलक राज बेहड़--

मान्यवर, 30 जून, 2004 को सर्वाधिकार प्राप्त हुआ है। उत्तरांचल सरकार की ओर से इसमें नीलामी प्रक्रिया की जा रही है। 6 जलाशयों का राजस्व हमारे प्रदेश को प्राप्त हो रहा है।

श्री गोपाल सिंह राणा--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इनके रख-रखाव का अधिकार भी सरकार को प्राप्त हो गया है ?

श्री तिलक राज बेहड़--

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से जुड़ा प्रश्न नहीं है।

श्री हरभजन सिंह चीमा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 4 करोड़ 98 लाख 60 हजार रुपये अभी मिलने हैं तथा इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर मीटिंग होना भी बताया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह राशि विवादित है तथा यह राशि किस ठेकेदार से लेनी है ? यह राशि समय पर क्यों नहीं दी गयी तथा इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही रही है ?

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, यह राजस्व का मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार से पैसा लिया जाना है। इस सम्बन्ध में बैठकें हो रही हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन ठेकेदार है, जिससे पैसा लेना है ?

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, यह पैसा उत्तर प्रदेश सरकार से लेना है। इसमें ठेकेदार की बात ही नहीं है।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने शारदा सागर जलाशय का जिक्र तो किया लेकिन कालागढ़ वाले जलाशय का कोई जिक्र ही अपने उत्तर में नहीं किया है। कालागढ़ वाला जलाशय अभी उत्तरांचल के पास है या उत्तर प्रदेश के पास ?

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, यह विवादित जलाशय है। मूल प्रश्न में इसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि "क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की सीमान्तर्गत मत्स्य पालन हेतु कितने जलाशय स्थित हैं ? लेकिन माननीय मंत्री जी ने कालागढ़ वाले जलाशय का कोई जिक्र ही नहीं किया। शारदा सागर जलाशय की भाँति कालागढ़ का जलाशय भी हमारे सीमान्तर्गत है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस जलाशय की स्थिति क्या है ?

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, कालागढ़ वाला जलाशय पार्क एरिया में है, उसके अन्दर मछली पालन नहीं किया जा सकता है।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि वहाँ पर मछली पालन किया जाता है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर बात है कि कालागढ़ वाले जलाशय का जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में नहीं किया। इससे तो लगता है कि माननीय मंत्री जी कालागढ़ को उत्तरांचल राज्य में शामिल मानते ही नहीं हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वन मंत्री होने के नाते इस सम्बन्ध में मैं संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ कि कालागढ़ का जलाशय मछली पालन हेतु उपलब्ध नहीं है।

प्रदेश में असिंचित कृषि क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा

*2 श्री मदन कौशिक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान असिंचित कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई समयबद्ध योजना है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदेश में असिंचित कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है, किन्तु इसे समयबद्ध किया जाना सम्भव नहीं है।

असिंचित कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में भारत सरकार के द्वारा परिकल्पित भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 से वर्ष 2008–09 तक की अवधि में सिंचाई विभाग द्वारा 73980 हेक्टेयर तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा 84687 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल 158667 हेक्टेयर असिंचित कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है किन्तु इस योजना का पूर्ण क्रियान्वयन तथा तदोपरान्त अवशेष कृषि योग्य असिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करने की राज्य सरकार की योजना भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण के मानकों का अन्तिमीकरण किए जाने तथा राज्य सरकार के पास कालान्तर में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि असिंचित कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना है ? जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 से वर्ष 2008–09 तक अवधि में सिंचाई विभाग द्वारा 73980 हेक्टेयर तथा लघु सिंचाई विभाग 84687 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 158667 हेक्टेयर असिंचित कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, इसमें टोटल कितनी भूमि मैदानी क्षेत्र की है और कितनी पहाड़ी क्षेत्र की है तथा वर्षवार इसका क्या प्रोग्राम है ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल, 1250386 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। जिसमें वर्ष 2005 में 532318 है0 भूमि सिंचित की जा चुकी है और

718063 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सिंचित क्षेत्रफल 532318 हेक्टेयर में 194700 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई विभाग की योजनाओं के माध्यम से सिंचित किया गया है और अन्य 337618 हेक्टेयर क्षेत्रफल लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं एवं निजी सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचित है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2005–06 में मरम्मत कर चलाई जाने वाली 45 नहरें प्रस्तावित थीं। आगामी वित्तीय वर्ष में मरम्मत कर प्रथम प्राथमिकता पर चलाई जाने वाली 95 नहरें प्रस्तावित हैं। परीक्षणोपरान्त परित्याग योग्य एवं द्वितीय प्राथमिकता पर आगामी वर्षों में चलाई जाने वाली 150 नहरें हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उत्तर में 73980 हेक्टेयर भूमि सिंचाई विभाग द्वारा और 84687 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा देने की बात कही है। मैं यह जानना चाहूँगा कि इसकी योजना क्या है, कितनी नहरें बनाई गई और इसके लिए क्या–क्या कदम उठाये जायेंगे? इसका जिक्र नहीं किया है कि यह कार्य कैसे होगा ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण के मानकों का अन्तिमीकरण किये जाने तथा राज्य सरकार के पास कालान्तर में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, भारत निर्माण योजना कोई हवा में तो नहीं होगी। कितना कार्य इस वर्ष करेंगे, पिछले वर्ष कितना कार्य किया गया ? आगामी वर्ष में कितना कार्य किया जायेगा इस बारे में मैं जानकारी चाह रहा हूँ। मैं कोई योजना नहीं पूछ रहा हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय मंत्री जी पूरी तैयारी से नहीं आए हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2005–06 में 6812 हेक्टेयर और लघु सिंचाई द्वारा 6454 हेक्टेयर सिंचित किया गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कुछ लक्ष्य तो रखा गया है, कोई योजना तो होगी ? केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से और राज्यों की योजनाओं के माध्यम से सिंचाई योजनाएं होती हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, उसी के अन्तर्गत सारी सिंचाई का कार्य होता है।

"काजी" निजामुद्दीन–

मान्यवर, इस प्रश्न के उत्तर से प्रतीत होता है कि सरकार इसके प्रति कितनी गम्भीर है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार असिंचित भूमि किसे मानती है और सिंचित भूमि किसे मानती है ? मान्यवर, काश्तकार उसे असिंचित भूमि मानता है, जहाँ किसी भी स्रोत से पानी न जाता हो। मान्यवर, हम यह भी मानते हैं कि उत्तरांचल सरकार के पास संसाधन नाममात्र के हैं। मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार हरिद्वार में अपनी परियोजना तैयार कर रही है, क्या उत्तरांचल सरकार इसमें अपना हिस्सा रख रही है या नहीं ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश से हस्तांतरण का मामला अभी विवादित है।

"काजी" निजामुद्दीन–

मान्यवर, जो नई योजनाएं जनपद हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के लिए निकल रही हैं, इन परियोजनाओं के बनने से पहले वहाँ पर किसान गंग नहर से सिंचाई करता था, चूँकि अब इस पर उत्तर प्रदेश योजना बना रहा है, इससे जो गूलें पहले थीं, वे बंद हो गयी हैं, इससे किसानों को परेशानी हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें उत्तरांचल सरकार कोई व्यवस्था करने जा रही है ?......... (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, लाल ढांग नहर 13.10, रसूलपुर नहर 13.70............(व्यवधान)

"काजी" निजामुद्दीन–

मान्यवर, जो नहर उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है, उस पर चर्चा चल रही है। ....(व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, नाबार्ड और जिला योजना के माध्यम से 59 नलकूप प्रस्तावित हैं, इनमें से 16 का कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष 43 पर कार्य पूर्ण किया जायेगा। ....(व्यवधान)

"काजी" निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं पुनः अपना सवाल दोहराता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा केनाल से माइनर केनाल बना रही है, यह देवबन्द से निकल रही है, जहाँ–जहाँ से यह नहर निकल रही है, वहाँ–वहाँ से पहले जनपद हरिद्वार का किसान पानी लेता था। मान्यवर, जब से यह नहर बननी शुरू हुई है, तब से गूलें बन्द हो गयी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तरांचल सरकार इसमें अपना हिस्सा रख रही है या नहीं ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है. जहाँ तक उत्तर प्रदेश द्वारा नहर बनाने की बात है तो इसमें उत्तरांचल सरकार को भी लाभ मिलेगा।......(व्यवधान)

श्री हरीदास–

मान्यवर, जिस नहर की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, उस पर कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को एक–डेढ़ साल हो गये हैं। मान्यवर, यह कैसी विडम्बना है कि उत्तरांचल सरकार का ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इस नहर का लाभ उत्तरांचल के जनपद हरिद्वार के किसानों को मिलेगा या नहीं ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता करके सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी। ......(व्यवधान)

श्री हरीदास–

मान्यवर, उत्तर पूरा नहीं आया है।............(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाइये, मूल प्रश्न का उत्तर आ चुका है।

राज्य में महाविद्यालय खोलने का निर्धारित मानक

*3—श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि नये महाविद्यालयों को खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों को प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश सं0 4557/15–62(11)–3(30)/80, दिनांक 14 मार्च, 1984 द्वारा राज्य की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य की स्थिति के मद्देनजर उपरोक्त मानकों का निर्धारण राज्य की स्थिति के अनुरूप करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल में जो नये विश्वविद्यालय खुले हैं इन विश्वविद्यालयों में नये विषय खोलने के मानक क्या हैं ? क्या ये पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार हैं, या इनको यह सरकार नहीं मान रही है ? मान्यवर, इनको राज्य की परिस्थिति के अनुरूप बनाने की बात भी सरकार ने की।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो शासनादेश है उसमें क्या–क्या व्यवस्थायें हैं और राज्य की कौन–कौन सी व्यवस्थायें हैं जो राज्य के लिए उपयुक्त हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार का जो शासनादेश है उसमें कई बिन्दु ऐसे हैं जो कि आज हमारे प्रदेश के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, इसलिए नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों को प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण रूपेण उत्तर प्रदेश का जी0ओ0 प्रासंगिक नहीं है। मान्यवर, इसलिए शासनादेश के संशोधन के लिए एक समिति गठित की गई है, उसमें कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं, कुल सचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय सदस्य हैं और निदेशक, उच्च शिक्षा सदस्य सचिव हैं। यह समिति यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार मानक निर्धारित करेगी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन–कौन से बिन्दु पर सरकार सहमत नहीं है, वे बिन्दु बता दें ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, सबसे बड़ा बिन्दु है कि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार महिला महाविद्यालय हेतु 10 हजार वर्ग मीटर और अन्य महाविद्यालय हेतु 20 हजार वर्ग मीटर दिया है, काफी बड़ा मानक था तो इस मानक को ठीक करने के लिए समिति को अधिकृत किया गया है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देख लें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मानक निर्धारण की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में कई महाविद्यालयों के लिए अतिरिक्त विषयों को प्रारम्भ किया जाना है। मान्यवर, मैं अनुरोध करूँगा कि मानक निर्धारण जल्द से जल्द कर लिया जाये, ताकि नये महाविद्यालय खोले जा सकें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इस समिति को निर्देशित किया जायेगा कि अलग–अलग समस्यायें जहाँ जो भी हैं उनके मानक तय करें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, पाँच साल से अधिक समय हो गया है, मैं जानना चाहता हूँ कि यह कब तक बना लिये जायेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह समिति अधिरूढ़ीत है, यह समिति अलग–अलग क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों की परिस्थिति को देखते हुए यह मानक तय करेगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्पष्ट प्रश्न किया कि कब तक निर्धारण कर देंगे और आपने कहा कि समिति करेगी तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस समिति का गठन कब हुआ ? उसका कार्यकाल निर्धारित किया गया था और यह बात समीचीन है कि चुनाव का वर्ष आने वाला है और महाविद्यालय खुलने हैं। पिछली बार चुनाव के वर्ष में 14 महाविद्यालय खुले थे और चुनाव का वर्ष अब भी है आपको चिन्ता होनी चाहिए। मान्यवर, इस समिति का कार्यकाल कितना है और कब से शुरू हुआ यह बता दें और यह बता दें कि जल्द से जल्द निर्धारण करके कब तक महाविद्यालय खोल देंगे और नये विश्वविद्यालय की माँग जो है वह कब तक पूरी कर देंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, 6 माह के अन्तर्गत इसका निर्धारण करके हल निकाल लेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, कब तक कर लेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसके लिए एक समिति का गठन 30–03–2006 को किया गया है और वह समिति 6 महीने के अन्तर्गत मानकों का निर्धारण कर देगी।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, 6 महीने में तो सरकार रिपोर्ट देगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मानक निर्धारण कर देंगे।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि मंत्री जी ने कहा कि जमीन उपलब्धता के बाद ही महाविद्यालय खोला जायेगा? क्या वर्तमान में जो महाविद्यालय खोले गये वह जमीन उपलब्धता के बाद ही खोले गये हैं ? मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तरकाशी में विद्यापीठ में जमीन उपलब्ध होने के बाद भी महाविद्यालय क्यों नहीं खोला जा रहा है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, महाविद्यालय तो जमीन उपलब्धता के बाद ही खोला जायेगा।(व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह पंवार

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। आज भी कई महाविद्यालय ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पंवार जी, कृपया बैठिये।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो महाविद्यालय खोले जायेंगे उसके लिए दूरी और जनसंख्या का क्या मानक है, कितनी दूरी पर महाविद्यालय खोले जायेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं कह चुका हूँ कि 6 महीने के अन्तर्गत मानक बना लेंगे, जो मानक होंगे उससे माननीय सदस्यों को भी मालूम हो जायेगा। मान्यवर, मानकों में शिथिलीकरण हो सकता है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब जमीन उपलब्ध होगी तब महाविद्यालय खोलेंगे। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य बनने के दिन से अनेकों महाविद्यालय खोले गये हैं और जिन महाविद्यालयों की घोषणा की वह किराये के भवनों में चल रहे हैं। आज तक उनके लिए जमीन की व्यवस्था नहीं हुई है, सत्य क्या है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसलिए यह समिति बनायी गयी है, वह मानक निर्धारित करेगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया कि पहले भूमि के मानक तय होंगे और भूमि उपलब्ध होगी तब महाविद्यालय खोलेंगे। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि आज की तिथि में 9 नवम्बर, 2000 के बाद से जितने भी महाविद्यालय खुले हुए हैं उनके लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है या तो वह सार्वजनिक स्थानों पर चल रहे हैं या किराये के भवनों में चल रहे हैं।

तब सरकार ने समिति बना दी और सदन में प्रश्न लगाने के बाद सरकार ने अवगत कराया कि पहले भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। जबकि सच्चाई यह है कि पहले महाविद्यालय खुले हैं और अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ कि समिति का गठन 30–03–2006 को किया गया है। यह समिति इसके लिए मानक तय करेगी। 6 महीने के अन्दर यह मानक तय कर देगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, क्या सदन को दी गयी जानकारी सत्य है ?

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, उत्तराखण्ड विद्यापीठ, गुप्तकाशी में महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा हुई थी, वहाँ पर जमीन भी उपलब्ध है लेकिन महाविद्यालय की स्थापना नहीं की जा रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से अलग है।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदस्या ने विद्यापीठ के बारे में पूछा है। वहाँ पर भूमि उपलब्ध है। मैं स्वयं वहाँ पर गया था, वहाँ के लोगों ने माँग की है कि वहाँ पर महाविद्यालय खोला जाये। सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सरकार किसको रिकमेंड कर रही है ? (हँसी)

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अगस्त के महीने में सितारगंज में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी, यह आपके संज्ञान में है या नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अगर घोषणा हुई है तो निश्चित रूप से खुलेगा ही खुलेगा।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, इसे लेकर मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर हुई होगी तो। मान्यवर, मैं इस सदन का मेम्बर हूँ और माननीय मंत्री जी मुझे ऐसा उत्तर दे रहे हैं तो जनता का तो बुरा हाल होगा। अगर मैं आज नहीं पूछता तो शायद हम लोग चुनाव लड़ने चले जाते और आपको पता ही नहीं होता।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी तो घोषणा करते ही रहते हैं। (व्यवधान) (हँसी) मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहाँ–कहाँ घोषणा की है, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। जब यह संज्ञान में आयेगा तो निश्चित रूप से इसका क्रियान्वयन होगा। (व्यवधान)

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, आप मुझे जरूर सुन लें। माननीय अध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं सितारगंज में आपको याद होगा क्योंकि घोषणा आपके सामने हुई थी। (हँसी)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा शासनादेश का हिस्सा मानी जाती है और इसकी पूरी सूची हम लोगों के पास आती है। जब यह प्रकरण आयेगा तब इसे भी अवश्य ही पूरा किया जायेगा। यह केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का आदर किये जाने की बात नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को अवश्य ही पूरा किया जाता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की है। घोषणा संख्या 22 है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की है, घोषणा संख्या 22 जो 10 अगस्त, 2001 की है जिसमें घोषणा की गई कि अगले शैक्षिक सत्र में जनपद अल्मोड़ा के दन्या में महाविद्यालय की स्थापना हो जायेगी। आज तक इस घोषणा पर अमल नहीं हुआ। (व्यवधान)

मान्यवर, सवाल यह नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है ? सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर अमल क्यों नहीं होता है जैसा कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने अवगत कराया है कि उनकी घोषणायें शासनादेश होती हैं।......

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह दन्या की बात हो रही है और माननीय सदस्य गरुड़ाबांज की बात कर रहे हैं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए क्या करती है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, चूँकि यह प्रकरण प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, जो नियम है। सदैव ही हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा जो वह अपने कार्यकाल में करते हैं। इन्हें सबको स्वीकार करना चाहिए। इन्हें शासनादेश माना जाता है, इसका पालन किया जाता है और मानकों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है और इनका पालन होता है।

उत्तरांचल पेयजल निगम में प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की जाँच रिपोर्ट

*4–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल पेयजल निगम में कार्यरत प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति में अपनाई गई अनियमितता के विरुद्ध कतिपय मा0 विधायकों की शिकायत पर मा0 मुख्यमंत्री जी ने जाँच के आदेश दिये थे ?

उक्त जाँच में अब तक क्या प्रगति हुई है ? क्या मंत्री जी जाँच आख्या सदन के पटल पर रखेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ। सतर्कता विभाग को जाँच के आदेश दिये गये हैं।

सतर्कता विभाग से जाँच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है जिसके प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

तीर्थ नगरी हरिद्वार एवं ऋषिकेश में जहर खुरानी की वारदातों की रोकथाम

*5–श्री हरबंस कपूर–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तीर्थ नगरी हरिद्वार एवं ऋषिकेश में गत तीन वर्षों में जहर खुरानी गिरोह की वारदातों से कितने यात्रियों को लूटा गया तथा कितने यात्रियों की जानें गयीं ?

क्या मुख्यमंत्री यह भी बतायेंगे कि इन घटनाओं की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

तीर्थ नगरी हरिद्वार एवं ऋषिकेश में गत तीन वर्षों में जहर खुरानी गिरोह द्वारा की गई वारदातें निम्नवत् हैं:–

क्र० सं०	वर्ष		पंजीकृत अभियोगों की संख्या	लूटे गये यात्रियों की संख्या	यात्रियों की संख्या जिनकी मृत्यु हुई है
1.	2003	ऋषिकेश	–	–	–
		हरिद्वार	10	20	–
2.	2004	ऋषिकेश	02	02	–
		हरिद्वार	05	06	–
3.	2005	ऋषिकेश	–	–	–
		हरिद्वार	06	09	–

जहर खुरानी की घटनाओं की रोकथाम हेतु बस अड्डों/रेलवे स्टेशनों पर समय-समय पर संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग की जाती है। जहर खुरानी की घटनाओं की रोकथाम हेतु मेला त्यौहारों पर जहर खुरानी निरोधक स्क्वाड बनाकर ऐसे अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। साथ ही बस अड्डों/रेलवे स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा अपरिचित व्यक्तियों द्वारा दिये जाने वाले पेय एवं अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन न करने के सम्बन्ध में हिदायत देते हुए यात्रियों को जागरूक रहने हेतु सूचित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिद्वार और ऋषिकेश हमारे प्रदेश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं और जिस प्रकार से माननीय मदन कौशिक जी ने भी अवगत कराया कि आज वहाँ पर प्लेटफार्म में एक जीवित बम मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर सूचना देने के लिए जो स्क्वाड बनाने की बात की है वह कब तक हो जायेगी ? माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूँगा कि हरिद्वार और ऋषिकेश में जो 23 घटनायें पंजीकृत हुई हैं तो उनमें से कितने लोगों को पकड़ा गया है और कितनी घटनाओं का निस्तारण किया गया है? निश्चित रूप से हरिद्वार और ऋषिकेश में कानून व्यवस्था से जुड़े जितने भी मामले आते हैं उनके लिए क्या विशेष निर्देश दिये जाते हैं ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वर्ष 2003 में देहरादून में 2 अभियोग पंजीकृत किए गए तथा एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं ऋषिकेश और हरिद्वार के बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जनपद की पूरी सूचना दे रहा हूँ। वर्ष 2004 में 3 अभियोग पंजीकृत हुए और 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। 2005 में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ तथा वर्ष 2006 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मान्यवर, जनपद हरिद्वार में वर्ष 2003 में 10 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2004 में 5 अभियोग पंजीकृत हुए और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2005 में 6 अभियोग पंजीकृत हुए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2006 में अभी तक हरिद्वार में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि उत्तर में जो आंकड़े माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए हैं, उसमें उल्लेख है कि वर्ष 2003 में लूटे गये यात्रियों की संख्या 20 है और पंजीकृत अभियोगों की संख्या 10 है। यही स्थिति वर्ष 2005 में भी है। लूटे गये यात्रियों की संख्या 9 है और पंजीकृत अभियोगों की संख्या मात्र 6 है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, एक ही अभियोग में एक से अधिक यात्रियों के प्रभावित होने के कारण ऐसा हुआ है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यात्रियों की सुविधा हेतु क्या वाहनों के अन्दर सरकार की ओर से ऐसी निर्देश पट्टिकाएं लगेंगी, जिससे यात्रा के दौरान यात्री इन निर्देशों से अवगत हो सकें ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी यात्रियों को सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोस्टर इत्यादि के माध्यम से भी यात्रियों को सूचना दी जाती है। रोडवेज के स्टाफ से भी कहा गया है कि ऐसी चीजों के बारे में जानकारी दें। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि निर्देश पट्टिकाएं लगायी जाएँ तो इस पर भी विचार किया जाएगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनपद स्तर पर जहर खुरानी निरोधक स्क्वाड का गठन किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस स्क्वाड में कितने लोग हैं तथा इस स्क्वाड ने बिना घटना घटित हुए कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, शक के आधार पर केवल चैकिंग की जा सकती है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जब महत्वपूर्ण मेले होते हैं, उस समय यह स्क्वाड काम करते हैं। ये लोग हर व्यक्ति पर नजर रखते हैं और जिस व्यक्ति पर इनको शक होता है, उसकी चैकिंग की जाती है तथा शक होने पर उसको गिरफ्तार भी किया जाता है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में आने वाले यात्रियों के साथ भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं ? क्या माननीय मंत्री जी सदन को यह जानकारी देंगे कि वहाँ पर कितनी घटनाओं का निस्तारण कर दिया गया है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वैसे यह मूल प्रश्न से जुड़ा प्रश्न नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि माननीय सदस्या की जिज्ञासा है इसलिए अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद पौड़ी में वर्ष 2003 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2004 में 2 अभियोग पंजीकृत किये गये और एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया। वर्ष 2005 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ तथा 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2006 में कोई घटना संज्ञान में नहीं आयी है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हरिद्वार और ऋषिकेश के जो आँकड़े बताए, वह तब के हैं, जब वहाँ पर मेले लगे थे। उस समय वह मामले पंजीकृत किये गये। मेला अवधि के बाद वह स्क्वाड काम नहीं करता है।

मान्यवर, स्थाई रूप से एक स्क्वाड का गठन सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्ष 2003 से 2006 तक कुल इस तरह के 77 अपराध हुए उनमें से 53 अपराध ट्रेनों पर या रेलवे स्टेशनों से सम्बन्धित हो सकते हैं। रेलवे स्टेशनों पर जी0आर0पी0 की मदद ली जाती है। बसों में होने वाले अपराधों की संख्या मात्र 03 है। शेष अपराध जैसे रोडवेज बस अड्डे पर या मेले व अन्य स्थानों पर हुए हैं। मान्यवर, यह बहुत विस्तृत क्षेत्र है। इस पर तीन–चार या पाँच–छः लोगों का स्क्वाड बनाने से काम नहीं चलेगा। मेलों में तो हम पुलिस की मदद लेते हैं।

*6–श्री अजय भट्ट–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

प्रान्तीय सेवा अधिकारियों की भाँति सचिवालय कार्मिकों को भत्तों का लाभ

*7–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार प्रान्तीय सेवा अधिकारियों (पी0सी0एस0) की भाँति सचिवालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को बढ़े हुए भत्ते का लाभ प्रदान करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सचिवालय में जो अधिकारी हैं उनमें जो पी०सी०एस० हैं उनको सचिवालय भत्ता दिया जाना सरकार ने स्वीकृत कर लिया है, लेकिन जो सचिवालय में कार्यरत अधिकारी हैं उनको यह भत्ता नहीं दिया जा रहा है, ऐसी असमानता क्यों है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के अधिकारियों को विशेष वेतन दिया जाता है यह वेतन उनको 10–02–2006 के शासनादेश द्वारा दिया गया है। सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों से लेकर टंकक तक के पदों को विशेष भत्ता दिया जाता है और उनको दिया जाने वाला यह भत्ता बढ़ा दिया गया है। इसका शासनादेश जारी हो चुका है। दोनों आदेशों में थोड़ा फर्क है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, विशेष वेतन प्रान्तीय सेवा के अधिकारियों को दिया जाता है इसे राज्य सरकार द्वारा 10 फरवरी, 2006 को अनुमन्य किया गया है तो क्या इसी सचिवालय में आठ हजार के वेतनमान के ऊपर के अधिकारी हैं क्या उन्हें इसी शर्त पर विशेष वेतन सुविधा नहीं दी जा सकती है ? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जो अनुभाग अधिकारी हैं वे विधान सभा सचिवालय के भी हो सकते हैं और सचिवालय के भी, क्या उनको भी विशेष वेतन की सुविधा सरकार स्वीकार करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वेतन के सम्बन्ध में एक निर्धारित नीति है। कैडरों के हिसाब से नियमावली बनी है। पी०सी०एस० कैडर के लिए अलग शासनादेश और नियमावली है और अन्य कैडरों के लिए अलग शासनादेश नियमावली है। इसलिए यह सुविधा अन्य कैडरों के लिए स्वीकार नहीं की जा सकती है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मेरी जानकारी के मुताबिक जिनका स्केल आठ हजार से ऊपर का है, अन्य प्रदेशों में उनको मिलता है। क्या अन्य प्रदेशों के अनुसार सरकार यहां पर भी करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जिनसे पूछकर आपने यह प्रश्न लगाया है, यदि वे अन्य प्रदेशों का शासनादेश उपलब्ध करा दें तो हम सम्यक् कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रश्न पुछवाये जाते हैं, या पूछकर लगाये जाते हैं, यह सही नहीं है। मान्यवर, प्रश्न पुछवाये नहीं जाते हैं, बल्कि माननीय सदस्य द्वारा निश्चित प्रक्रिया के अनुसार लगाये जाते हैं। मान्यवर, यह आक्षेप है, इसे कार्यवाही का अंग न बनने दिया जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह आक्षेप नहीं है। प्रश्न तो सदैव पुछवाये जाते हैं, यदि कोई धरने पर बैठे होते हैं तो वहाँ से प्रश्न आते हैं। कर्मचारी संगठन के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि हमारी यह विसंगति है। मान्यवर, यह आक्षेप नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

*8–श्री बिशन सिंह चुफाल–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

अतारांकित प्रश्न

जनपद उत्तरकाशी के वि०ख० चिन्यालीसौड़ के गमटी पट्टी के उलण, क्रिव इत्यादि गाँवों में ठप्प विद्युत आपूर्ति की बहाली

1–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के गमटी पट्टी के गाँव उलण, बजियाड़ा, क्रिव और पिठयानी में पिछले एक साल से विद्युत आपूर्ति ठप्प है ?

क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को भारी भरकम धनराशि के बिल भेजे जा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त गाँवों में विद्युत आपूर्ति बहाल कर अत्यधिक धनराशि के बिलों को संशोधित किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

जी हाँ।

जी नहीं।

जी हाँ, ग्रामवासियों द्वारा विद्युत संयोजन लेने (न्यूनतम 10% घरों द्वारा) की शर्त वर्तमान विद्युतीकरण की परिभाषा में आवश्यकीय है। उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० एक वाणिज्यिक संस्था है। अतः अधिक से अधिक घरों द्वारा विद्युत संयोजन लिया जाना अधिक उपयुक्त होगा। उपभोक्ताओं के विद्युत समस्याओं के निराकरण एवं बिल सुधार हेतु समय–समय पर शिविर आयोजित किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या (7) के उपरान्त प्रश्न काल समाप्त हुआ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा एवं बिडौरा के उच्चीकरण की योजना

2—श्री गोपाल सिंह राणा—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बिडौरा तहसील—सितारगंज के उच्चीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उच्चीकरण कब तक किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन के शासनादेश का क्रियान्वयन

3—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माह अक्टूबर, 2004 में उत्तरांचल में मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन का शासनादेश जारी किया गया था ?

यदि हाँ, तो उक्त शासनादेश का कितने विभागों द्वारा पालन किया गया तथा कितने विभागों में पदनाम परिवर्तन के साथ पदों का सृजन किया गया ?

यदि नहीं, तो उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही कब तक सुनिश्चित कर ली जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

प्राप्त सूचना के आधार पर लोक निर्माण, सूचना, ग्राम्य विकास, सहकारिता, गन्ना चीनी, लघु सिंचाई, खेल, औद्योगिक विकास, नियोजन, पुलिस एवं कारागार, आवास, पर्यटन, सिंचाई, वित्त, आबकारी, डेरी विकास, कृषि एवं विपणन, चिकित्सा शिक्षा, शहरी विकास, श्रम सेवायोजन, परिवहन, विद्यालयी शिक्षा, ग्रामीण अभियंत्रण, ऊर्जा एवं नियोजन विभाग द्वारा शासनादेश के अन्तर्गत पदनाम परिवर्तित कर दिये गये हैं।

सचिवालय प्रशासन, पुनर्गठन, सामान्य प्रशासन, पर्यटन, धर्मस्व, पेयजल, राज्य सम्पत्ति, बेसिक शिक्षा विभाग में समकक्ष पद न होने के कारण सूचना शून्य है।

शेष विभागों यथा–वन एवं पर्यावरण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पशुपालन, वाणिज्य कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, उच्च शिक्षा, उद्यान एवं रेशम, तकनीकी शिक्षा, राजस्व, बाल विकास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नागरिक उड्डयन तथा पंचायती राज विभाग द्वारा शासनादेश का अनुपालन करने की कार्यवाही की जा रही है।

अवशेष विभागों द्वारा शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उत्तरांचल में मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के समाधान हेतु गठित समिति

4–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल में मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के समाधान हेतु लगभग एक वर्ष पूर्व अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक वेतन समिति का गठन किया गया था ?

यदि हाँ, तो उक्त समिति द्वारा अब तक कितनी वेतन विसंगतियों का समाधान किया गया तथा समिति द्वारा कितनी बार बैठकों पर आयोजन कर कर्मचारी प्रतिनिधियों को सुना गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ। राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पर विचार करने हेतु पूर्व में अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष थे। अब सम्प्रति श्री एस०के०दास (तत्समय प्रमुख सचिव गृह) की अध्यक्षता में समिति गठित है।

गठित समिति द्वारा बैठक कर सम्बन्धित विभागों से निर्धारित प्रपत्र पर सूचना तथा साक्ष्य के अभिलेख मांगे गये हैं।

प्रदेश में आपदा राहत कोष के आवंटन की नीति

5–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आपदा राहत कोष की धनराशि आवंटन की क्या नीति है तथा जिलाधिकारी के विवेकाधीन कोष में कितनी धनराशि उपलब्ध रहती है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य आपदा राहत समितियों की सी०आर०एफ० धन आवंटन में क्या भूमिका है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

आपदा राहत कोष में 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश होता है। आपदा राहत कोष की धनराशि व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कोष की धनराशि व्यय की जाती है। समस्त जिलाधिकारी के निवर्तन पर वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही एकमुश्त धनराशि आवंटित की जाती है। जिसका उपयोग जिलाधिकारियों द्वारा दैवी आपदा से प्रभावितों में राहत सहायता वितरण एवं दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य पर तात्कालिकता के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 2005-06 में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण त्वरित गति से कराने के आशय से कुछ सीमा तक विकेन्द्रीकृत करने का निर्णय लिया गया था। निर्णयानुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए रु0 25-25 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपरोक्त स्वीकृति मा0 सदस्य, विधान सभा की संस्तुतियों पर दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त एवं भारत सरकार के निर्देशों से आच्छादित कार्यों पर रु0 5.00 लाख तक की स्वीकृति जिलाधिकारी एवं रु0 10.00 लाख तक की स्वीकृति मण्डलायुक्तों द्वारा किये जाने का प्राविधान किया गया है।

राज्य आपदा राहत समिति द्वारा राज्य में दैवी आपदा से हुई क्षति, राहत वितरण एवं क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता तथा धनराशि के सही उपयोग आदि की समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार मार्ग दर्शन एवं संस्तुति प्रदान की जाती है।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट वि0ख0 की ग्राम पंचायत तिपौला में "अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक" की शाखा की माँग

6-श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तिपौला, चमीनी, कुनस्यारी एवं खलना आदि की क्षेत्रीय जनता विगत चार वर्ष से "तिपौला" स्थान पर "अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक" की शाखा खोले जाने की माँग करती आ रही है ?

यदि हाँ, तो उक्त स्थान पर बैंक की शाखा कब तक खोल दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत-

जी हाँ। जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तिपौला में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने विषयक माँग श्री श्याम सिंह, प्रधान निवासी जनपद अल्मोड़ा द्वारा दी गई एवं श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, तत्कालीन सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22-7-2004 को सदन में उपस्थापित याचिका विधान सभा, समिति अनुभाग के पत्र संख्या 1641/वि0स0/140/या0स0/04, दिनांक 26-6-2004 के माध्यम से प्राप्त हुई।

विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तिपौला स्थान में अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक की शाखा खोले जाने हेतु विभाग द्वारा सर्वे कराया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार तिपौला में बैंक शाखा, कार्यालय भवन किराया, कर्मचारियों का वेतन, भत्ते एवं स्टेशनरी की प्रतिपूर्ति नहीं कर पायेगी। इस प्रकार प्रबन्धकीय व्यय की प्रतिपूर्ति न हो पाने के कारण तिपौला में नई शाखा का खोला जाना स्वाश्रयी नहीं है। अतः बैंक शाखा खोला जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

7—श्री अजय भट्ट—

द्वितीय मंगलवार के अता0 9 में स्थानान्तरित।

आपदा प्रबन्धन विभाग का ढांचा एवं उसका स्वरूप

8—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आपदा प्रबन्धन विभाग का ढांचा बना लिया गया है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है और विभाग द्वारा आपदा प्रबन्धन के क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध की व्यवस्था सुदृढ़ बनाये जाने हेतु समस्त जनपदों में जनपदस्तरीय आपातकालीन परिचालन समूह की स्थापना तथा राज्य स्तर पर स्वायत्तशासी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना की गई है। वर्तमान में राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना की जा रही है। उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम बना लिया गया है। जिसके अन्तर्गत राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाती है। उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार दैवी आपदा से प्रभावितों में तत्काल राहत सहायता वितरण तथा दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण तात्कालिक के आधार पर किया जाता है। दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की अस्थायी आवासीय व्यवस्था, भोजन, चिकित्सा, पेयजल आपूर्ति आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है तथा दैवी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव के कार्य किये जाते हैं। वर्तमान में खोज एवं बचाव से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्य आयोजित किये जा रहे हैं और राहत एवं बचाव से सम्बन्धित उपकरणों की व्यवस्था जनपदों में की जा रही है। प्रत्येक जनपद की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें बना ली गई हैं तथा प्रत्येक ग्राम में ग्रामस्तरीय अंतरक्षेपण दलों का गठन तथा प्रत्येक गाँव हेतु आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का निर्माण किया जा रहा है। आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में आकड़ों का संग्रह, मानचित्रीकरण, सूचना प्रणाली एवं न्यूनीकरण आदि के कार्य सुनिश्चित किये जा रहे हैं तथा संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किये जा रहे हैं।

दैवी आपदा की घटना की सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान हेतु समस्त जनपदों को वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोड़ा गया है तथा 10 जनपदों में सैटेलाइट फोन की व्यवस्था की जा चुकी है।

वर्तमान में कतिपय जनपदों में आपदा जोखिम परियोजना संचालित की जा रही है। निर्माण कार्यों में भूकम्प अवरोधी तकनीकी समावेश हेतु तकनीकी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निर्माण कार्यों में भूकम्प अवरोधी तकनीकी के समावेश हेतु जनपदों एवं सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये हैं। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन हेतु जागरूकता के रूप में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है तथा समय-समय पर सेमिनार एवं कार्यशालायें आयोजित की जा रही हैं।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 द्वाराहाट के चौखुटिया व द्वाराहाट तहसील में पुलिस थाने का निर्माण

9-श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

"क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत चौखुटिया व द्वाराहाट तहसील में पुलिस थाना हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है ?

यदि हाँ, तो किस स्थान पर तथा निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

जी हाँ।

थाना द्वाराहाट के लिए द्वाराहाट में चयनित भूमि पर भवन का निर्माण कार्य प्रचलित है।

रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चौखुटिया हेतु चौखुटिया में भूमि उपलब्ध है तथा उसका भवन निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत यात्रा धाम मार्ग के मध्य मक्कूबैण्ड में पेयजल की सुविधा

10-श्रीमती आशा देवी-

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत यात्रा धाम में पड़ने वाले मक्कूबैण्ड में सरकार द्वारा पेयजल हेतु धन उपलब्ध कराया गया है? यदि हाँ, तो कितना और कब ?

क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में उक्त स्थान पर पेयजल सुविधा मुहैया कराने हेतु धन आवंटित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

जी नहीं।

स्थल सर्वेक्षण के उपरान्त यथोचित कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

स्टाफिंग पैटर्न के मानकानुसार ग्राम्य विकास विभाग में मुख्य सहायकों के पदों का उच्चीकरण

11-श्री प्रीतम सिंह पंवार-

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत लिपिकीय पदों के विभक्तिकरण के जो मानक पूर्व से स्वीकृत हैं, के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी संगठन की माँग पर ग्राम्य विकास विभाग उत्तरांचल में मुख्य सहायकों के पदों के उच्चीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

सम्वर्गीय स्टाफिंग पैटर्न पूर्व से निर्धारित है।

जनपद उत्तरकाशी के ग्राम्य विकास विभाग में वरिष्ठ सहायक के एक और पद का उच्चीकरण

12–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में ग्राम्य विकास विभाग में वरिष्ठ सहायक के एक और पद को उच्चीकृत किये जाने का प्रकरण वर्ष 1987 से लम्बित है ?

क्या उक्त प्रकरण शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो जनपद के ग्राम्य विकास विभाग में लिपिकीय कर्मचारियों के हित में कब तक वरिष्ठ सहायक का पद उच्चीकृत कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय पुनर्गठन शासनादेश संख्या 610/XI/05/65/04 दिनांक 24–6–2005 से किया जा चुका है।

राज्य में बाँध व अन्य परियोजनाओं में भारी विस्फोटों से प्राकृतिक जल स्रोतों एवं भूस्खलन का खतरा

13–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि राज्य में बाँध व अन्य परियोजनाओं में भारी विस्फोटों के कारण आसपास के क्षेत्रों में भूस्खलन के खतरे बढ़ रहे हैं और प्राकृतिक जल स्रोतों के अस्तित्व को भी खतरा पहुँच रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे प्रभावित क्षेत्रों व लोगों की क्षति के बदले सुविधायें दिये जाने के लिए राज्य पुनर्वास नीति में शामिल करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में परियोजनाओं में चट्टानों को हटाने के लिए आधुनिक सीमित विस्फोट की पद्धति अपनायी जाती है ताकि आसपास के क्षेत्रों में भूस्खलन अथवा प्राकृतिक जल स्रोतों के अस्तित्व को खतरा न पहुँचे।

टिहरी बाँध की झील से स्यांसू में पैदल झूला पुल डूबने के कारण प्रभावितों के लिए व्यवस्था

14–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में टिहरी बाँध परियोजना के लिए भागीरथी का जल प्रवाह रोकने के कारण स्यांसू के पास भागीरथी नदी पर बना पैदल झूला पुल जो कि बड़ी मणी, छोटी मणी, जोगथ, मठबालगाड़, खालसी व टिहरी जिले के दर्जन भर गाँवों का एकमात्र पैदल पुल शीघ्र डूबने वाला है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नये पैदल पुल के निर्माण तक आरपार जाने हेतु उक्त स्थान पर बोट की व्यवस्था करवायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

भागीरथी नदी पर स्यांसू के समीप पैदल झूला पुल जो आर0एल0 716 मी0 पर स्थित है, झील में जलभराव के कारण डूब चुका है।

जी हाँ, पुनर्वास निदेशालय द्वारा क्षेत्र में आरपार जाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जा चुकी है तथा फैरी बोट से आवागमन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 चिन्यालीसौड़ की ग्राम पंचायत कुमराड़ा के मुण्डरागाँव को टिहरी बाँध के कारण भूस्खलन का खतरा

15–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री जी अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुमराड़ा के मुण्डरागाँव को टिहरी बाँध परियोजना में भागीरथी जल प्रवाह रोकने के कारण बन रही झील से भूस्खलन का खतरा उत्पन्न हो गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार भूस्खलन को रोकने हेतु सुरक्षा के उपाय करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु शिविरों का आयोजन

16–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में विद्युत उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे भारी भरकम बिलों को संशोधित किये जाने के लिए विभाग द्वारा छोटे–छोटे विद्युत शिकायत निवारण व विद्युत बिल संशोधित शिविरों का आयोजन किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ, शिविरों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के मातली में स्थित आंचल दुग्ध डेयरी की लेखा परीक्षण में हुई अनियमितताओं की जाँच

17–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के मातली में स्थित आंचल दुग्ध डेयरी का लेखा परीक्षण जिला लेखा परीक्षा विभाग उत्तरकाशी द्वारा किया गया है ?

क्या सरकार लेखा परीक्षण आख्या उपलब्ध करायेगी ?

क्या यह सत्य है कि लेखा परीक्षा में उक्त डेयरी में लाखों रुपये का घोटाला प्रकाश में आया है ?

क्या लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त घोटाले पर आपत्ति की गई है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अनियमितता की जाँच करवाई गई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ,

जी हाँ

जी नहीं, लेखा परीक्षा द्वारा सम्प्रति अन्तरिम आपत्ति रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जिसमें अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा केवल अन्तरिम आपत्तियाँ की गयी हैं।

जी नहीं।

लेखा परीक्षा विभाग द्वारा सम्प्रति अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

अल्मोड़ा के द्वाराहाट अन्तर्गत नये वि०ख० मजखाली खोले जाने की माँग

18–श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विकास खण्ड के अन्तर्गत नया विकास खण्ड मजखाली खोले जाने की माँग क्षेत्रीय जनता लम्बे समय से करती आ रही है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है तथा विकास खण्ड की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में नये विकास खण्डों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई भी सहायता नहीं देने तथा नये विकास खण्डों के सृजन की नीति न होने के कारण वर्तमान में नये विकास खण्डों का सृजन किया जाना सम्भव नहीं है।

19–श्री अजय भट्ट–

दि० 23–2–06 के अतारांकित द्वारा उत्तरित।

अल्मोड़ा अन्तर्गत जालली, नामक स्थान पर "जालली" वि०ख० की माँग

20–श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री जी अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले के अन्तर्गत जालली नामक स्थान पर "जालली" विकास खण्ड की माँग जनता द्वारा लम्बे समय से की जा रही है ?

क्या यह सत्य है कि क्षेत्रीय जनता की वास्तविक परेशानी को देखते हुए वर्ष 1997 को जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से एक ए०डी०ओ० की नियुक्ति कर अस्थायी तौर पर जालली में विकास खण्ड की स्थापना की गई थी ?

यदि हाँ, तो आज तक विकास खण्ड न खोले जाने का क्या कारण है तथा कब तक जालली को विकास खण्ड का दर्जा दे दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

वर्ष 97 में अस्थाई रूप से एक ए0डी0ओ0 की तैनाती जालली में की गई।

जी नहीं।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में नये विकास खण्डों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई भी सहायता नहीं देने तथा नये विकास खण्डों के सृजन की नीति न होने के कारण नये विकास खण्डों का सृजन वर्तमान में किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा के सल्ट में मछोड़ नामक स्थान पर वि0ख0 की माँग

21–श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री विज्ञ हैं कि अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकास खण्ड की विशालता को देखते हुए "मछोड़" नामक स्थान पर मछोड़ विकास खण्ड की स्थापना की माँग क्षेत्रीय जनता द्वारा लम्बे समय से उठायी जाती रही है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किये गये हैं तथा कब तक मछोड़ विकास खण्ड की स्थापना कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

योजना आयोग भारत सरकार द्वारा वर्तमान में नये विकास खण्डों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई भी सहायता नहीं देने तथा नये विकास खण्डों के सृजन की नीति न होने के कारण नये विकास खण्डों का सृजन किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 द्वाराहाट के प्राथमिक विद्यालय मनेला की क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत

22–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या आपदा मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय मनेला की नवनिर्मित दीवार माह जुलाई, 2005 को अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो चुकी है ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त विद्यालय हेतु आपदा राहत कोष से कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

माह जुलाई, 2005 में अतिवृष्टि से प्राथमिक विद्यालय मनेला की प्रांगण की दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। प्रांगण की दीवार का मरम्मत कार्य आपदा राहत कोष से व्यय हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित न होने के कारण आपदा राहत कोष से धनराशि स्वीकृत की जानी सम्भव नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत जल निगम शाखा की क्षतिग्रस्त एकल पेयजल योजना का पुनर्निर्माण

23-श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल निगम शाखा रानीखेत जनपद अल्मोड़ा स्थित चौकुनी बयेरे की एकल पेयजल योजना माह जुलाई, 2005 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना का पुनर्निर्माण कर क्षेत्रीय जनता को पेयजल सुविधा उपलब्ध करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के वि0ख0 भीमताल अन्तर्गत छीड़ा ग्राम पंचायत बैलूवाखान की क्षतिग्रस्त हाईटेन्शन लाईन की मरम्मत

24-श्री नारायण सिंह जंतवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल अन्तर्गत छीड़ा ग्राम पंचायत बैलूवाखान के ऊपर से गुजरने वाली हाईटेन्शन विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है ?

यदि हाँ, तो क्षतिग्रस्त लाईन को कब तक ठीक कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत-

जी हाँ।

दिनांक 19-03-2006 को डबल पोल लगाकर लाईन ठीक कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें

25-श्रीमती आशा देवी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002 से अब तक जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कुल कितने कि0मी0 मोटर मार्ग स्वीकृत हुए ?

क्या स्वीकृत मोटर मार्गों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

78.11 कि0मी0

पूर्ण स्वीकृत लम्बाई पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

वन भूमि हस्तान्तरण न होने, समरेखण विवाद एवं निविदा अन्तिम न होने के कारण 31.31 कि0मी0 लम्बाई पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

सचिवालय परिसर में प्रवेश–पत्र हेतु विधायकों की संस्तुति

26–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि सचिवालय परिसर में प्रवेश हेतु विधायकों द्वारा संस्तुत पत्रों के आधार पर स्थायी अथवा अस्थायी (एक दिवसीय), प्रवेश–पत्र सचिवालय प्रवेश–पत्र कार्यालय द्वारा नहीं बनाये जाते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या यह विधायकों की अवमानना का विषय नहीं है ?

क्या सरकार विधायकों द्वारा संस्तुत पत्रों पर प्रवेश–पत्र जारी करवाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू करेगी ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था एवं अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा उत्तरांचल सचिवालय प्रवेश एवं सुरक्षा नियमावली, 2005 जारी की गयी है। उक्त नियमावली की व्यवस्थाओं के अनुसार ही आगन्तुकों हेतु सचिवालय प्रवेश–पत्र निर्गत किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 87/XXXI(4)2004–1(1) 2004, दिनांक 29–11–2004 में की गयी व्यवस्थानुसार मा0 सदस्य, विधान सभा की संस्तुति पर एक दिन में अधिक से अधिक पाँच (05) व्यक्तियों को निर्धारित छपी पर्ची पर पूर्ण विवरण आने पर 3:00 बजे के बाद के दैनिक प्रवेश–पत्र विधान सभा मुख्य प्रवेश–पत्र कार्यालय से केवल विधान सभा हेतु जारी किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

टिहरी बाँध झील का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री देव सुमन के नाम से रखने की माँग

27—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या मुख्यमंत्री जी अवगत हैं कि टिहरी बाँध बनने से विशाल झील अस्तित्व में आ चुकी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त झील का नाम, सुमन सरोवर/सुमन सागर जनपद टिहरी के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री देव सुमन के नाम से रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

टिहरी बाँध की अन्तिम व्यावर्तन सुरंग संख्या टी–2 बन्द होने के बाद लगभग 20.09 वर्ग कि०मी० झील अस्तित्व में आ चुकी है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 42.00 वर्ग कि०मी० अनुमानित है।

नामकरण का प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के वि०ख० भीमताल के ग्राम पाण्डेगाँव के तोक भौंकर में तुसरानी गधेरे में भूस्खलन रोकने के लिए चैक डाम बनाने की योजना

28—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या आपदा मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल ग्राम पाण्डेगाँव के तोक भौंकर में तुसरानी गधेरे में भूस्खलन को रोकने के लिए लगाये गये चैक डाम टूट कर बह चुके हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर चैक डाम बनाये जाने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है तथा चैक डाम कब तक बनाया जायेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

विगत छः वर्षों से विकास खण्ड भीमताल के ग्राम पंचायत पाण्डेगाँव के तोक भौंकर में तुसरानी गधेरे में भूस्खलन रोकने के लिए कोई चैक डाम निर्मित नहीं किये गये हैं।

आपदा राहत कोष से व्यय हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों यथा–यातायात से सम्बन्धित अवसंरचना, प्राथमिक विद्यालय, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं पेयजल योजनाओं के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु धनराशि अनुमन्य है। चैक डाम बनाये जाने हेतु धनराशि आपदा राहत कोष से अनुमन्य नहीं है। जिस कारण आपदा राहत कोष से भूस्खलन रोकने हेतु चैक डाम बनाये जाने हेतु धनराशि स्वीकृति की जानी सम्भव नहीं है।

जनपद चमोली के वि०ख० पोखरी के ग्राम सभा सठियाना में मुलेठा तोक पेयजल योजना

29–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा के प्रथम सत्र 2004 के प्रथम मंगलवार हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त योजना पूर्ण कर ग्राम सभा को हस्तान्तरित कर दी गई है ?

यदि हाँ, तो उक्त योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत ग्राम सभा सठियाना में मुलेठा तोक पेयजल योजना पूर्ण हो गयी है। योजना से सम्बन्धित प्रपत्र तैयार कर योजना ग्राम सभा को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

योजना पर रु0 5.95 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली वि०ख० पोखरी के क्वीठी गाँव हेतु पेयजल योजना

30–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के क्वीठी गाँव को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के क्वीठी गाँव की पेयजल योजना अनु0 लागत रु0 99.98 लाख त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित एवं स्वीकृत है। योजना में सम्मिलित बस्तियों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	बस्तियों का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	बस्तियों की श्रेणी
1.	क्वीठी	क्वीठी	एन0सी0
2.	प्राइमरी स्कूल	क्वीठी	—
3.	जू0 हा0 स्कूल	क्वीठी	—
4.	बाव मल्ला	क्वीठी	एन0सी0
5.	बाव तल्ला	क्वीठी	एन0सी0
6.	मूल्यागाँव	क्वीठी	एन0सी0
7.	धारमाह	क्वीठी	एन0सी0
8.	खूदेरूधार	क्वीठी	एन0सी0
9.	काण्डा	काण्डा	पी0सी0
10.	भाटी	काण्डा	पी0सी0

11.	प्राइमरी स्कूल	काण्डा	—
12.	भाग	काण्डा	एन०सी०
13.	प्राइमरी स्कूल	काण्डा	—
14.	पंजुला	काण्डा	एन०सी०
15.	डाडाखाल	तोली	एन०सी०
16.	प्राइमरी स्कूल	तोली	—
17.	तोली	तोली	पी०सी०

हरिद्वार के लालढांग में 'नाबार्ड वित्त पोषित' राजकीय नलकूपों की स्थापना के मानक

31—श्री तसलीम अहमद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग (हरिद्वार) में 'नाबार्ड वित्त पोषित' राजकीय नलकूपों की स्थापना में क्या मानक अपनाये जा रहे हैं और किस श्रेणी के किसानों को इसका लाभ पहुँचना चाहिए ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन किसानों की भूमि पर राजकीय नलकूप लगाये जा रहे हैं क्या उन्हें उस भूमि का मुआवजा दिया गया है ?

यदि हाँ, तो कितना ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

विधान सभा क्षेत्र लालढांग (हरिद्वार) में "नाबार्ड वित्त पोषित" राजकीय नलकूपों की स्थापना में शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम 75 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र का मानक अपनाया जा रहा है। सामान्यतया सभी श्रेणी के कृषक जिनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है, को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

अभी सम्बन्धित कृषकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नलकूप के निर्माण की योजना में ली गयी भूमि का मुआवजा दिये जाने का प्राविधान है, जिसका भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त किया जायेगा।

नाबार्ड वित्त पोषित राजकीय नलकूपों को स्थापित करने में जन प्रतिनिधियों की सहमति

32—श्री तसलीम अहमद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नाबार्ड वित्त पोषित राजकीय नलकूपों को स्थापित किये जाने में क्षेत्र के जन प्रतिनिधि (विधायक) की सहमति ली जाती है ?

यदि हाँ, तो विभाग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र लालढांग (हरिद्वार) में लगाये जा रहे राजकीय नलकूपों हेतु क्षेत्रीय विधायक की सहमति क्यों नहीं ली गयी ?

श्रीमती अमृता रावत–

नलकूप की स्थापना में सिंचन क्षमता की वृद्धि करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रमुख उद्देश्य निहित है। नलकूपों की स्थापना हेतु जन आकांक्षाओं के अनुरूप जन प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त होने पर उनका यथोचित संज्ञान लिया जाता है, परन्तु स्थल चयन के सम्बन्ध में तकनीकी आधार पर ही अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में नापड़, रोड़ापूर्ति इत्यादि में आपदा से ध्वस्त पुलों का निर्माण

33–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या दैवीय आपदा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2005 में नापड़, रोड़ा पूर्ति, खूखेत में दैवीय आपदा से कुल कितने पैदल पुल बह गये थे ? क्या सरकार बरसात से पहले इन पुलों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 2005 में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत नापड़, रोड़ापूर्ति खूखेत में दैवी आपदा से 6 पुल बह गये थे। नापड़–सिलंगड़ा में पुलिया पुनर्निर्माण एवं मैनथल सुरखेत में पुलिया पुनर्निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। अन्य पुलों के पुनर्निर्माण के लिए आगणन ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से गठित कराये जा रहे हैं। वर्षात से पूर्व पुलिया पुनर्निर्माण का प्रयास किया जायेगा।

जनपद पिथौरागढ़ के धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना के मुख्य टनल में रिसाव के कारण प्रभावित परिवारों का पुनर्वास

34–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना के मुख्य टनल में रिसाव के क्या कारण हैं?

रिसाव से कुल कितने परिवार प्रभावित हुए ?

क्या सरकार प्रभावित परिवारों को अन्यत्र पुनर्वासित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्राप्त सूचना अनुसार टनल टेस्टिंग के दौरान दबाव से पानी दबाव रिलीफ छिद्रों से रिसाव हुआ।

24 परिवार।

जी हाँ।

कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के महादेवी साहित्य संग्रहालय रामगढ़ में "सृजन पीठ" स्थापित करने की योजना

35—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि महादेवी साहित्य संग्रहालय, रामगढ़ जनपद नैनीताल में महादेवी वर्मा "सृजन पीठ" स्थापित करने की योजना को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ?

यदि हाँ, तो "सृजन पीठ" की स्थापना को सरकार द्वारा अभी तक कितनी धनराशि अवमुक्त कर दी गई है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि "सृजन पीठ" कब तक कार्य प्रारम्भ कर देगी तथा वर्ष 2002 से संग्रहालय में कार्यरत शोध सहायक व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके निर्धारित वेतनमान पर समायोजित न करने के क्या कारण हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

रुपये एक सौ पचास लाख की धनराशि कोरपस निधि बनाये जाने के लिए स्वीकृत की गयी है।

यथा शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा शोध सहायक की सेवायें 01 दिसम्बर, 2003 से समाप्त कर दी गयी थी, संग्रहालय में पूर्व में कार्यरत रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मी को विश्वविद्यालय द्वारा संग्रहालय की देख–रेख तथा चौकीदारी के लिए संविदा पर रखा गया है।

शोध सहायक की सेवायें पूर्व में ही समाप्त होने तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मी के संविदा पर कार्यरत होने के कारण समायोजन का औचित्य नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विनायक कच्ची नहर को पक्की नहर बनाने की माँग

36—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विनायक कच्ची नहर में जगह–जगह पानी रिसाव के कारण सिंचाई नहीं हो पा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पक्की नहर का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

नहर में कुछ जगह रिसाव के कारण आंशिक सिंचाई हो रही है।

रिसाव वाली जगह में पक्की नहर का निर्माण कराया जायेगा।

माह अप्रैल, 2006 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के बरड़ नदी के कटाव की रोकथाम

37–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बरड़ नदी के कटाव से प्रेम नगर से लगी नाप भूमि तथा मकानों में दरारें पड़ी हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार रोकथाम हेतु तटबन्ध बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी हाँ।

विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त योजना बनाया जाना प्रस्तावित है तथा कार्य को प्रारम्भ किया जाना योजना की तकनीकी स्वीकृति एवं धनावंटन पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट नगर में सीवर लाइन का प्रस्ताव

38–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट नगर में सीवर लाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मास्टर प्लानिंग के अन्तर्गत जलोत्सारण योजना का विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ के थल में डिग्री कालेज खोलने पर विचार

39—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्र की जनता की माँग को देखते हुए थल में डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

थल (पिथौरागढ़) में महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का औचित्य नहीं बनता।

उत्तरांचल में स्थित उ0प्र0 आवास विकास परिषद् की रिक्त भूमि को राज्य के आवास विकास परिषद् को स्थानान्तरित करने की माँग

40—श्री हरबंस कपूर—

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में स्थित उ0प्र0 आवास विकास परिषद् की रिक्त भूमि को राज्य के आवास विकास परिषद् के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जा चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की परिसम्पत्तियों के निस्तारण हेतु दोनों प्रदेशों के मध्य इस बात पर सहमति हुई है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की कुल परिसम्पत्तियों से देनदारी एवं डिक्रीटल धनराशि घटाने पर अवशेष धनराशि रु0 2244.34 लाख को जनसंख्या के अनुपात (1321:70) में विभाजित करने पर उत्तरांचल राज्य के पक्ष में रुपये 112.93 लाख की धनराशि, जो उत्तरांचल को देय होगी, और परिषद् उत्तरांचल में स्थित अपनी समस्त सम्पत्तियों के निस्तारण करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी।

41—श्री हरबंस कपूर—

तृतीय सोम0 के अता0 01 में स्थानान्तरित।

42—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

प्रथम मंगल के 104 में स्थानान्तरित।

जनपद पौड़ी में जाखणीखाल को पृथक विकास खण्ड किये जाने की माँग

43–श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में जाखणीखाल को पृथक विकास खण्ड के रूप में निर्मित किये जाने की माँग बहुत समय से की जा रही है?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक विकास खण्ड का गठन करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी नहीं।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में नये विकास खण्डों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई भी सहायता नहीं देने तथा नये विकास खण्डों के सृजन की नीति न होने के कारण वर्तमान में नये विकास खण्डों का सृजन किया जाना सम्भव नहीं है।

हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में राज्य योजना, जिला योजना और राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित गाँव

44–श्री तसलीम अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग (जिला हरिद्वार) में वर्ष 2003–04, 2004–05, 2005–06 में राज्य योजना, जिला योजना और राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित किन–किन ग्रामों के विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं ?

तथा किन ग्रामों के कार्य (विद्युतीकरण कार्य) शेष हैं ?

क्या सरकार शेष विद्युतीकरण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु प्रभावी आदेश विभागीय अधिकारियों को देगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 173 पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 2003–04, 2004–05 तथा 2006–06 में उक्त लालढांग (हरिद्वार) विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 13 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है (संलग्नक–1)।

15 गाँवों का विद्युतीकरण शेष है (संलग्नक–1), जिन्हें राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। (सूची संलग्न)

शेष गाँवों का विद्युतीकरण प्रस्तावित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के रमोलसारी, ब्लाक थौलधार में भू–स्खलन से प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाये जाने पर विचार

45–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री मित्र हैं कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत ग्राम रमोलसारी, ब्लाक थौलधार में अक्टूबर, 2005 से लगातार भूस्खलन हो रहा है तथा लोग टैन्टों में रह रहे हैं ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त ग्राम में लगभग 15 परिवारों की जमीन व मकान भूस्खलन से तबाह हो गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के लोगों को अन्यत्र बसाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नहीं बल्कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के ग्राम रमोलसारी में दिनांक 31–3–2005 से हुए भूस्खलन से गाँव के कुल 76 परिवार प्रभावित हुए हैं जिनमें से 15 परिवार अत्यधिक प्रभावित हुए हैं और उन्हें उनके वर्तमान आवासों से अन्यत्र अन्तरित किया गया है। ग्राम रमोलसारी के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु विकास खण्ड थौलधार के ग्राम खाण्ड बिड़कोट में राज्य सरकार व वन विभाग की भूमि चिन्हित की गयी है। चिन्हित की गयी भूमि के हस्तान्तरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं। भारत सरकार की अनुमति से भूमि हस्तान्तरित कर प्रभावित परिवारों को चयनित की गयी भूमि में पुनर्वासित करने की कार्यवाही की जायेगी।

डोईवाला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु नलकूपों की निर्माण योजना

46–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में डोईवाला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु कुल कितने नलकूप, लघु नलकूप स्वीकृत हुए तथा उनमें से कितने नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है?

क्या मा0 मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जलापूर्ति हेतु कितने नलकूपों से पानी दिया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है तथा कितने नलकूपों से पानी की आपूर्ति प्रारम्भ नहीं हो सकी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

डोईवाला विधान सभा क्षेत्र हेतु तीन लघु नलकूप तथा 14 नलकूप स्वीकृत हुए हैं। दो लघु नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

निर्मित दोनों लघु नलकूपों से पानी की आपूर्ति की जा रही है तथा 14 नलकूप निर्माणाधीन होने एवं एक लघु नलकूप पर विद्युत संयोजन न होने के कारण इनसे पानी की आपूर्ति प्रारम्भ नहीं हुई है।

देहरादून के डोईवाला नगर पंचायत में सीवर व्यवस्था एवं जलापूर्ति का प्रस्ताव

47—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर पंचायत डोईवाला देहरादून में सीवर व्यवस्था एवं जलापूर्ति निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो डोईवाला में कब तक सीवर एवं जलापूर्ति निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी व्यवसायी पंकज खण्डेलवाल के हत्यारों की गिरफ्तारी

48—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत दि० 24 जनवरी, 2006 को हल्द्वानी के व्यवसायी पंकज खण्डेलवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी ?

यदि हाँ, तो इस हत्याकांड में लिप्त हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

व्यवसायी श्री पंकज खण्डेलवाल की हत्या के सम्बन्ध में थाना हल्द्वानी में पंजीकृत मु०अ०सं०—546/06 धारा 302 भा०द०वि० बनाम अज्ञात की विवेचनोपरान्त घटना में लिप्त दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में लिप्त शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सभी प्रयास किये गये हैं तथा अभियोग के सफल अनावरण हेतु जनपदीय पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस०ओ०जी०) को नियुक्त किया गया है।

जनपद नैनीताल वि०ख० भीमताल की ग्राम पंचायत गैठिया के आलू खेत में अतिवृष्टि से हुए भूस्खलन का उपचार

49—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि "आलू खेत" ग्राम पंचायत "गैठिया" विकास खण्ड भीमताल जनपद नैनीताल में सन् 1993 में हुई अतिवृष्टि के कारण गाँव को खतरा उत्पन्न हो गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वहाँ पर सुरक्षात्मक उपाय करने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 1993 में आलू खेत में अतिवृष्टि के कारण गैठिया मोटर मार्ग के मध्य आलू खेत में भूस्खलन हुआ था। वर्षा समाप्ति के उपरान्त भूस्खलन होना बन्द हो गया था।

आपदा राहत कोष से व्यय हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों यथा यातायात से सम्बन्धित अवसंरचना, प्राथमिक विद्यालय, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं पेयजल योजनाओं के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु धनराशि अनुमन्य है। भूस्खलन से सुरक्षात्मक कार्य हेतु धनराशि आपदा राहत कोष से अनुमन्य नहीं है।

जनपद नैनीताल के ग्राम कालाढूंगी खास में 175 भूमिकब्जेदारों को स्वात्वाधिकार

50–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल ग्राम कालाढूंगी खास में सन् 1947 से पूर्व से निवास कर रहे 175 भूमि कब्जेदारों को स्वात्वाधिकार से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये हैं ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

ग्राम कालाढूंगी खास, तहसील कालाढूंगी में वर्ष 1947 से पूर्व के 175 कब्जेदारों को उत्तर प्रदेश विलेज आबादी एक्ट संख्या 3, वर्ष 1948 की धारा 3 के अन्तर्गत आबादी से सम्बन्धित भूमि पर स्वतः ही स्वामित्व प्राप्त हो गया है। प्रश्नगत भूमि राजस्व विभाग के अभिलेख खतौनी में आबादी के वर्ग में भी दर्ज है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को सेवायोजित करने का आधार एवं उनका विवरण

51–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में सक्रिय कितने राज्य आन्दोलनकारियों को आज तक सेवायोजित किया गया है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि आन्दोलनकारियों को सेवायोजित करने का क्या आधार है तथा जनपदवार सेवायोजित आन्दोलनकारियों की संख्या कितनी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अब तक कुल 458 उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को सेवायोजित किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल में निरूद्ध रहे आन्दोलनकारियों को राज्य आन्दोलन के दौरान घायल होने तथा सात दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल जाने की पुष्टि समस्त अभिलेखों से समुचित रूप से करने के पश्चात् लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह "ग" एवं "घ" के पदों पर सेवायोजित किये जाने का आधार है। अब तक सेवायोजित आन्दोलनकारियों का जनपदवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	जनपद	सेवायोजित आन्दोलनकारियों की संख्या
1.	देहरादून	133
2.	हरिद्वार	02
3.	पौड़ी गढ़वाल	36
4.	चमोली	15
5.	टिहरी	40
6.	रुद्रप्रयाग	15
7.	उत्तरकाशी	54
8.	नैनीताल	14
9.	अल्मोड़ा	11
10.	पिथौरागढ़	04
11.	बागेश्वर	03
12.	चम्पावत	38
13.	ऊधमसिंह नगर	93
	योग	458

जनपद पौड़ी में स्व0 इन्द्रमणि बडोनी के नेतृत्व में आमरण अनशन में सम्मिलित व्यक्तियों की सूची

52–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत है कि 02 अगस्त, 1994 को जनपद पौड़ी मुख्यालय में स्व0 इन्द्रमणि बडोनी जी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति से सम्बन्धित विषय को लेकर आमरण अनशन प्रारम्भ किया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि स्व0 बडोनी जी के साथ अन्य कौन लोग आमरण अनशन में सम्मिलित थे तथा इन अनशनकारियों को कितनी अवधि तक पुलिस कस्टडी में रखा गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

स्व0 श्री इन्द्रमणि बडोनी जी के साथ निम्न व्यक्ति अनशन में सम्मिलित थे :–

1. श्री पान सिंह रावत, अल्मोड़ा।

2. श्री वासवानन्द पुरोहित, पौड़ी।

3. श्री विष्णुदत्त डिंगोला, पौड़ी।

4. श्री दिवानपाल सिंह परमार, उत्तरकाशी।

5. श्री रत्नमणी भट्ट, टिहरी।

6. श्री प्रेमदत्त नौटियाल, टिहरी।

7. श्री दौलत राम पोखरियाल, पौड़ी।

अनशनकारियों को दिनांक 8–8–1994 को गिरफ्तार किया गया तथा उसी दिन चेतावनी देकर रिहा किया गया।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तरांचल के वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को पुनः आयोग नियंत्रणाधीन करने पर विचार

53–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तरांचल के "वाहन चालक एवं चतुर्थ कर्मी के पद" विभाग द्वारा निदेशक समाज कल्याण के अधीन कर दिये गए हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पदों को पुनः आयोग के नियंत्रणाधीन करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी प्रकरणों, प्रशासकीय नियन्त्रण एवं संगठनात्मक स्वरूप में एकरूपता बनाए रखने के लिए विभागान्तर्गत संचालित उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तरांचल विकलांगजन आयुक्त कार्यालय के वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को निदेशालय समाज कल्याण के अन्तर्गत संवर्गीकृत (incadre) घोषित किया गया है।

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन द्वारा निजी नलकूपों को दी गई विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी

54–श्री हरबंस कपूर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन द्वारा वर्ष 2006–07 के लिए निजी नलकूपों को दी जाने वाली विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कितना ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं, विद्युत अधिनियम, 2003 के प्राविधानान्तर्गत विद्युत दरों के निर्धारण का कार्यक्षेत्र उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग को है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में निजी ट्यूबवेल के मीटरों तथा मीटर कुटीर ज्योति विद्युत कनेक्शन उपभोक्ताओं की संख्या

55–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में कितने मीटर लगे हुए निजी ट्यूबवेल हैं;

तथा कितने उपभोक्ताओं को बिना मीटर रीडिंग लिये विद्युत बिल भेजे जा रहे हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रदेश में कितने मीटर कुटीर ज्योति विद्युत कनेक्शन के कितने उपभोक्ता प्रदेश में हैं ?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्तमान में प्रदेश में मीटर लगे हुए 8411 निजी ट्यूबवेल हैं।

46536 उपभोक्ताओं को बिना मीटर रीडिंग लिए हुए विद्युत बिल भेजे जा रहे हैं।

प्रदेश में कुल 73969 मीटर कुटीर ज्योति विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ता हैं।

प्रदेश में नियुक्त लाइनमैनों की संख्या तथा रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही

56–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वर्तमान में कितने लाइनमैन कार्यरत हैं और कितने लाइनमैनों के पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार इन रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरेगी ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्तमान में राज्य में 914 लाईनमैन कार्यरत है तथा 66 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

समय–समय पर रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में निजी शौचालय के निर्माण हेतु अनुदान देने पर विचार

57–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार निजी शौचालय के निर्माण हेतु अनुदान देने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार आवासों के साथ शौचालयों का निर्माण अनिवार्य रूप से सम्पन्न कराया जा रहा है।

राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग प्रतिष्ठानों में रोजगार हेतु नीति

58–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में स्थापित हो रहे उद्योगों में राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

उद्योग विभाग से सम्बन्धित नहीं है, परन्तु श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य की 10 सूत्रीय रोजगार नीति, 2005 विधिवत् तैयार कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में बाल सुधार गृहों में बाल अपराधियों की संख्या तथा उनके पुनर्वास हेतु ठोस नीति

59—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जनपदवार कुल कितने बाल अपराधी बाल सुधार गृहों में रह रहे हैं ?

क्या उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस नीति बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

उत्तरांचल में संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों (बाल सुधार गृहों) में वर्तमान में कुल 47 बाल अपराधी निरुद्ध हैं जिनका जनपदवार विवरण निम्नवत् है :—

1. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह,	पौड़ी	शून्य
2. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह,	उत्तरकाशी	02
3. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह,	देहरादून	09
4. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह,	हरिद्वार	06
5. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह,	हल्द्वानी (नैनीताल)	08
6. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह,	अल्मोड़ा	शून्य
7. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह,	रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)	22
योग		47

जी हाँ।

संस्था में निरुद्ध बाल अपराधियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस हेतु क्राफ्ट प्रशिक्षकों की तैनाती की गई है। संस्था में निरुद्ध अवधि में बाल अपराधियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के साथ शैक्षणिक ज्ञान कराने की भी व्यवस्था है।

किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दोषमुक्त होने पर इन किशोरों को उनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया जाता है।

किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर के दोषी पाए जाने पर सजा की अवधि तक पुनर्वासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए जनपद हरिद्वार में राजकीय विशेष गृह की स्थापना की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ताओं का विनियमितीकरण

60—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत 14 अंशकालिक प्रवक्ताओं को अभी तक विनियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या यह सत्य है कि दिनांक 7–1–2005 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण के आदेश दिये गये थे ? यदि हाँ, तो कब तक उक्त अंशकालिक प्रवक्ताओं को विनियमित कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अंशकालिक प्रवक्ताओं को विनियमित करने की कोई विधि न होने के कारण विनियमित नहीं किया गया।

प्रकरण पर आदेशों के अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है जिस पर यथा समय यथावश्यक निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य आन्दोलन में भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने पर विचार

61–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने का सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी इस प्रकार के आन्दोलन में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं।

सरकार द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से शिक्षा विशारद उपाधि धारकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बी0एड0 के समकक्ष मान्यता

62–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद" से शिक्षा विशारद उपाधि धारकों को विश्व विद्यालय अनुदान आयोग बी0एड0 के समकक्ष मान्यता प्रदान करती है ?

यदि हाँ, तो क्या प्रदेश सरकार ने भी उक्त उपाधि धारकों को बी0एड0 के समकक्ष मान्यता प्रदान की है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से शिक्षा विशारद उपाधि धारकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बी०एड० के समकक्ष मान्यता प्रदान न करने के कारण, विश्वविद्यालय की समकक्षता समिति द्वारा भी इसे बी०एड० के समकक्ष मान्यता प्रदान नहीं की गयी है।

जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया तहसील के महाकालेश्वर में पशुचिकित्सालय के जीर्ण-शीर्ण भवन का पुनर्निर्माण

63-श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा की चौखुटिया तहसील अन्तर्गत महाकालेश्वर में पशुचिकित्सालय भवन पूर्ण रूप से जीर्ण-शीर्ण हो चुका है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त भवन का पुनर्निर्माण कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत-

जी हाँ।

यथा समय।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली के गौचर में पेयजल आपूर्ति हेतु लिफ्ट योजना की माँग

64-श्री अनिल नौटियाल-

क्या पेयजल मंत्री की जानकारी में है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर स्थित हवाई पट्टी, केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यालय हेतु पेयजल की भारी किल्लत बनी रहती है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि गौचर में पेयजल आपूर्ति हेतु लिफ्ट योजना का निर्माण कराया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

जी नहीं।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय उपलब्ध संसाधनों पर आधारित उद्योग स्थापित करने की कार्ययोजना का स्वरूप

65-श्री नारायण सिंह जंतवाल-

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय उपलब्ध संसाधनों पर आधारित उद्योग स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या कार्ययोजना तैयार कर ली गई है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त योजना पर विचार करेगी ?

श्रीमती अमृता रावत–

प्रदेश की औद्योगिक नीति, 2003 में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय उपलब्ध संसाधनों, यथा: कृषि, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण, हर्बल एवं औषधीय, गैर काष्ठ वन आधारित उद्योगों, चाय उद्योग, ऊन आधारित उद्योग, पारिस्थितिक पर्यटन उद्योग, फ्लोरीकल्चर, जैव प्रौद्योगिकी, हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्राविधान किया गया है।

हाँ। बांस एवं रेशा आधारित उद्योगों के विकास के लिए उत्तरांचल बांस एवं रेशा विकास परिषद्, खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास के लिए उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों के विकास के लिए उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद्, जैव प्रौद्योगिकी विकास के लिए जैव प्रौद्योगिक परिषद् का गठन कर उनके माध्यम से कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ऊन की उपलब्धता के लिए वूल बैंक की स्थापना की गयी है। पर्वतीय क्षेत्रों में लघु/लघु स्तरीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान सहायता योजना, 2005 तथा दूरस्थ क्षेत्रों के लिए ब्याज प्रोत्साहन सहायता योजना लागू की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में हुआ पूँजी निवेश एवं लाभान्वित बेरोजगार

66–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक कितना पूँजी निवेश हो चुका है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस निवेश के आधार पर कितने लोग रोजगार से लाभान्वित हुए ?

श्रीमती अमृता रावत–

भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक समुचित पूँजी निवेश की 260 से अधिक नई इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। इन इकाईयों में रु0 528 करोड़ के पूँजी विनियोजन के साथ 14172 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। अन्य औद्योगिक इकाईयां स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं तथा वर्ष 2006–07 के अन्त तक सभी इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की सम्भावना है। प्रस्तावित 2033 औद्योगिक इकाईयों की स्थापना होने पर लगभग 150000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसमें लगभग रु0 20.00 हजार करोड़ निवेश का अनुमान है।

जनपद नैनीताल के कालाढूँगी उच्चीकृत तहसील में मानकानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति

67—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उच्चीकृत तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल में मानक के अनुसार कर्मचारियों की कमी होने के कारण कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में यथाशीघ्र कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

68—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

प्रथम मंगल के अता0 103 में स्थानान्तरित।

पेयजल निगम में सरप्लस अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने की रूपरेखा

69—श्री हरबंस कपूर—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पेयजल निगम में अधिकारियों/कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त हैं ?

क्या यह सत्य है कि वर्तमान में स्वीकृत पदों से अधिक नियमित एवं फील्ड कर्मचारी नियुक्त हैं ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरप्लस अधिकारियों/कर्मचारियों से विभाग द्वारा क्या काम लिया जा रहा है ? क्या सरकार स्वीकृत पदों से अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य विभागों में रिक्त पदों पर समायोजित करेगी ? यदि हाँ, तो उसकी रूप–रेखा क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के संरचनात्मक ढाँचे में कुल 1619 पद स्वीकृत हैं। जिसके सापेक्ष 1648 कार्मिक नियुक्त हैं।

जी हाँ, निगम के संरचनात्मक ढाँचे में फील्ड कर्मचारियों के पद अनुमोदित नहीं हैं।

कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके पद के अनुरूप विभागीय कार्य लिये जा रहे हैं। सरप्लस कर्मियों को यथा आवश्यकता अन्य विभागों में नियमानुसार समायोजित किया जा सकता है।

उत्तरांचल अनु0 जाति/जनजाति के आरक्षित पदों की नियुक्तियों/पदोन्नतियों में बैकलॉग आरक्षण कोटे का समावेश

70–श्री हरबंस कपूर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ी जाति विद्युत कर्मचारी/अधिकारी एसोसिएशन का पत्रांक 04/एसोसियेशन/06, दि0 13-01-06 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो इस पत्रांक के सन्दर्भ में आरक्षित वर्ग की नियुक्तियों/पदोन्नति में बैकलॉग आरक्षण कोटा पूर्ण कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं अस्थायी कर्मचारियों का नियमितिकरण

71–श्री हरबंस कपूर–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

यथासमय।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 में सहायक लेखाकार के आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों पर तैनाती

72—श्री हरबंस कपूर—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 में सहायक लेखाकार के आरक्षित वर्ग के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या इन रिक्त पदों पर विभागीय कर्मचारियों को परीक्षण देकर भरा जायेगा ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 में सहायक लेखाकर के आरक्षित वर्ग के 05 पद रिक्त हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संगत नियमावली के तहत सहायक लेखाकार का पद विभागीय कर्मचारियों की परीक्षा लेकर भरे जाने का प्राविधान है।

विद्युत विभाग के भण्डार खण्डों में वर्षों से निष्प्रयोज्य सामग्री व गाड़ियों की नीलामी

73—श्री हरबंस कपूर—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विद्युत विभाग के भण्डार खण्डों में वर्षों से निष्प्रयोज्य सामग्री व गाड़ियां बेकार पड़ी हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की नीलामी करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

जी हाँ।

निष्प्रयोज्य सामग्री एवं गाड़ियों की समय—समय पर नीलामी की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 में उप महाप्रबन्धक के रिक्त आरक्षित पद पर तैनाती

74—श्री हरबंस कपूर—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 में उप महाप्रबन्धक के कितने आरक्षित पद रिक्त हैं ?

क्या इन पदों को अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्तमान में उप महाप्रबन्धक के आरक्षित श्रेणी के कोई पद रिक्त नहीं है।

इन पदों को अधिशासी अभियन्ता की पदोन्नति द्वारा भरा जा चुका है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून महानगर की डिफेन्स कॉलोनी व फ्रेन्ड्स कॉलोनी इत्यादि में सीवर लाईन बिछाने का कार्य

75–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून महानगर स्थित पूर्व सैनिकों की कॉलोनी डिफेन्स कॉलोनी व फ्रेण्ड्स कालोनी, राजीव नगर, बद्रीश कॉलोनी, सुमन नगर (धर्मपुर) आदि क्षेत्रों में सीवर लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक सीवर लाईन का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

डिफेंस कॉलोनी, फ्रेन्ड्स कॉलोनी, राजीव नगर व बद्रीश कॉलोनी में महायोजना के प्रस्तावों के अनुरूप जोन–एल में सीवर लाइन बिछाने एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु विस्तृत प्राक्कलन विचाराधीन है। सुमन नगर (धर्मपुर) जोन–डी के अन्तर्गत आता है। इस क्षेत्र में सीवर लाईनों के एलाइनमेन्ट में जगह–जगह पर नाले के पुश्ते होने एवं तकनीकी समस्याओं के दृष्टिगत विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है।

विस्तृत प्राक्कलन निश्चित होने के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर।

उपरोक्तानुसार।

देहरादून में उत्तरांचल लोक संस्कृति, कला, नाट्य आदि के विकास हेतु प्रेक्षागृह का निर्माण

76–श्री हरबंस कपूर–

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल की अस्थायी राजधानी देहरादून में उत्तरांचल की लोक संस्कृति, कला, नाट्य आदि के विकास हेतु बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ, देहरादून में सांस्कृतिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं यथा–प्रेक्षागृह, कला वीथिका आदि को सम्मिलित कर एक सांस्कृतिक परिसर बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। वर्तमान में योजना का कनसेप्ट प्लान तैयार कराया जा रहा है। उसके उपरान्त वित्तीय संसाधनों के अधीन इस योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून–हरिद्वार बाईपास मार्ग पर रिस्पना के किनारे पर प्रेक्षागृह का निर्माण

77–श्री हरबंस कपूर–

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून–हरिद्वार बाईपास मार्ग पर रिस्पना के किनारे विभाग द्वारा प्रेक्षागृह बनाये जाने हेतु शिलान्यास किया गया था ?

यदि हाँ, तो कब ?

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

दिनांक 25 जून, 2000 को ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस कार्य हेतु यद्यपि धनराशि स्वीकृत की गयी थी तथापि यह कार्य सम्बन्धित निर्माण संस्था द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया।

देहरादून के डिस्पेंसरी रोड स्थित जिला पशु चिकित्सालय का स्थानान्तरण

78–श्री हरबंस कपूर–

क्या पशुधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून नगर के डिस्पेंसरी रोड स्थित जिला पशु चिकित्सालय को शहर से बाहर स्थानान्तरित किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

यथा समय।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर में डी०आर०डी०ए० बायफ डेवलपमेन्ट रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा पशु विकास केन्द्र खोलने के कार्य की स्थिति

79–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में डी०आर०डी०ए०, बायफ डेवलपमेन्ट रिसर्च फाउण्डेशन एवं उत्तरांचल शासन के मध्य दिनांक 10 जून, 2002 में हुए एग्रीमेन्ट में जनपद ऊधमसिंह नगर में बनाये जाने वाले 6 बायफ पशु विकास केन्द्र खोले जाने हेतु शासन द्वारा धन अवमुक्त किया गया है ?

यदि हाँ, तो कब और कितना ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ। डी०आर०डी०ए० एवं बायफ के मध्य 04 केन्द्रों को संचालित करने हेतु अनुबन्ध किया गया था किन्तु डी०आर०डी०ए० द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी।

दिनांक 6 दिसम्बर, 2003 को 06 नये केन्द्रों के संचालन हेतु डी०आर०डी०ए० की शासी निकाय की बैठक में नये केन्द्रों के संचालन हेतु धनराशि अवमुक्त करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत न होने के कारण बायफ पशु विकास केन्द्र संचालित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा के वि०ख० ताड़ीखेत में "सेरी गधेरा डौरब, टूनाकोट, बजीना–टूनाकोट–रूपा" नामक विवादित पेयजल योजना का निपटारा

80–श्री अजय भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत के ग्राम डौरब, टूनाकोट, बजीना एवं रूपा हेतु "सेरी गधेरा डौरब–बजीना टूनाकोट–रूपा" नाम की कोई पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी ?

क्या यह सत्य है कि उक्त पेयजल योजना का निर्माण विवाद के कारण आरम्भ नहीं हो पाया ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त विवाद को सुलझाने एवं पेयजल योजना निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी हाँ। प्रस्तावित स्रोत पर विवाद होने व स्राव कम हो जाने के कारण योजना पर निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हो पाया।

योजना निर्माण हेतु पर्याप्त स्राव वाले वैकल्पिक गुरुत्व स्रोत की तलाश की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

को–ऑपरेटिव फेडरेशन से राज्य सहकारी विपणन संघ में स्थानान्तरित/समायोजित तकनीकी सहायकों की संख्या

81–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश को–ऑपरेटिव फेडरेशन से उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ में स्थानान्तरित/समायोजित तकनीकी सहायकों की संख्या कितनी है ?

क्या यह सत्य है कि इन तकनीकी सहायकों से अवर अभियन्ताओं से सम्बन्धित तथा अन्य कार्य भी लिये जा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या इन तकनीकी सहायकों को तकनीकी संवर्ग के अन्तर्गत अवर अभियन्ता का वेतनमान दिया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

उत्तर प्रदेश को–ऑपरेटिव फेडरेशन के आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, देहरादून को मात्र एक तकनीकी सहायक मिला है।

उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, देहरादून में तकनीकी सहायक का कोई पद एवं कार्य न होने के कारण तकनीकी सहायक से लिपिक वर्गीय कार्य लिया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ द्वारा कृषि यन्त्रों (मोटर पम्प) की बिक्री की जिस योजना के अन्तर्गत तकनीकी सहायकों को भर्ती किया गया था वह योजना लगभग 15 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई थी। संघ में तकनीकी सहायक का कोई पद नहीं है और न ही संघ में इलेक्ट्रिशियन से सम्बन्धित कोई कार्य ही है। अतः विभाजन से मिले तकनीकी सहायक से लिपिक वर्गीय कार्य लिया जा रहा है।

जनपद पिथौरागढ़ में देवलथल के ग्राम भण्डारी गाँव तथा जुगापानी के शेष छूटे घरों का विद्युतीकरण

82—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में देवलथल के ग्राम भण्डारी गाँव तथा जुगापानी ग्राम में आधे गाँव का विद्युतीकरण किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार शेष छूटे परिवारों के घरों का विद्युतीकरण वर्ष 2006 में करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्ष 2006—07 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

पंतनगर—गदरपुर वि0स0 क्षेत्र के गूलर—भोज में बन्द आई0टी0आई0 में तकनीकी शिक्षा प्रारम्भ करने पर विचार

83—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर के 60 पन्तनगर—गदरपुर विधान सभा क्षेत्र के गूलरभोज में स्थित बन्द आई0टी0आई0 में तकनीकी शिक्षा प्रारम्भ किये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के 60, पन्तनगर—गदरपुर विधान सभा क्षेत्र के गूलरभोज में अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षणार्थियों हेतु एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तकनीकी शिक्षा हेतु संचालित है। जिसमें 03 व्यवसायों में 79 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गूलरभोज पूर्णतया कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग की पंचायत रविग्राम फाटा के राजस्व ग्राम रैल में विद्युतीकरण

84—श्रीमती आशा देवी—

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग में ग्राम पंचायत रविग्राम फाटा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम रैल में अभी भी विद्युत लाईन नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार यथाशीघ्र उक्त गाँव में विद्युत संयोजन करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक विद्युतीकरण किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्ष 2006–07 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

पुराने टिहरी शहर के घण्टाघर से घड़ी की चोरी

85–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पुराने टिहरी शहर के घण्टाघर की ऐतिहासिक घड़ी को किस स्थान पर स्थापित किया गया है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त घड़ी चोरी हो गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

पुराने टिहरी शहर, घण्टाघर में स्थित घड़ी को किसी अन्य स्थान पर स्थापित नहीं किया गया है।

जी हाँ।

जी हाँ।

घड़ी की चोरी हो जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना, टिहरी में दिनांक 14–11–03 को दर्ज कराई गई थी। प्रकरण में श्री शरीफ अहमद अन्तर्लिप्त पाये जाने के कारण उनकी गिरफ्तारी के आदेश हुए, जिसके विरुद्ध श्री शरीफ अहमद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में वाद दायर किया गया, वर्तमान में प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

नैनीताल शहर के "शेर का डांडा" के लिए सुरक्षात्मक उपाय हेतु योजना/स्वरूप

86–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल शहर के "शेर का डांडा" के लिए सुरक्षात्मक उपाय हेतु आई0आई0टी0, रुड़की द्वारा कोई योजना तैयार करायी गई है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार "शेर का डांडा" क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं। "शेर का डांडा" क्षेत्र के सुरक्षात्मक उपाय हेतु आई0आई0टी0 रुड़की द्वारा अध्ययन रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नैनीताल में ग्राण्ड होटल के समीप जमीन धसने के सम्बन्ध में आई0आई0टी0, रुड़की की विशेषज्ञों से अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार माल रोड के समीप जमीन धसने के कारणों को "शेर के डांडा" के समीप हो रहे परिवर्तनों से जोड़ते हुए उक्त क्षेत्र के सुरक्षात्मक उपाय हेतु भू-गर्भीय तकनीकी परीक्षण की आवश्यकता पर बल दिये जाने का सुझाव दिया है। आई0आई0टी0, रुड़की के सुझाव के दृष्टिगत सक्षम संस्थाओं से निविदा आमंत्रित करते हुए तथा निविदाओं के मूल्यांकन की कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद नैनीताल के भीमताल में झील पर बने टापू में "एक्वेरियम" बनाने की प्रक्रिया

87–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल अन्तर्गत भीमताल में झील पर बने टापू में "एक्वेरियम" बनाने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है ?

यदि हाँ, तो इन निविदाओं पर निर्णय हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

क्या उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल में झील पर बने टापू में एक्वेरियम बनाने हेतु एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट आमन्त्रित किए गये, जिसमें 03 संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है। प्रस्तुतिकरण के पश्चात् दो संस्थाओं से वित्तीय एवं तकनीकी प्रस्ताव मांगे गये, प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों के आधार पर मै0 एक्वाजोना एक्सपोर्ट्स, नई दिल्ली को चयनित किया गया, जिसके आधार पर उनसे दिनांक 03 अगस्त, 2005 को एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम) किया गया।

जी हाँ, 10 माह की समय सीमा निर्धारित की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सुरक्षा व्यवस्था के विषय में श्री प्रकाश पंत का व्यवस्था का प्रश्न

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने अभी-अभी जानकारी प्राप्त की है कि दो व्यक्ति पानी की टंकी पर अभी भी चढ़े हुए हैं। उनके पास ज्वलनशील पदार्थ है, वह आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं, वह भी विधान सभा के सामने, यह विधान सभा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खतरा है। मान्यवर, यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष–

मैं शासन को निर्देश देता हूँ इस प्रकरण को देख लें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी सरकार द्वारा यहाँ पर सूखे के बारे में ....।

श्री अध्यक्ष–

इसको कल ले लेंगे।

उत्तरांचल में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट का व्यवस्था का प्रश्न

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं इसे व्यवस्था के रूप में ले रहा हूँ। सरकार द्वारा अभी यह कहा गया था कि हमने उत्तरांचल के सभी जिलों को सूखा प्रभावित घोषित कर, उनका ज्ञापन भारत सरकार को भेज दिया है। मान्यवर, अभी-अभी मैंने केन्द्र से फैक्स मंगाया है। मान्यवर, इस पत्र में साफ लिखा है कि "सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। भारत सरकार वित्तीय तथा सम्भार तंत्र सम्बन्धी समर्थन से राज्य सरकार के प्रयासों को सम्पूर्ण करती है। ऐसे प्रयोजन के लिए आपदा राहत कोष (सी०आर०एफ०) से राज्य सरकार के पास निधियों की तत्काल उपलब्धता रहती है और इस कोष में 75 प्रतिशत का अंशदान भारत सरकार करती है। इसके लिए राज्य सरकार को सी०आर०पी०एफ० से सहायता प्राप्त करने के लिए ज्ञापन भेजना होगा।" परन्तु मान्यवर, इस सम्बन्ध में उत्तरांचल सरकार से अभी तक ज्ञापन केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

मान्यवर, 23 तारीख की बात है जब माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सूखे से सम्बन्धित बात उठाई थी और उस पर सरकार की तरफ से उत्तर आया था कि हमने केन्द्र सरकार को पूरा सर्वे कराकर ज्ञापन भेज दिया है। मान्यवर, केन्द्रीय कृषि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री कांतिलाल भूरिया जी ने संसद सदस्य, मेजर जनरल (सेना० नि०) बी०सी० खण्डूड़ी जी द्वारा दिनांक 22-2-2006 को लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाये गये मामले में पत्र लिखा है। मान्यवर, यह पत्र मैं आपके अवलोकनार्थ भेज रहा हूँ। मान्यवर, राज्य सरकार ने सूखा से सम्बन्धित पत्र कौन सी तारीख को केन्द्र को भेजा है, इसे सरकार सदन में बताये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, कम से कम यहाँ विशेष मैसेन्जर जाना चाहिए था। मान्यवर, उत्तरांचल में सूखे से हाय-तौबा मची है, इस पर आपका विनिश्चय चाहता हूँ। मान्यवर, इतने गम्भीर मामले को हल्के में क्यों लिया और जब काम रोको प्रस्ताव माननीय कण्डारी जी ने उठाया तो उसी दिन क्यों भेजा ? मान्यवर, यह कब भेजा और कब बनाया, सभी विवरण आ जाना चाहिए ताकि प्रदेश की जनता को पता चले। मान्यवर, केन्द्र में माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम को नहीं मिला और यहाँ, सदन में सरकार कहती है कि भेज दिया। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज ही केन्द्र सरकार को इसका आगणन भेजा जाए। मान्यवर, इसमें आपका विनिश्चय चाहता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मेरी पूर्व की जानकारी है कि इसका पूर्ण आंकलन केन्द्र सरकार को भेज दिया गया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह किस तारीख को भेजा गया, इस प्रश्न का उत्तर दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कल ही इस सम्बन्ध में वार्ता हुई कि पूर्ण आंकलन भेज दिया गया, भारत सरकार की टीम की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, श्री अनिल नौटियाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्रीमती आशा देवी तथा श्री हरबंस कपूर की सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली की ग्राम सभा सेमे तलियावन में पेयजल योजना की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल की घनसाली तहसील की ग्राम सभा सेमे तलियावन में पेयजल योजना की मरम्मत न करने के कारण पेयजल का गम्भीर संकट पैदा हो गया है। जिससे स्थानीय जनता में व्यापक आक्रोश व्याप्त है। विगत चार वर्षों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उदासीनता बरती जा रही है और क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय तात्कालिक व लोक महत्व की सूचना को नियम 301 के अन्तर्गत लिया जाय तथा सरकार को प्रभावी निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 द्वाराहाट अन्तर्गत गगास नदी के घटते जल स्तर के कारण पेयजल संकट समाधान हेतु गगास नदी को जल संवर्धन योजना हेतु चयनित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी--

मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 द्वाराहाट के अन्तर्गत गगास नदी में घटते जल स्तर के कारण पिछले पाँच वर्षों से क्षेत्र में पेयजल का संकट बढ़ता जा रहा है जिससे द्वाराहाट वि0ख0 व ताड़ीखेत वि0ख0 तथा जालली, ककड़ा की लगभग 50 ग्राम सभाएं पेयजल हेतु तरस रही हैं जबकि गगास नदी से रानीखेत हेतु कुमाऊँ इन्जीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट हेतु एवं कई अन्य छोटी--बड़ी पम्पिंग पेयजल योजनाएं, सिंचाई योजनाएं जो कि करोड़ों की लागत से बनी हैं, बन्द हो जायेंगी।

अतः गगास नदी पर छोटे--छोटे चैक डैम बनाना तथा वृक्षारोपण कर जल संवर्धन किया जाना अति आवश्यक है अगर अतिशीघ्र उक्त संकट के समाधान हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है तो भारी संख्या में जनआक्रोश भड़कने की संभावना है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी एवं शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।

पेयजल निगम की विभिन्न योजनाओं पर कार्यरत कर्मचारियों का वेतन अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की भाँति शासन से स्वीकृत सेन्टेज से दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण सिंह जंतवाल--

[मान्यवर, 2002 में उत्तरांचल पेयजल निगम के गठन के साथ ही विभाग द्वारा नव गठित संरचनात्मक ढाँचा तैयार किया गया, विभाग द्वारा नवगठित ढाँचे में, कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी लिपिक संवर्ग अभियन्ताओं सहित प्रबन्ध निदेशक के पदों को सम्मिलित कर लिया गया परन्तु विभाग के विभिन्न योजनाओं पर कार्य करने वाले विभिन्न कर्मचारियों के 1450 पदों को ढाँचे से बाहर कर दिया गया। कर्मियों का वेतन व्यय भार योजनाओं पर भारित न कर जनहित एवं विभाग के हित में अन्य सवर्गीय अधिकारियों व कर्मचारियों की भाँति शासन से स्वीकृत सेन्टेज (अधिष्ठान) से ही भारित किया जावे ताकि सरकारी धन के सदुपयोग के साथ ही कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी मामलों का निस्तारण हो सके।

अतः मैं शासन से माँग करता हूँ कि कर्मचारियों की न्यायोचित माँग को सरकार स्वीकार कर विभिन्न वेतनमान के 1450 पदों को पेयजल निगम के नवगठित संरचनात्मक ढाँचे में सम्मिलित किया जावे।]

जनपद चमोली में गैरसैंण वि0ख0 अन्तर्गत पिण्डावाली में उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल नौटियाल--

मान्यवर, जनपद चमोली में गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पिण्डावाली में पेयजल की भारी किल्लत बनी हुई है। ग्रामीणों द्वारा अनेकों बार विभाग से शिकायत

नोट-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करने के बाद भी अभी तक विभाग द्वारा ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है तथा ग्रामीण परेशानी में जीवन यापन कर रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

उत्तरांचल राज्य आन्दोलन के दौरान मुजफ्फरनगर काण्ड में पीड़ित महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की सुविधा प्रदान न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तरांचल राज्य गठन के 6 वर्षों बाद भी मुजफ्फरनगर काण्ड में पीड़ित महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधाएं न देने से इन आन्दोलनकारी महिलाओं में व्याप्त जनाक्रोश की ओर दिलाना चाहता हूँ।

महोदय, प्रदेश सरकार ने मृतकों के आश्रितों, घायलों, जेल में रहने वालों के लिये तो सरकारी नौकरियाँ दी हैं, परन्तु आज समाज में वे महिलायें अपने आप को सबसे ज्यादा असहाय महसूस कर रही हैं, जिन्हें घिनौना अत्याचार सहने पर सी0बी0आई0 की रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा 10 लाख की सहायता उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दी गई थी परन्तु खेद है कि उत्तरांचल बनने के पश्चात् ये महिलायें किसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इन महिलाओं को भी मृतक आश्रितों, गम्भीर घायलों, जेल में रहने वालों को मिलने वाली सुविधायें जैसे आश्रित नौकरी या स्वयं हेतु नौकरी का लाभ दिलाने हेतु कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग के वि0ख0 ऊखीमठ अन्तर्गत ग्राम पंचायत रविग्राम (फाटा) के ग्राम रैल में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा देवी–

महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग में विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रविग्राम (फाटा) के ग्राम रैल में विद्युतीकरण कराये जाने की ओर लाना चाहती हूँ। मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रविग्राम का राजस्व ग्राम रैल आज भी विद्युतीकरण से वंचित है। जबकि प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश का नाम दिया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार अपने गाँव का विद्युतीकरण किये जाने की माँग सम्बन्धित विभाग से की जा चुकी है, लेकिन ग्रामीण जनता की उक्त माँग पर विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे ग्रामीणों में अत्यन्त आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर तत्काल कार्यवाही किये जाने की माँग करती हूँ।

देहरादून के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण के दौरान हरे-भरे वृक्षों को काटे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरबंस कपूर-

मान्यवर, उत्तरांचल की अस्थायी राजधानी देहरादून के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण के नाम पर सड़कों के किनारे सैकड़ों हरे-भरे पेड़ों को काटा गया है।

मान्यवर, मात्र देहरादून में चकराता रोड स्थित घण्टाघर से लेकर बल्लूपुर चौक तक 800 से अधिक पेड़ काटे गये हैं, जिनमें हरे-भरे पेड़ तो थे ही साथ में वह पौधे भी थे जिन्हें एक दो वर्षों पूर्व वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिनका रोपण किया गया था। विभागीय अधिकारियों ने अभी तक इस क्षेत्र में नये वृक्ष लगाने की कोई योजना नहीं बनायी है जिससे क्षेत्र में पर्यावरण के सन्तुलन को भी खतरा उत्पन्न हो गया है और सुन्दर दून हरा दून मात्र एक नारा सा रह गया है।

महोदय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय विषय की ओर मैं नियम 301 के अन्तर्गत सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सरकार वृक्षारोपण के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करे।

श्री अजय भट्ट, सा0, वि0स0 द्वारा रानीखेत के ग्राम खनिया एवं जैठा में पेयजल समस्या को नियम 300 के अन्तर्गत उठाने पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट ने अपने विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के ग्राम खनिया एवं जैठा की गम्भीर पेयजल समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में उठायी है। मेरा माननीय भट्ट जी से अनुरोध है कि वे इस सूचना को प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश 165 के अन्तर्गत दे दें, उस पर कार्यवाही कर ली जायेगी। मैं इसे नियम 300 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

उत्तरांचल विधान सभा के तृतीय सत्र वर्ष 2005 में प्राप्त नियम 301 की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा के वर्ष, 2005 के तृतीय सत्र में, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या 14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2002–2003 व 2003–2004 का वार्षिक लेखा एवं 2004–2005 की वार्षिक रिपोर्ट

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के वर्ष, 2002–2003 व 2003–2004 का वार्षिक लेखा एवं उक्त अधिनियम की धारा 105(1) के अन्तर्गत वर्ष, 2004–2005 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखती हूँ।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सुवाधार अनुसूचित बाहुल्य बस्ती के पेयजल पम्पिंग योजना के पुनः आरम्भ करवाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सुवाधार अनुसूचित बाहुल्य बस्ती के पेयजल पम्पिंग योजना के पुनः आरम्भ करवाने के सम्बन्ध में" श्री पूरन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के वि0ख0, प्रतापनगर में स्थित ग्राम सेरा, ग्राम पंचायत बुडकोट के जलकूर नदी के ऊपर पैदल पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, "जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड, प्रतापनगर में स्थित ग्राम सेरा, ग्राम पंचायत बुडकोट के जलकूर नदी के ऊपर पैदल पुल निर्माण के सम्बन्ध में" श्री चन्द्रवीर सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के चौण्ड (नौघर) के संयुक्त चिकित्सालय भवन निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, "जनपद टिहरी गढ़वाल के चौण्ड (नौघर) के संयुक्त चिकित्सालय भवन निर्माण के सम्बन्ध में" श्री जगमोहन सिंह नेगी एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 को संशोधित करने के लिए विधान सभा द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार हेतु महामहिम श्री राज्यपाल के संदेश का श्री अध्यक्ष द्वारा पाठन

श्री अध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल का संदेश प्राप्त हुआ है जो अंग्रेजी में है, मैं इसका हिन्दी अनुवाद पढ़कर सुना रहा हूँ। "उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा (अनर्हता निवारण)

अधिनियम, 1971 को संशोधित करने के लिए उत्तरांचल राज्य विधान सभा द्वारा 27 मार्च, 2006 को पारित एक विधेयक मेरे पास अनुज्ञा हेतु भेजा गया है। इस विधेयक के द्वारा कुछ लाभ के पदों को ऐसे पद घोषित किया जाना अपेक्षित है, जो अनुच्छेद 191 (1) (क) के अधीन ऐसे पद धारक को विधान सभा सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित नहीं करेगा। ये पद खण्ड 3 (घ) के क्रमांक 1 से 27 पर वर्णित हैं।

खण्ड 3 (घ) में क्रमांक 27 में प्रविष्टि के द्वारा राज्य सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों से सम्बन्धित सोसाइटी, बोर्ड अथवा समितियाँ इस श्रेणी में लायी गयी हैं, जिससे उनके पद धारक विधान सभा के सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 191 (1)(क) निम्नानुसार है :

"(1) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा..............का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा;

(क) यदि वह..............किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना राज्य के विधान मण्डल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;"

खण्ड (क) के संदर्भ में यह देखा जायेगा कि केवल ऐसे लाभ के पद का धारक जिसे विधान मण्डल द्वारा इसके धारक को निरर्हित न होने की घोषणा की गयी हो, निरर्हता की शास्ति से बच सकता है।

यह देखा जा सकता है कि क्रमांक 27 की प्रविष्टि क्रमांक 1 से 26 में वर्णित पदों के जैसे संवैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी वास्तविक पद की विशिष्ट रूप से पहचान नहीं करती। अतः क्रमांक 27 की प्रविष्टि संविधान के प्राविधान का अनुपालन करती हुई प्रतीत नहीं होती, जिसके अनुसार केवल उसी पद का धारक संविधान के अनुच्छेद 191 के अनुसार निरर्हित होने से बच जायेगा, जिस पद के धारक को राज्य के विधान मण्डल ने विधि द्वारा निरर्हित न होने की घोषणा की हो।

यह विधेयक इस अनुरोध के साथ सदन को पुनर्विचार हेतु लौटाया जा रहा है कि विशिष्टतया विनिर्दिष्ट अन्य वास्तविक पद, यदि कोई हों, को चिह्नित करें जिससे संवैधानिक अपेक्षाएं पूर्ण हो सकें।

सुदर्शन अग्रवाल,
राज्यपाल, उत्तरांचल।
29–03–2006"

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसके लिए हम सदन में महामहिम श्री राज्यपाल जी का आभार व्यक्त करते हैं।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री नारायण पाल, श्री प्रकाश पंत तथा श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचनाओं को नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

श्री शहजाद–

मान्यवर, नियम 56 में हमारी सूचना भी थी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कल के लिए कहा है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरी सूचना को तो नियम 56 में ले ही लें। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, उत्तरांचल माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल की परीक्षा में 29 मार्च को कम्प्यूटर की परीक्षा हुई जिसमें 80 प्रतिशत प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से अलग से पूछे गये हैं। 23 मार्च को अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा हुई थी जिसमें प्रश्न संख्या 2,8,11,12,14,17 तृतीय प्रश्न पत्र के पूछे गये हैं। मान्यवर, यह शिक्षा विभाग कितना गम्भीर है, यह इसी से परिलक्षित होता है। इन परीक्षाओं से हजारों–हजार परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। कम्प्यूटर की परीक्षा में 80 प्रतिशत प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर से होने के कारण यह लगता है कि कोई भी परीक्षार्थी इस विषय में पास नहीं हो पायेगा।

इसके संदर्भ में जब बोर्ड के अधिकारियों से आपत्ति की गई तो उन्होंने भी बहुत हल्के ढंग से इसे लेते हुए कहा कि इस पर विचार होगा और संभावित नुकसान जो परीक्षार्थी को होगा, उसका आंकलन होगा और विचार भी करेंगे। इसी बारे में जब हमने अध्यापकों से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि इससे परीक्षार्थियों को निश्चित ही नुकसान होगा और 29 तारीख में जो कम्प्यूटर की परीक्षा हुई है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा तात्कालिक भी है इसलिए मैं सदन की चर्चा को रोककर इस विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में जो विषय हमारे माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी ने सदन के समक्ष रखा है, वह अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण है। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद की गलती के कारण, जो कम्प्यूटर विषय की परीक्षा 29 मार्च को कराई गई, उसमें विषय के बाहर के प्रश्न पूछने के कारण कई परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकारमय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो गया है। श्रीमन्, कम्प्यूटर के प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम से मात्र 20 प्रतिशत ही प्रश्न पूछे गये और शेष पाठ्यक्रम के बाहर से पूछा गया है। जिसको हल करना परीक्षार्थी के लिए संभव नहीं था और उन्हें उनकी जानकारी होना भी संभव नहीं था। ठीक इसी प्रकार से अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र में भी यही हुआ है कि दूसरे प्रश्न पत्र में दूसरे ही प्रश्न दे दिये गये और वह भी पाठ्यक्रम के बाहर के थे। इस तरह से इसे गलती नहीं कहा जा सकता है, यह तो अव्यवस्था है। इसमें परीक्षार्थी का कोई दोष नहीं है। मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि संभवतः 7 या 9 अप्रैल तक ही यहाँ पर बोर्ड की परीक्षायें होनी हैं। जो भी निर्णय इसमें सरकार को लेना हो वह अतिशीघ्र लेना होगा कि इसके निराकरण के लिए क्या किया जाय। आप बोर्ड या विभाग के अधिकारी माननीय मंत्री जी से अनुशंसा कर सकते हैं कि इन सबको बोनस अंक दे दिये जायें। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इन्हें न्यूनतम अंक नहीं दिये जायें क्योंकि इसमें जो भी प्रतिभावान परीक्षार्थी होंगे, उनको भी यही अंक प्रदान कर दिये जायेंगे, जिससे इनकी मैरिट पर फर्क पड़ेगा। इसके लिए दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। जैसा कि मेरी जानकारी में है और माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में होगा कि किसी भी विषय के प्रश्न पत्र के 3 सैट बनाये जाते हैं। यदि कोई एक सैट लीक हो गया या कोई और बात हो तो दूसरा सैट लिया जा सकता है। इस प्रकरण में भी यदि 3 सैट बनाये गये होंगे तो ठीक है, नहीं तो यह बोर्ड की बहुत बड़ी लापरवाही होगी। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कम्प्यूटर के प्रश्न पत्र की परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए और यदि इन्हें बोनस अंक देने की बात करेंगे तो यह मेधावी छात्रों के साथ अन्याय ही होगा और यही व्यवस्था अर्थ-शास्त्र के प्रश्न पत्र में, जो पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न आये थे, उसमें भी यही होना चाहिए और कम से कम कम्प्यूटर विषय जिसकी परीक्षा 29 तारीख को हुई थी, उसके लिए सरकार को आज यहीं सदन में स्पष्ट उत्तर, उनके भविष्य को देखते हुए देना चाहिए ताकि छात्रों के भविष्य को बचाया जा सके।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)-

मान्यवर, यह सही है कि उत्तरांचल माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाई स्कूल की कम्प्यूटर विषय के प्रश्न पत्र में 80 फीसदी प्रश्न बाहर से आ गये थे और अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गये थे।

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि बोर्ड की एक परीक्षा समिति होती है। इसमें बोर्ड की परीक्षा समिति ही सक्षम होती है। इस तरह की कोई आपत्ति दर्ज की गयी हो तो उसका निराकरण परीक्षा समिति ही करती है। जैसे ही हमारे संज्ञान में यह बात आयी है, हमने यह मामला बोर्ड की परीक्षा समिति को संदर्भित कर दिया है। इसमें हम बोर्ड की परीक्षा समिति को कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं। इसमें कोई भी निर्णय लेने के लिए वह स्वयं सक्षम है। मैं माननीय सदस्यों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि परीक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा जिससे बच्चों के साथ कोई अन्याय न हो।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि बोर्ड की परीक्षा समिति में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद भी हस्तक्षेप हो जाता है। यह अलग बात है। इस मसले पर बोर्ड को आप भले ही निर्देशित न करें लेकिन बोर्ड की जानकारी को बढ़ाने के लिए, जिससे कि वह सही निर्णय ले सके, हमारी भावनाओं को, इस सदन की भावनाओं को कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, अपने किसी अधिकारी के माध्यम से, उपलब्ध चैनलों के माध्यम से बोर्ड को आप यह जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। हमने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनको बोर्ड तक पहुँचा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस विषय में सही निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि यह पूरा मामला बोर्ड की परीक्षा समिति को संदर्भित किया जा चुका है। मुझे भरोसा है कि जो कठिनाई है, उसको दूर करने में बोर्ड सक्षम है। इस सम्बन्ध में बोर्ड ऐसा निर्णय अवश्य लेगा कि परीक्षार्थियों के साथ कोई अन्याय न हो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा श्री काशी सिंह ऐरी व माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने के उपरान्त उत्तरांचल के विभिन्न विद्यालयों में वर्ष 2002–03 व वर्ष 2003–04 में कक्षा 11 और कक्षा 12 में विधिवत संस्थागत अध्ययनरत जो परीक्षार्थी थे, उनके परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। मान्यवर, भारत सरकार ने उन सभी विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की मान्यता दी है तथा जो बच्चे विधिवत् संस्थागत रूप से विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर सकते, जो काम के साथ–साथ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गयी थी। लेकिन उत्तरांचल शासन ने उन विद्यार्थियों के लिए इस तरह का नियम निकाल कर उनकी भावनाओं पर कुठाराघात किया है। उत्तरांचल शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण अभी तक 11वीं और 12वीं के छात्रों का परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया। इसके कारण सरकार की ओर से जो रोजगार के अवसर प्रदान किए गए थे, उनमें वे परीक्षार्थी आवेदन नहीं कर सके। मान्यवर, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा संस्था है। सी0बी0एस0सी0 और आई0एस0सी0 की तरह इसमें भी 5 विषय उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता है।

मान्यवर, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का एक सबसे बड़ा स्वतंत्र बोर्ड है जिसमें सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 की भाँति केवल पाँच विषयों की अनिवार्यता है। उत्तरांचल शासन भी सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0

बोर्ड की पाँच विषयों से 10वी उत्तीर्ण परीक्षा को राज्य में समकक्ष मानता है लेकिन आज जिन विद्यार्थियों ने 10वीं परीक्षा पाँच विषयों के साथ उत्तीर्ण की थी एवं उत्तरांचल के विभिन्न विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2002–2003 व 2003–04 से कक्षा 11 व कक्षा 12 में विधिवत् संस्थागत अध्ययरत थे, उनके विगत वर्ष 2005 के परीक्षाफल आज तक घोषित नहीं किये गये हैं। जिस कारण इन हजारों छात्रों का शैक्षणिक सत्र शासन एवं शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण बेकार हो गया है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 11 दिसम्बर, 2002 के अपने शासनादेश संख्या एफ 3–11/2002 ई0बीएस–1 के अन्तर्गत देश के सभी शिक्षा सचिवों को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के प्रमाण–पत्रों को प्रवेश एवं रोजगार के समकक्ष स्वीकार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जाएं एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में औपचारिक अधिसूचना जारी की जाय और सभी सम्बन्धित विभागों को भेजा जाए।

मान्यवर, उत्तरांचल शिक्षा विभाग ने 12 जुलाई, 2002 को उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम 1921 को राज्य में लागू किया जिसमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की 10वीं की परीक्षा 6 विषयों से उत्तीर्ण होने पर ही समकक्षता मान्य किये जाने की शर्त थी किन्तु 18 दिन बाद 30 जुलाई, 2002 को उत्तरांचल शासन द्वारा फिर एक शासनादेश संख्या 728/माध्यमिक/2002 के अन्तर्गत अलग से बिना किसी विषय अनिवार्यता की शर्त के साथ मान्यता प्रदान कर चुका है। इसके राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से पाँच विषयों से 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को वर्ष 2003–04 व 2004–05 में उत्तरांचल के सभी विद्यालयों में विधिवत् कक्षा 11वीं में संस्थागत प्रवेश दिये गये तथा 11वीं उत्तीर्ण होने पर कक्षा 12 में प्रवेश दिये गये। किन्तु खेद का विषय है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा से 20 दिन पहले 25 फरवरी, 2005 को उनके नाम यह कहकर हटा दिये गये कि उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम अध्याय 14 विनियम 2(70) के अन्तर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से 6 विषयों से 10वीं उत्तीर्ण पर ही समकक्षता है। अतः पाँच विषयों से उत्तीर्ण छात्रों का कक्षा 11वीं से प्रवेश निरस्त किये जाते हैं। छात्रों के धरना प्रदर्शन के उपरान्त उन्हें 11वीं व 12वीं की परीक्षाओं में इस शर्त के साथ सम्मिलित किया गया कि वे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से एक अतिरिक्त विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर 6 विषयों से 10वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण–पत्र जमा करें तभी उनका परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। मान्यवर, इसमें उन छात्रों की क्या गलती थी? उन्होंने दो साल पढ़ाई भी की, उसके बाद उन्हें परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया। मान्यवर, अतिरिक्त विषय की परीक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्र सरकार की शिक्षा नीतियों के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में सी0बी0एस0ई0 की भाँति केवल पाँच विषय से परीक्षा उत्तीर्ण करते ही प्रमाण–पत्र निर्गत कर दिया जाता है क्योंकि अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्यता नहीं है। मान्यवर, ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि उन बच्चों को इसमें क्यों सम्मिलित नहीं किया गया ? मान्यवर, उन बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा कुठाराघात क्यों किया गया ? यहाँ पर रोजगार से सम्बन्धित भर्ती की बहुत सी परीक्षाएं भी हुईं किन्तु वे उसमें आवेदन नहीं कर पाये। सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। शासन और शिक्षा

विभाग की लापरवाही के कारण लगभग 6 हजार बच्चे 12वीं की परीक्षा नहीं दे पाए क्योंकि उनका 10वीं का परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया। मान्यवर, मैं चाहती हूँ कि आज सदन की सारी कार्यवाही को रोककर सारे नियमों को स्थगित कर इस विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग करती हूँ। इससे महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं हो सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। जो सेकेण्ड्री कक्षा 10 व सीनियर सेकेण्ड्री 12वीं परीक्षा का संचालन करता है। परन्तु प्रत्येक राज्य ने अपने–अपने स्तर से इन परीक्षाओं को कुछ विशिष्ट प्रतिबन्धों के साथ अपने–अपने राज्यों में होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं की समकक्षता के सम्बन्ध में अलग–अलग ढंग से नियम बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा संचालित कक्षा 10 की परीक्षाओं को अपने यहाँ की कक्षा 10 की परीक्षा की समकक्षता/मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 के अन्तर्गत बने विनियमों के भाग–2 (ख) के अध्याय चौदह के विनियम 2 (7ड) के अन्तर्गत दी है। मान्यवर, परीक्षार्थी द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली के कक्षा 10 सेकेण्ड्री की परीक्षा कम से कम छः विषयों से उत्तीर्ण की हो। मान्यवर, एन0आई0ओ0एस0 से छः विषयों से सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल की इण्टरमीडिएट की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है और उनके परीक्षाफल भी घोषित किये गये हैं। परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की सेकेण्ड्री परीक्षा पाँच विषयों से उत्तीर्ण की है, उनके इण्टरमीडिएट से परीक्षाफल, इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 के अन्तर्गत बने विनियमों से प्रतिबन्धित करते हुए रोक दिए गए हैं। मान्यवर, शासनादेश संख्या 477/XXIV–2/2005, दिनांक 09 मार्च, 2005 में दिये गये निर्देशों व माननीय उच्च न्यायालय की विशेष अपील संख्या 82/2005 दिनांक 23–12–2005 के निर्णय के क्रम में एन0आई0ओ0एस0 से पाँच विषयों में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के इण्टर के परीक्षाफल तभी घोषित किए जायेंगे जब वे छः विषयों में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, चूँकि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में छः विषयों में परीक्षा ली जाती है, परन्तु वह प्रमाण–पत्र पाँच ही विषयों का देते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अलग से एक विषय की परीक्षा देना चाहेगा तो वह एक विषय की अलग से परीक्षा नहीं दे सकता है। मान्यवर, जब छात्रों ने 10वीं और 12वीं में प्रवेश लिया था, तभी यह क्यों नहीं देखा गया ? मान्यवर, उसी समय इस पर रोक लगनी चाहिए थी। इन बच्चों का भविष्य आज अधर में है। इनके अभिभावक अत्यन्त आक्रोशित हैं। अतः मैं चाहती हूँ कि सरकार इस गम्भीर विषय पर विचार करके समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द करे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, इण्टरमीडिएट के परीक्षाफल, इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 बना हुआ है। यह उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में लागू है। इसका पूरा अध्ययन करके उन बच्चों को राहत मिल सकती है, यह देखना होगा। मान्यवर, बच्चों के भविष्य को हित में रखते हुए अधिनियमों और नियमों के अन्तर्गत क्या परमीशन दी जा सकती है या नहीं इस पर शासन से विचार करते हुए निर्णय लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्या और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत आई0टी0आई0 ....(व्यवधान) मान्यवर, उत्तरांचल प्रदेश में आई0टी0आई0 का स्थाई निदेशालय अब तक न बन पाना दुर्भाग्यपूर्ण है जबकि नियमानुसार विकेन्द्रीकृत के तहत निदेशालय हल्द्वानी नगर में ही बनना चाहिए, वर्ष 1995 में पर्वतीय प्रखण्ड का निदेशालय तात्कालिक महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित किया गया था, निदेशालय हेतु भूमि हल्द्वानी में उपलब्ध भी है, इनके आगणन आदि भी शासन को उपलब्ध कराये गये हैं। वर्ष 2005–06 में 50 लाख रुपया आई0टी0आई0 निदेशालय निर्माण हेतु स्वीकृत भी हुआ था किन्तु वर्ष 2005–06 में इसका निर्माण न कराये जाने से रुपया लैप्स हो रहा है। वर्ष 2001 में आई0टी0आई0 निदेशालय हल्द्वानी हेतु सचिव श्री एम0 रामचन्द्रन द्वारा लगभग 32 पद भी स्वीकृत किये गये थे। वर्ष 2004 में निदेशालय हेतु लगभग चौदह लाख रुपये का फर्नीचर खरीदा गया जो कि देहरादून कैम्प कार्यालय में डम्प पड़ा हुआ है। वर्ष 2004–05 में लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपयों के उपकरण व यंत्र आई0टी0आई0 हेतु खरीदे गये, विभिन्न आई0टी0आई0 प्राचार्यों द्वारा इन्हें मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर स्वीकार नहीं किया गया, ये आई0टी0आई0 स्टोर में बन्द पड़े हैं। उक्त आई0टी0आई0 हल्द्वानी के प्रधानाध्यापक श्री आर0आर0 पाठक उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी हैं तथा हरिद्वार आई0टी0आई0 में इस पद पर इनके खिलाफ जाँच भी चली है। इन्हें उपकरण आदि खरीद अधिकारी बनाया गया जबकि उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों में आई0टी0आई0 व निदेशालय के भिन्न–भिन्न क्रय अधिकारी होते हैं। आई0टी0आई0 निदेशालय को लेकर जनता में अत्यन्त भ्रान्तियाँ, जिज्ञासा हैं। मान्यवर, मैं इस लोकमहत्व के विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप तात्कालिक एवं न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग की विभागीय संरचना प्रख्यापित की गयी, जिसमें उच्च स्तर पर अपर निदेशक के पद सृजित करते हुए इस विभाग को अपर आयुक्त संगठन, हल्द्वानी के अधीन प्रशासकीय नियंत्रण में रखा गया। स्पष्ट

होता है कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग का कोई पृथक से निदेशालय नहीं है वरन् श्रमायुक्त संगठन के अन्तर्गत ही एक शाखा के रूप में कार्य कर रहा है। इसका एक कारण यह भी रहा कि उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था एवं राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन का पृथक से निदेशालय स्थापित न करते हुए अस्थाई रूप से इसको श्रम विभाग के साथ ही रखा जाये। वर्तमान में यह आवश्यकता महसूस की गयी कि श्रमायुक्त संगठन की तरह प्रशिक्षण एवं सेवायोजन प्रखण्ड में भी एक विभागाध्यक्ष होना चाहिए, इस हेतु निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन का पद सृजित कराया जा रहा है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का होगा। इस पद के सृजित होने के उपरान्त ही इस बिन्दु पर ही निर्णय लिया जाना समीचीन होगा कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय की स्थापना कहाँ की जाये, चूँकि पूर्व में निदेशालय की स्थापना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में कतिपय वादियों द्वारा एक रिट याचिका संख्या 916/2004 भी प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय की स्थापना के सम्बन्ध में दायर की गयी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 मई, 2005 को यह निर्णय देते हुए कि यह विशुद्ध रूप से प्रशासकीय मामला है तथा इसे शासन स्तर पर ही निस्तारित कर लिया जाये और खारिज कर दी गयी।

मान्यवर, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन का पद वित्तीय वर्ष 2005–06 में सृजित न हो पाने एवं निदेशालय की स्थापना के बिन्दु पर निर्णय न हो पाने के कारण वित्तीय वर्ष 2005–06 में निदेशालय के भवन निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रुपये 50 लाख भी उपयुक्त किया जाना सम्भव नहीं हो पाया। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निर्णय ले लिया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 में निदेशालय के भवन निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रुपये 90 लाख भी यथा समय स्वीकृत कर दिये जायेंगे। मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा आई०टी०आई० निदेशालय के लिये स्वीकृत पदों का उल्लेख किया गया है तो इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि विभाग की प्रख्यापित विभागीय संरचना दिनांक 3 दिसम्बर, 2001 के अनुसार मुख्यालय स्तर पर कुल 97 पद सृजित किये गये हैं। जहाँ तक निदेशालय हेतु क्रय किये गये फर्नीचर एवं उसके रख–रखाव का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में अवलोकनीय है कि वर्ष 2004–05 में क्रय किया गया सामान सम्बन्धित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पहुँचाया जा रहा है। मान्यवर, जहाँ पर भवन बने हैं उनको सप्लाई किया जा रहा है और जिन्होंने गलत सामान खरीदा था उसकी जाँच कर रहे हैं, जल्द ही जाँच रिपोर्ट आ जायेगी। मान्यवर, उनके खिलाफ कार्यवाई की जा रही है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जो विकल्पधारी है उन्हें शीघ्र उत्तर प्रदेश हेतु कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा इनके विरुद्ध जो भी अनियमिततायें करने का आरोप है उनकी जाँच विभागाध्यक्ष से करायी जा रही है। क्रय समिति में इन्हें नामित किये जाने के बिन्दु पर भी विभागाध्यक्ष से भी स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

श्री नारायण पाल और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय कार्यस्थगन की सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, 6 फरवरी, 2006 को सम्पूर्ण राज्य में राजस्व संग्रह अमीन तथा संग्रह परिचारक आन्दोलनरत हैं। आज 58 दिन व्यतीत हो गये हैं, आज की तिथि तक उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार ने कोई रचनात्मक पहल नहीं की जिसके कारण पूरे राज्यभर के राजस्व संग्रह अमीन का कार्य प्रभावित हुआ है, इसके कारण एक ओर राज्य सरकार को गम्भीर आर्थिक हानि हुई है वहीं 540 विभिन्न जनपदों में कार्यरत संग्रह अमीन और संग्रह परिचारकों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। मान्यवर, यह विषय अत्यन्त गम्भीर और लोक महत्व का है कि राजस्व संग्रह अमीन का पद उत्तरांचल राज्य ने क्यों बनाया गया और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? यह विचार करना होगा। 01 अक्टूबर, 1986 को जिस समय पट्टी के लेखपाल पटवारी जो हैं उन्होंने अपना वसूली कार्य का बहिष्कार किया था। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 01 अक्टूबर, 1986 को वसूली कार्य का बहिष्कार पटवारियों द्वारा किया गया था, अविभाजित उत्तर प्रदेश में यह बहिष्कार 1988 तक चला था इसके बाद दो वर्ष तक राजस्व वसूली जो राज्य का महत्वपूर्ण अंश है उसमें तत्कालीन उत्तर प्रदेश को गम्भीर राजस्व हानि से गुजरना पड़ा था। उसके पश्चात् 01 अक्टूबर, 1988 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा पटवारियों के माध्यम से वसूली कार्य किये जाने के शासनादेश को निरस्त कर दिया गया जिसके बाद 02 अक्टूबर, 1988 को राजस्व वसूली के लिए संग्रह अमीनों/संग्रह परिचारकों के पद सृजन हेतु शासन को लिखा। मान्यवर, तत्कालीन परिचारकों की नियुक्ति की गई।

मान्यवर, इसके बाद समय–समय पर यह विषय उठता रहा कि इन संग्रह अमीनों/संग्रह परिचारकों जिनके माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य संचालित हो रहा है उनको नियमित किया जाना आवश्यक है। उनके माध्यम से जो धनराशि एकत्रित की जाती है उस धनराशि को अभिरक्षा में रखकर उसका कार्य संचालित हो। मान्यवर, वर्ष 1988 से लेकर आज तक इस सम्बन्ध में ये समय–समय पर माँग करते रहे हैं। इसके पश्चात् 16 जुलाई, 1997 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में इससे सम्बन्धित वाद दाखिल हुआ जिसमें रिट संख्या 8557 के तहत 16–7–1997 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया कि इनको भी नियमित संग्रह अमीनों/संग्रह परिचारकों की भाँति नियमित रखा जाय व इनको नियमित संग्रह अमीनों/संग्रह परिचारकों की तरह सभी प्रकार से देय भत्ते, वेतन वर्ष में दी जाने वाली वेतन वृद्धि, सर्विस बुक, जीवन बीमा, समस्त देय अवकाश आदि देने का आदेश पारित किया गया व शासन को निर्देशित किया गया कि कार्यरत संग्रह अमीनों को नियमित किया जाए व पदों का सृजन किया जाए। यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने दिया।

मान्यवर, यह माननीय उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, लेकिन इसके बाद भी आज 2006 की तिथि हो गयी, लेकिन इसके बारे में कोई चिन्ता जाहिर नहीं की गयी। मान्यवर, इसके बाद भी जब इनके नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं हो पायी तो मजबूर

होकर 6 फरवरी, 2006 से ये धरना और आंदोलन चला रहे हैं जिसमें अब 11 फरवरी से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। लेकिन मान्यवर, सरकार ने अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। कुल 540 पद हैं जिसमें 272 पद संग्रह अमीन के हैं और 268 पद परिचारक के हैं। यदि सरकार इस सम्बन्ध में विधिवत कार्यवाही नहीं करती है तो राज्य में राजस्व का संकट पैदा हो जायेगा। अभी मैं इस विषय की ग्राह्यता पर बोल रहा हूँ जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो मैं विस्तृत रूप से इस पर विचार प्रकट करूँगा। मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता है। मान्यवर, पूरे राज्य भर में 31 मार्च तक जो राजस्व संग्रह का कार्य था वह इससे प्रभावित हुआ है, राज्य में आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रकाश पंत जी द्वारा जो नियम 56 की सूचना दी गयी है, मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि सूचना पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। लगभग सारी बातें आ गयी हैं। ये तो राजस्व कर्मी हैं ये वास्तव में अगर राजस्व वसूली का कार्य न करते तो उत्तरांचल की वसूलियाँ धीरे–धीरे ठप्प हो जातीं। हम लोग जब उत्तर प्रदेश में थे, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी भी वहाँ पर रही हैं। बार–बार इनका प्रतिवेदन वहाँ पर आता था और सभी लोग चाहे इधर के हों या उधर के, बार–बार यह बातें हम लोगों ने वहाँ पर उठायी। मैं उन बैठकों पर नहीं जाऊँगा जो उत्तर प्रदेश के समय राजस्व कमिश्नर के साथ हुई थीं लेकिन जब उत्तरांचल राज्य बना तो यहाँ पर इनका महत्व और अधिक बढ़ गया क्योंकि दूर–दराज के क्षेत्र जहाँ गाड़ी तक नहीं जाती है, कोई आवागमन का साधन नहीं है, जहाँ की राजस्व वसूली समाप्त होने वाली थी, उस राजस्व का संग्रह करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन मान्यवर, इतने लम्बे समय से कार्यरत संग्रह अमीनों का कोई ठौर–ठिकाना नहीं है, इनके भरण–पोषण का प्रश्न है, इनके बाल–बच्चे हो गये, और जो बच्चे हैं वे हाई स्कूल, इन्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। सरकार ने कहा है कि हम विभिन्न विभागों में पद सृजित करके रोजगार देंगे। तो मान्यवर, ये जो 540 संग्रह अमीन हैं इनके पद सृजित करके इन्हें रेग्यूलर कर दिया जाये तो इससे सरकार की नौकरी देने की मंशा भी साफ हो जायेगी और बहुत बड़े तबके को राहत भी मिल जायेगी। मान्यवर, यह किंवदंती सुनने में आ रही है कि सरकार पद सृजित करने जा रही है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी पद हैं उसमें किसी को भी छोड़ा न जाये क्योंकि जो राजस्व वसूली के कार्य में लगे हुए उनमें सभी का महत्वपूर्ण स्थान है।........ तथा एक–एक अमीन और उसके परिचारक को रेगुलर किया जाय। श्रीमन्, मैं समझता हूँ यह एक महत्वपूर्ण वाकया है। इसे विडम्बना ही कहा जाना चाहिए कि यह लोग 20–25 वर्षों से नियमितीकरण के लिए तड़प रहे हैं। इनके द्वारा इस सम्बन्ध में कई आंदोलन

किये गये, एस०डी०एम० कार्यालय, डी०एम० मुख्यालय और कमिश्नरी मुख्यालय में 20–25 वर्षों से यह लोग समय–समय पर आन्दोलन कर अपने आप को रेगुलर कराने के लिए लड़ रहे हैं। मैं माननीय पंत जी की सूचना पर अपने आप को सम्मिलित करते हुए आज के कार्य को रोककर इस सूचना पर कम से कम 1 घण्टे की चर्चा कराये जाने की माँग आपसे करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सरकार तमाम ऐसे कर्मचारियों के बारे में लगातार निर्णय लेती रही है, चाहे वह विद्यालयों के अध्यापकों की बात हो, चाहे अन्य कर्मचारियों की। यह सत्य है कि सीजनल कर्मचारियों के रूप में संग्रह अमीन और सीजनल परिचारकों को रखा गया है, जिन्होंने यह अपेक्षा की है कि उनका नियमितीकरण किया जाय। वर्तमान में वसूली का मानक 6.50 लाख रुपया प्रतिवर्ष है। मुख्य देयों के आधार पर ही संग्रह अमीनों एवं संग्रह परिचारकों के पदों का सृजन किया जाता रहा है। इन संग्रह अमीनों द्वारा मुख्य रूप से अशासकीय देयों की वसूली की जाती है। वर्तमान में 6.50 लाख रुपये प्रति अमीन प्रति वर्ष पर पदों की जो आवश्यकता है, जो मेरे पास आंकड़े हैं उनके अनुसार अमीन 192, परिचारक 192 और 30 ए०डब्ल्यू०बी०एन० की आवश्यकता है और वर्तमान में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या अमीन 278, परिचारक 280 और ए०डब्ल्यू०बी०एन० 30 की है। सूचना के अनुसार सृजित पदों के विरुद्ध नियमितीकरण उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन नियमावली 1974 एवं अन्य पदों के लिए संगत नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। चूंकि यह कर्मचारी काफी लम्बे समय से संग्रह का कार्य कर रहे हैं, अतः इनके नियमितीकरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। हमारे जो भी कर्मचारी हैं और जो लम्बे समय से अपनी सेवायें दे रहे हैं उनके बारे में तो गम्भीरता से विचार किया ही जाता है। अभी तक उत्तरांचल सरकार ने कर्मचारियों, चाहे वह अस्थायी या स्थायी रूप से कार्य कर रहे हों, उनको हटाने का निर्णय नहीं लिया है। इस सम्बन्ध में भी शासन ने मानकों के अनुसार ही पदों का सृजन करने पर विचार किया है। किसी की भी सेवा समाप्त नहीं की जायेगी, जैसे–जैसे पद रिक्त होते रहेंगे, वैसे ही नियुक्ति होगी। यह सरकार कर्मचारियों के हितों के बारे में सदैव ही जागरूक और संवेदनशील रही है और इसी प्रकार से इस सम्बन्ध में भी उचित निर्णय लिया जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 540 पदों पर कार्यरत संग्रह अमीनों को सभी सुविधायें देते रहे हैं। लेकिन मेरे पास 2 प्रकरण ऐसे हैं, जैसा कि समय–समय पर दुर्घटनावश सेवाकाल में ही किसी कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो जो नियमित कर्मचारियों को अनुमन्य सुविधायें हैं, उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। इसमें पहला प्रकरण स्व० श्री योगेश प्रसाद उप्रेती जी का है जिसके प्रकरण में उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था। जब उनकी पत्नी ने उनके स्थान पर स्वयं की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में

अपना पक्ष न्यायालय में रखा तो उच्च न्यायालय ने डाइंग इन हारनेस के अन्तर्गत इस पर कार्यवाही करने के निर्देश 22–12–2004 को दिये थे। लेकिन आज तक इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकरण पर आज तक कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ? दूसरा प्रकरण मान्यवर, श्री इन्द्र सिंह जी का है जो कि जनपद पिथौरागढ़ के निवासी थे और इनके प्रकरण पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था। इस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि दिनांक 9–4–2004 को विभाग को नियुक्ति करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि मैंने जो स्पेसिफिक प्रकरणों की जानकारी दी है, क्या सरकार इन पर भी विचार करेगी ? इनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है तथा दूसरे अभी जीवित हैं। जिनकी मृत्यु हो चुकी है क्या उनके मृतक आश्रित को आप सुविधा प्रदान करेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत ही सरकार काम करती है। माननीय सदस्य ने जो प्रकरण बताया है, इसको पुनः दिखवा लिया जाएगा। यदि वह विचार करने योग्य होगा तो अवश्य इस पर विचार किया जाएगा। इसको नियमों की परिधि में लाया जा सकता है या नहीं, इसको दिखवा लिया जाएगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि शेष को भी समायोजित करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि लिस्ट तो विभाग के पास बनी है, इनमें से कितनों को आप रेगुलर कर रहे हैं तथा अन्य अमीनों और परिचारकों को कब तक रेगुलर कर देंगे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि कब तक कर देंगे। आंकड़े देख कर ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री प्रकाश पंत तथा श्री अजय भट्ट व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री विशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 58 की मेरी सूचना पर सुनने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुन्स्यारी के अन्तर्गत दो गाँव, कोटा तथा मोलपूरा में प्रतिवर्ष बरसात में जमीन धंस जाने से गाँव के 3 किलोमीटर की परिधि में जो जमीन है उसमें दरारें पड़ गयी हैं, इससे 50 परिवार,

जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बुरी तरह प्रभावित हो गये हैं। गाँव में जो खेती योग्य भूमि है, उसमें भी दरार पड़ गयी है। जिसके कारण वह खेती योग्य नहीं रह गयी है। कोटा और भोलपुरा सड़क से 20 किलोमीटर दूरी पर बसे हुए गाँव हैं। अभी तक वहाँ पर पटवारी तथा ग्राम विकास अधिकारी तक नहीं पहुँचे हैं। दूर दराज के गाँव में भूस्खलन से लोग प्रभावित हो रहे हैं। इन लोगों ने पत्रों और समाचार-पत्र के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित किया लेकिन शासन ने उनको राहत पहुँचाने का कोई काम नहीं किया। इनकी माँग है कि इनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाय। किन्तु तहसील और जिला प्रशासन की ओर से उनकी बात को सुनने के लिए कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं गया।

मान्यवर, सड़क से लगे हुए गाँवों में भूस्खलन होने पर सारी सरकारी मशीनरी वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन दूर दराज के गाँवों में, जहाँ के लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास खेती करने योग्य भूमि भी नहीं है, उनके पास आने-जाने के लिए रास्ता नहीं है, वहाँ की पेयजल योजना भी ध्वस्त पड़ी है, उनके लिए शासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह विषय लोक महत्व का तात्कालिक और अविलम्बनीय है इसलिए सदन का शेष सारा कार्य रोककर इस पर चर्चा करायी जाय। यदि इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुँचाया गया तो वहाँ पर आन्दोलन होगा। बांसबगड़ संघर्ष समिति के माध्यम से इन लोगों की परेशानियों को उठाया गया था। मैं पुनः इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए माँग करता हूँ कि इस पर चर्चा करायी जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमने नियम 56 की सूचना को देखा और जिलाधिकारी से सम्पर्क किया। प्रभावित क्षेत्रों के लिए उनके द्वारा तत्काल क्या कार्यवाही की गयी, इसकी जानकारी भी ली गयी। उनके द्वारा बताया गया कि सुरक्षित भूमि की लगातार तलाश की जा रही है। शीघ्र ही इनको विस्थापित कर दिया जाएगा। इनको राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन कार्य कर रहा है। शीघ्र ही इनको विस्थापित कर दिया जाएगा।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, कब तक कर दिया जाएगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने कह दिया है कि शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि बरसात से पहले इनको विस्थापित कर दिया जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ठीक है, हम इस विषय पर पुनः जिलाधिकारी से बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री किशन सिंह बुधाल तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

कार्य–मंत्रणा समिति की अनुमति के बगैर अनुपूरक कार्यसूची के सम्बन्ध में श्री मातबर सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा व्यवस्था का प्रश्न

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इससे पहले यदि आज्ञा हो तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आज अनुपूरक सूची में 11क, 11ख और 11ग तीन मामले रखे गये हैं। मेरा निवेदन है कि कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक होती है और कार्य–मंत्रणा समिति ही यह निर्णय करती है कि कार्यसूची में कौन–कौन से काम रखे जायेंगे। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने लाभ के पद का विधेयक सदन को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया है और दो विषय और रखे गये हैं। इन पर कार्य–मंत्रणा समिति में निर्णय नहीं लिया गया है। इन पर पहले कार्य–मंत्रणा समिति में निर्णय होना चाहिए था। साथ ही आज की कार्यसूची में बहुत सारे काम हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह किया जा सकता है।

पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से पारित हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करती हूँ।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2006

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2006 जैसा कि श्री राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु वापस किया गया है, को सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं अपराह्न तीन बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19 के क्रम संख्या 3 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करेंगे जो साधारणतया चार दिन होगा। मान्यवर, मद संख्या 12 पर हमारे माननीय सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी विधायक बोलना चाहते हैं। मान्यवर, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। यदि एक ही दिन चर्चा कराई जायेगी तो पूरे विधायक एक ही दिन नहीं बोल पायेंगे, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा बढ़ाई जाए।

श्री अध्यक्ष-

उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के नेता माननीय ऐरी जी, इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट जी, आपको बोलने का मौका दिया जाता है।

श्री महेन्द्र भट्ट-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मेरे द्वारा जो संशोधन के प्रस्ताव क्रम संख्या 01 से 31 तक रखे गये हैं, उन्हें सम्मिलित करते हुए अपनी बात कह रहा हूँ। मान्यवर, चार वर्ष से अधिक का कार्यकाल इस सरकार का सम्पन्न होने वाला है। इन चार वर्षों में अगर प्रदेश की जनता ने कुछ महसूस किया तो वह यह है कि किस तरह से राज्य के हित में काम करने वाले, इनमें भी प्रमुख रूप से सत्तापक्ष के नेतागण, वे किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आज प्रत्येक जनमानस इस बात को लेकर आन्दोलित है। यदि सरकार की उपलब्धि इस रूप में लें तो मैं यह कहूँगा कि भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित करने में इस सरकार का योगदान रहा है। मान्यवर, आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आज के दिन भी जब यह सदन चल रहा है हमारे माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी ने सुबह यह प्रश्न उठाया था कि हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थान पर जहाँ इस देश के उपराष्ट्रपति आ रहे हों वहाँ रेलवे स्टेशन पर बम मिला।

मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है, आज प्रदेश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। माओवादी गतिविधियाँ जिस गति से बढ़ रही हैं, इससे आज यह आवश्यक हो गया है कि किस तरह से हम प्रदेश की सीमाओं की रक्षा करें, कैसे इनको सुरक्षित रखें। मान्यवर, हम इस प्रदेश को पर्यटन और तीर्थाटन के रूप में विकसित करना चाहते हैं,

परन्तु आज प्रदेश के अन्दर पर्यटकों में भय का वातावरण व्याप्त है। प्रदेश की सीमाएं असुरक्षित हैं, हम देश की सीमा प्रहरी के रूप में है, जिसका उत्तरदायित्व प्रदेश की सरकार पर है कि किस प्रकार से इन गतिविधियों पर रोक लगायें। मान्यवर, आज बेरोजगार अपने आपको हताश महसूस कर रहे हैं। सरकार ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया कि प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग दो लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे इसकी तुलना में लगभग आठ लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए थे। परन्तु स्थिति बिल्कुल भिन्न है। मान्यवर, बेरोजगारों से पैसा लिया जाता है, लेकिन जिस दिन परीक्षा होती है, उस दिन उसको निरस्त कर दिया जाता है।

मान्यवर, दूर-दराज के क्षेत्रों से परीक्षा केन्द्र में पहुँचते हैं, लेकिन एक ऐसा फरमान सरकार जारी कर देती है और अपनी अकर्मण्यता के कारण उन छात्रों को हताश करती है। मान्यवर, आज बेरोजगारों में आक्रोश है। मान्यवर, आज हर क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी आन्दोलित है, प्रत्येक जनपद में किसी न किसी विषय को लेकर प्रदेश में आन्दोलन है। मान्यवर, शिक्षकों का आन्दोलन है, सचिवों का धरना है, टिहरी विस्थापितों का मामला है। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि टिहरी की कुछ महिलाओं को जो धरने पर थीं जबरन उठाकर हटाया गया और वे सब हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इस प्रकार का मामला चल रहा है। मान्यवर, जल विद्युत परियोजना को लेकर प्रदेश के अन्दर आन्दोलन का वातावरण बना हुआ है, वन कर्मी आन्दोलित हैं। मान्यवर, आज कोई विभाग / मंत्रालय ऐसा नहीं है जो प्रदेश सरकार से संतुष्ट हो।

मान्यवर, आज स्वयं मंत्री महोदयों को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि उत्तरांचल के 13 जनपदों में कितनी बार जाना हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को इस प्रदेश में अध्यादेश / शासनादेश माना जाता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दूर-दराज के जनपदों की जनता आज तो ई0टी0वी0, सहारा चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिबिम्ब देख सकती है, लेकिन जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सामने नहीं देखा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें, और भी माननीय सदस्यों को बोलना है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मुझे आपत्ति है कि माननीय विधायक जी ने कह दिया कि जनपद चमोली में दर्शन कभी नहीं दिया तो यह सत्य से परे है। मान्यवर, मैं तिथि समेत सूचना दे सकती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब-कब गये, इस तरह का कहना दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य को 7 मिनट का समय दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, 13 जनपद का राज्य है और मैं कहूँगा कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी कह दें कि किस तारीख को गये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं उत्तर दे दूँगी।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, सीमान्त जिलों के अन्दर, उत्तरांचल के अन्दर ऐसे कौन से उद्योग लग सकते हैं, उत्तरांचल के सीमान्त पर्वतीय क्षेत्रों के अन्दर जो उद्योग लग सकते हैं, ऐसे उद्योगों को लगाने में सरकार नाकाम रही है। मान्यवर, वर्ष 2001–02 में जिन सड़कों का शासनादेश हुआ है आज तक उनके समक्ष कार्य नहीं हुआ है। मान्यवर, एशियन डेवलपमेण्ट बैंक ने कहा कि हमसे ऋण लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, नन्द प्रयाग घाट मोटर भूमि सुधार हेतु एशियन डेवलपमेन्ट बैंक ने कहा है कि हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार नहीं ले रही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने कहा कि कर्जा बहुत ले लिया, इसलिए नहीं ले रहे हैं।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, जो काम रुका है उसको पूरा करायें। मान्यवर, माननीय पर्यटन मंत्री जी बैठे हैं और मैंने कहा था कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊँ मण्डल विकास निगम में बहुत सारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि पर्यटन पुलिस की भर्ती, जो वहाँ पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उन्हीं में से उनकी व्यवस्था करें। मान्यवर, मैं औली गया था वहाँ जो लोग टैम्परेरी हैं उनको सभी प्रकार की जानकारी रहती है इसलिए उन्हीं में से उनकी भर्ती की जाय। मान्यवर, उच्च शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ कि पोखरी महाविद्यालय के भवन का निर्माण करने के लिए कहा था उसका निर्माण कराया जाय। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों को कर्जा देते हैं दूसरी तरफ पुलिस भेज देते हैं। हमारा जो हरिजन समाज है उनसे जुड़े जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास होने चाहिए और सरकार उनसे जुड़े हुए उद्योग लगाये। मान्यवर, प्रत्येक विकास खण्ड में अनुसूचित जाति के विकास के लिए छात्रावास होना चाहिए। मान्यवर, पोखरी में अगर कोई अनुसूचित जाति का छात्र पढ़ना चाहता है तो लोग उसे वहाँ पर किराये पर मकान नहीं देते हैं। इसलिए वहाँ पर छात्रावास होना नितान्त आवश्यक है। मान्यवर, मेरा यह मानना है कि उत्तरांचल के अन्तर्गत मदरसा शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। उत्तरांचल को संस्कृत शिक्षा का बड़ा केन्द्र बनाना चाहिए, ज्योतिष शिक्षा, वेद शिक्षा आदि।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठिये।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज पर्वतांचल के अन्दर रोजगार की दृष्टि से यहाँ के वातावरण के अनुकूल उद्योगों की स्थापना करें। मान्यवर, आपने चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति खोली, मैंने पहले भी कहा कि सरकारी नौकरी को हमारे यहाँ उद्योग माना जाता है। इसमें आप जिलेवार नियुक्ति करें और शिक्षा मित्र के पद जनपदों में बढ़ायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार श्री सुबोध उनियाल जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का विरोध करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि बड़ी आशा, बड़ी कल्पनाओं से उत्तराखण्डवासियों ने बहुत बड़ी कीमत चुका करके इसका निर्माण कराया और इस राज्य को हासिल किया और राज्य बनने के बाद जो स्थितियाँ बन रही हैं, सरकारों के प्रवर्तन से भी जो लोगों को उम्मीद थी वह उम्मीद भी निराशा में बदल रही है। हर साल महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के माध्यम से सरकार बड़ी–बड़ी घोषणायें, बड़े–बड़े लोकलुभावन नारे माननीय सदन में बताती रही है लेकिन मान्यवर, गौर करने की बात यह है कि अगर आप पिछले चार सालों के जो अभिभाषण हैं, जो राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये या दिलवाये गये, इसका अगर आप विश्लेषण करेंगे तो मुझे कोई उदाहरण पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी आप स्वयं ही समझ जायेंगे कि घोषणाएं एक तरफ हैं और सरकार काम अपने तरीके से करती है। जनता यह महसूस नहीं कर पा रही है कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बहुत बड़ी बात होती है। जनता यह उम्मीद करती है कि राज्यपाल महोदय ने अपनी सरकार के बारे में जो नीतिगत घोषणाएं की हैं या जो कार्यक्रम पेश किये हैं आने वाले समय में वे काम अवश्य होंगे। लेकिन मान्यवर, अब जनता को लगता है कि यह औपचारिकता भर है और सरकार अपनी मर्जी से काम करेगी। इसलिए मान्यवर, सरकार को बहुत ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। जो सरकार कहती है अभिभाषण के माध्यम से या अपने वक्तव्यों के माध्यम से उसके प्रति सरकार को गम्भीर होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।

मैं यहां से अपनी बात शुरु करना चाहता हूँ। पिछले चार साल में यह पहली निर्वाचित विधान सभा है। मेरी, आपकी, सबकी उम्मीद थी कि सरकार इस विधान सभा को गम्भीरता से लेगी, विधान सभा के सत्रों को बढ़ाने पर विचार करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यगण अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहाँ पर उठा सकें, उन पर बहस हो सकें। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बैठकें आयोजित हों, अधिक से अधिक सत्र बुलाये जावें। यह उम्मीद हमको थी क्योंकि यह पहली निर्वाचित विधान सभा है। यह हमारी कल्पना थी। पहले तो नयी परम्पराएं यहाँ

पर स्थापित की जायें नहीं तो कम से कम जिस सदन के हिस्से के रूप में हम वहाँ से यहाँ आये हैं उनका निर्वहन हम कर सकें। मान्यवर, हर साल, हर बार हम यह मांग करते रहे हैं कि जनता की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं पर यहाँ विचार हो। इसके लिए सरकार को संवेदनशील होकर इस सदन के कार्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। हर चीज जल्दबाजी में करने में सरकार यहाँ रहती है और हर बहस से परहेज करना चाहती है। मैं पहली बात तो यह कहना चाहूँगा कि जिस अभिभाषण पर चर्चा हो उसका माननीय अध्यक्ष जी को स्वयं ही समय तय करना पड़ रहा है यदि हमारी सरकार सत्र के उपवेशनों को बढ़ाने पर विचार करती तो आपके सामने भी यह कठिनाई नहीं होती। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ। (व्यवधान) तो मान्यवर, मैं कहना यह चाहता हूँ कि नयी परम्पराओं की शुरूआत होनी चाहिए। हमने जहाँ पर थोड़ा सा भी परम्पराओं का उल्लंघन होते हुए देखा तो हमने विपक्ष का भी उसमें साथ नहीं दिया। मैं परम्पराओं का समर्थक हूँ। इसलिए यह पहली जिम्मेदारी सरकार की है कि वह इन परम्पराओं का निर्वहन करे। परम्पराओं का पालन करें और अच्छी परम्पराओं को स्थापित करने का प्रयास करें। यह सरकार की जबावदेही है।

(माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा अपने स्थान पर बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

मान्यवर, प्रश्न विरोध का नहीं है। हम तो अच्छी परम्पराओं की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल का विरोध किया गया वह परम्परा गलत थी, इसलिए हमने उसका विरोध किया था। मैंने अपनी बात को यहीं पर से इसलिए शुरू किया था, मैं सदन में इसलिए भी इस बात को कह रहा हूँ कि हम सभी सदस्यों को मिलकर अच्छी परम्पराओं का पालन करना चाहिए और गलत परम्पराओं का विरोध भी करना चाहिए। मान्यवर, हमारा नया राज्य है, छोटा राज्य है, यहाँ पर सभी सभ्य और सुसंस्कृत लोग रहते हैं, तो मेरी आप सब से अपील है, इल्तजा है कि हमें अपने सदन में अच्छी परम्पराओं का निर्वहन करना चाहिए। मान्यवर, जिस दिन यहाँ पर विधेयक लाया गया था जिसे मैंने क्रास एफ०आई०आर० कर दी है, कहा था। उस दिन हमारे सदन के सरकारी सदस्यों ने जिस आचरण का प्रदर्शन किया उससे भी हम आहत हुए।

मान्यवर, सरकारी सदस्यों और कम से कम माननीय मंत्रीगणों को तो ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए था। मान्यवर, सदन को व्यवस्थित रूप से चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, अगर सरकार जनता के हितों और उनकी समस्याओं के बारे में गम्भीर है और संवेदनशील है और जनता के प्रति अगर अपनी जवाबदेही रखती है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए सदन से अच्छा और कोई मंच उसके पास नहीं होता है। सदन में यदि कार्य होगा तो निश्चित ही जनता को उसका फायदा होगा, लेकिन सरकार को इसमें कोई रूचि नहीं है यह हमारे लिये निराशा की बात है और उसका नतीजा यह है कि सरकार हर काम को जल्दबाजी में करना चाहती है, सदन के कार्य को भी जल्दबाजी में ही करना चाहती है। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। सरकार कोई भी फैसला लेने में

असामर्थ्य दिखाई देती है। उसका उदाहरण यह है कि स्थाई राजधानी के मसले पर, राजधानी के प्रकरण में पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था, उसे याद करें आपने कहा था कि स्थाई राजधानी पर फैसला जल्दी लिया जायेगा। राजधानी पर आज तक कोई फैसला नहीं लिया गया, राजधानी आयोग का कार्यकाल बढ़ता ही जा रहा है। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि राजधानी आयोग पर पैसा जाया हो रहा है, लेकिन खर्च हो रहा है और उसका कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। या तो सरकार उस पर फैसला नहीं कर पा रही है या फैसला करना ही नहीं चाहती है।

मान्यवर, मीडिया ने भी कहा और देहरादून के लोगों ने भी कहा कि राजधानी बनने से देहरादून शहर बर्बाद हो गया है, राजधानी यहाँ से हटनी चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा है धीरे-धीरे देहरादून को ही राजधानी बना दिया जाये, ऐसा प्रयास होता प्रतीत हो रहा है और राजधानी को यहीं पर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अरबों-खरबों खर्च करके एक ही दिन में दसों सड़कों का शिलान्यास यहाँ पर हो रहा है। सड़कें बनायें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ऊँचे भवन बनायें मुझे आपत्ति नहीं है। सरकार देहरादून को प्रदेश की औद्योगिक राजधानी बनाये, वाणिज्यिक राजधानी बनाये और आर्थिक राजधानी बनाये, चौड़ी सड़कें बनें हमें कोई एतराज नहीं लेकिन यदि देहरादून को प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए आग्रही होंगे तो इस पर हमारा विरोध ही होगा।

मान्यवर, दूसरा मामला था विकल्पधारियों का, सरकार ने अपनी पार्टी के घोषणा-पत्र में लिखा कि विकल्पधारियों को 24 घंटे में वापस करने की बात कही गई थी। इस बात को लेकर आप लोग जनता के बीच गये और आपकी पार्टी की सरकार भी बन गई। लेकिन आज तक वह 24 घण्टे समाप्त नहीं हो पाये हैं। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि आप लोग फिर जनता के पास जायेंगे और जनता आपको इसका हिसाब भी देगी, इसके लिए आप लोग तैयार रहें। तो मान्यवर, विकल्पधारियों के प्रकरण में आज साढ़े चार साल व्यतीत हो गये हैं लेकिन सरकार के 24 घण्टे आज भी पूरे नहीं हो पाये हैं। मान्यवर, हम किस तरह से मानें कि सरकार काम कर रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)-

मान्यवर, हमारे घोषणा-पत्र में ऐसा नहीं है।

श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, हो सकता है, 24 घण्टे न हो लेकिन आपने कहा था शीघ्र कर देंगे। लेकिन क्या शीघ्र की परिभाषा 5 साल होती है ? सरकार का यह रवैया अभी भी जारी है। अभी सुबह एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी जवाब दे रही थीं। चूँकि माननीय मंत्री जी सिंचाई मंत्री नहीं हैं, हो सकता है, उनके पास पूरी जानकारी न हो इसलिए हमने ज्यादा पूछना उचित नहीं समझा। माननीय मंत्री जी कह रही थी कि इतने की परिसम्पत्तियाँ हमको मिलनी हैं। लेकिन कितनी मिलनी हैं, उनके लिए आपने क्या कार्यवाही की ? परिसम्पत्तियों के बारे में सरकार कोई काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कभी-कभी रिपोर्ट आ जाती है। मैंने एक बार इसी सदन में कहा था कि परिसम्पत्तियों के विषय में सरकार को एक श्वेत-पत्र जारी करना चाहिए। जनता को

बताना चाहिए कि हमारी परिसम्पत्तियों की क्या स्थिति है, कितना हमारे ऊपर देय है। लेकिन चूंकि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, कोई फैसला नहीं कर रही है इसलिए श्वेत–पत्र जारी करना तो दूर, दिन प्रतिदिन के जवाब भी इस तरह दे रही है कि सब कुछ ढका छिपा रहे। कहीं जनता के सामने यह बात न आ जाए कि हमारी परिसम्पत्तियों की स्थिति क्या है ? उत्तर प्रदेश से हमको कितना मिलना है या हमने कितना देना है। इसका खुलासा सरकार ने नहीं किया है। हम कैसे कह सकते हैं कि यह सरकार महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अनुसार काम कर रही है। मेरा कहना है कि सरकार कोई काम नही कर रही है।

रोजगार के बारे में कहना चाहता हूँ। रोजगार के सृजन की बात सरकार कहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में भी कही गयी है। लेकिन हमारे यहाँ रोजगार सृजन की जो स्थिति है, वह आपके सामने है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपने साथ एक डण्डा लेकर चलें। फोर्थ क्लास की भर्तियां नहीं हो पायी। बी0टी0सी0 की परीक्षा का फैसला ही आप बड़ी मुश्किल से ले पाए लेकिन उसके बाद भी परीक्षा नहीं हो पायी। आपने तो निर्णय ले लिया लेकिन आपके विभाग पर आपका कोई कन्ट्रोल नहीं है। अधिकारियों ने जो कह दिया वह आपने मान लिया। इससे हुआ क्या, जनता अपने छोटे–छोटे बच्चों को लेकर, अपने अभिभावकों के साथ जिला मुख्यालय पर परीक्षा देने के लिए पहुँची। उस स्थिति को आप देखते तो कहते कि हमने क्या किया। परीक्षा न होने के कारण जनता रोते–रोते अपने घर गयी। बहुत साल बाद आपने बी0टी0सी0 परीक्षा कराने का निर्णय लिया लेकिन इसका नतीजा क्या निकला ? जनता को तकलीफ भी दी और नतीजा भी कुछ नहीं निकला। आपका इरादा तो ठीक था। लेकिन केवल इरादा ठीक होने से काम नहीं चलता है। इरादे के मुताबिक काम भी होना चाहिए। आप अपने सिस्टम और मशीनरी को भी इसके अनुसार बनाइये नहीं तो इरादा, इरादा ही रह जाएगा। यह तो थी नियुक्तियों की बात।

मान्यवर, विकास की बात होती है। विकास के बड़े–बड़े दावे किए जा रहे हैं। पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं है। सब जानते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, हमने सदन में भी देखा है। अभी हम लोग अनौपचारिक रूप से बैठे हुए थे तो एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पैसे की क्या कमी? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पैसा लाए हैं। लेकिन उस पैसे को लाकर आप क्या कर रहे हैं ? क्या यहाँ पर कोई विकास हो रहा है ? सड़कों की बात आयी, अभी माननीय महेन्द्र भट्ट जी ने अपने यहाँ की 2–3 सड़कों की बात कही। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। मान्यवर, 2002 से अभी तक जितनी भी सड़कों का शासनादेश हुआ है बहुत अच्छी बात है, मंजूर हो गई है माननीय मंत्री जी की कृपा से। लेकिन माननीय मंत्री जी की इस पर कृपा कभी नहीं हुई कि रोड कटिंग हुई हो। हमारे यहाँ मात्र दो कि0मी0 की वर्ष 2002 में लिंक रोड कटी है। सड़कें मंजूर हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।

लेकिन जो सड़कें मंजूर हुई हैं, उन पर कोई काम नहीं हुआ है तो ऐसे पैसे का क्या फायदा। मैंने ब्यूरोक्रेटस से भी बात की कि हमारे यहाँ वन संरक्षण अधिनियम की दिक्कत है, हमारे यहाँ कस्तूरी मृग विहार के कारण भी पाबंदी है इसलिए इन सब चीजों से छुटकारा दिलाकर जल्दी से जल्दी सड़कों का निर्माण किस प्रकार से किया जाए।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में यह जानकारी सभी को होगी कि 1000 से 3000 फीट तक वन अधिनियम बहुत सख्ती से लागू है। मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से भी कहा आपके यहाँ तो फलाने के घर से फलाने के घर तक रोड बन गई है किन्तु हमारे यहाँ तो फलाने इलाके से फलाने इलाके तक भी रोड नहीं बनी है। तो मान्यवर, जहाँ पर वन अधिनियम लागू है वहाँ पर सड़कों के निर्माण के लिए कोई तौर तरीका तो सरकार को खोजना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए जो सड़कें मंजूर हुई हैं वे बनें, उसके बनने में जो तमाम तरह की रुकावटें हैं, उसकी औपचारिकताएं जल्दी से जल्दी से पूरी हों। विकास के लिए अगर पैसे को पैमाना माना जायेगा कि इतना धन मिल गया या इतना बजट प्राप्त हो गया तो यह बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। मात्र पैसे से ही विकास नहीं होता, प्राप्त पैसे का सदुपयोग भी होना चाहिए। विकास के काम दिखाई भी पड़ने चाहिए। जनता को महसूस भी होना चाहिए कि हाँ विकास के कार्य हुए हैं और लाभ भी हुआ है। किन्तु यदि हम आँकड़ों की बात करेंगे और जनता को रुपये के आँकड़े दिखाकर उन्हें मोहित करने का प्रयास करेंगे तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। जैसा कि आज स्थिति है मैं लोगों से कहता हूँ कि आपके यहाँ की सड़क मंजूर हो गई तो वे कहते हैं इस शासनादेश को चाटें, सड़क बनाकर तो दिखाओ। घोषणायें बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं।

मान्यवर, मेरा एक तारांकित प्रश्न ऊर्जा से सम्बन्धित था। मैं प्रश्न बहुत कम करता हूँ लेकिन मैं यह जानना चाहता था कि सरकार की पॉलसी ऊर्जा प्रदेश बनाने की क्या है ? उस प्रश्न के विवरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैंने प्रश्न किया था कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम द्वारा उत्तरांचल क्षेत्र में कुल कितनी जल विद्युत योजनाएं निर्मित थीं एवं चालित की गई थीं और उनमें कुल ऊर्जा उत्पादन कितना था तथा उत्तरांचल बनने के बाद जल विद्युत निगम ने कितनी लघु/मध्यम जल विद्युत योजनाओं का निर्माण किया है इनका कुल विद्युत उत्पादन कितना है ? उत्तर बहुत स्पष्ट था। अविभाजित उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम द्वारा उत्तरांचल क्षेत्र में कुल 40 परियोजना निर्मित/निर्माणाधीन/विकासाधीन थी जिनमें से 13 परियोजनाओं पर उत्तरांचल गठन के पूर्व उत्पादन हो रहा था। वर्ष 2000-01 में इनमें से कुल विद्युत उत्पादन 26.644 मिलियन यूनिट था। राज्य गठन के पश्चात् 04 निर्माणाधीन परियोजनायें तथा 03 बन्द परियोजनायें ऊर्जीकृत की गई हैं। जनवरी 2006 तक कुल विद्युत उत्पादन 40.4343 मिलियन यूनिट रहा।

मान्यवर, 2001 तक 25.6486 मिलियन यूनिट बिजली प्राप्त हो रही थी। राज्य गठन के पश्चात् 04 निर्माणाधीन परियोजनाएं तथा 03 बन्द परियोजनाएं ऊर्जीकृत की गयीं। मान्यवर, वर्ष 2000 से 2006 तक कितना बड़ा काम हुआ है कि वर्ष 2000 से 2006

तक इन 06 वर्षों की अवधि में 04 निर्माणाधीन परियोजनाएं पूरी हुई और 03 परियोजनाओं का ऊर्जीकरण हुआ। मान्यवर, कुल मिलाकर 04 परियोजनाओं का काम पूरा हुआ और तीन परियोजनाएं जो खराब थी, उनमें जनरेशन प्रारम्भ किया गया, यह विकास की प्रगति है। मान्यवर, जिस सेक्टर को हम ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित कर रहे हैं, उसका यह हाल है। मान्यवर, जहाँ तक उत्पादन का सवाल है जनवरी, 2006 तक इनसे 40.4343 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ और वर्ष 2000 में 25.6484 से बढ़ाकर वर्ष 2006 में इसका उत्पादन 40.4343 मिलियन यूनिट बिजली प्राप्त हुई। मान्यवर, इस प्रकार से इन 04 वर्षों में कुल बिजली उत्पादन में लगभग 14.7459 की वृद्धि हुई।

मान्यवर, यह हमारी प्रगति है। मान्यवर, जिस प्रकार से इस क्षेत्र में गति होनी चाहिए थी, वह नगण्य है। केवल कहने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है, इसके पीछे काम करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए, आज इस सरकार में उसका अभाव देखा जा रहा है। मान्यवर, इस सरकार के पास इस चीज का इकबाल होना चाहिए कि अपनी नीतियों के मुताबिक कार्य करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मान्यवर, नियम 58 के अन्तर्गत मैंने यहाँ पर मनेरीभाली का प्रकरण उठाया था, यहाँ पर एक जिम्मेदार अधिकारी ने अपनी मनमानी की। अधिकारी ने जी0एस0आई0 सर्वे की बात तक नहीं मानी, जिसका नतीजा यह हुआ कि जिस परियोजना को वर्ष 2006 में पूरा होना चाहिए था, उस परियोजना का आज कोई अता-पता नहीं है। मान्यवर, ताज्जुब की बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि संदर्भित अधिकारी जिन्हें चीफ मुख्य अभियन्ता का कार्यभार भी दिया गया था, उनको हटा दिया गया है। मान्यवर, यह बयान 24 तारीख को माननीय मंत्री जी ने दिया था। परन्तु आज मेरी जानकारी है कि आज भी वह अधिकारी दोनों पदों पर कार्य कर रहा है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन या सदन में दी गयी स्पष्ट घोषणा के बावजूद भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है, मैं चाहता हूँ इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी जरूर दें। मान्यवर, जो भी बात यहाँ पर माननीय मंत्री जी द्वारा कही जाती है, उसको अधिकारियों द्वारा पूरा करना चाहिए। मान्यवर, यदि ऐसा नहीं होगा तो आपकी पूरी योजनाएं धरी की धरी रह जायेंगी। जनता आपसे पूछेगी, आपके अधिकारियों से नहीं। मान्यवर, इसका ध्यान रखें और जल्द ही परीक्षा की घड़ी आने वाली है। मान्यवर, मैंने सड़कों के बारे में कहा है इसके बारे में माननीय मंत्री जी जरूर कुछ कहना चाहेंगी। मान्यवर, इसी तरह से मैं कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए मुझे इस बात की तकलीफ होती थी कि हर रोज कार्यस्थगन में पुलिस और कानून व्यवस्था के मामले को लेकर आते थे और हम विकास के मुद्दे को उठाने के लिए तरसते थे।

मान्यवर, एक दिन मैंने अपने माथे पर पट्टा बाँधा और मैं खड़ा हो गया, तो माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत देर बाद गौर किया और कहा कि आपकी क्या तकलीफ है, मैंने कहा कि इस प्रदेश में पुलिस और कानून व्यवस्था के अलावा भी काम हैं, कृपया सुनें।

उन दिनों हमें लगता था कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की बात है ही नहीं, हमको विकास की बात करनी चाहिए, लेकिन आज तो इसी की बात हो रही है, प्रदेश बनने के बाद जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, हर जगह असुरक्षा का माहौल है, अशान्ति का माहौल है। मान्यवर, कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऐरी जी, कृपया समाप्त करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, वर्ल्ड लाइफ फण्ड के कुछ कर्मचारी और अधिकारी यहाँ जाँच पर आये और उनको कालागढ़ मार्ग पर लूट लिया गया। मान्यवर, जब डब्ल्यू एल एफ के लोगों को यहाँ पर लूटा गया तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। मान्यवर, हम पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, पर्यटन पुलिस की बात करते हैं। मान्यवर, यहाँ पर वातावरण ठीक नहीं होगा तो कोई पर्यटक आने वाला नहीं है।

मान्यवर, यहाँ पहले कानून व्यवस्था ठीक थी, उस को सरकार को विशेष योजना बनाकर गहराई से ध्यान देकर कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारना चाहिए। मान्यवर, इस प्रदेश को देव भूमि कहते हैं, देव भूमि बनाना चाहिए, सरकार को इरादा जताने से नहीं होगा इसके लिए मेहनत करनी होगी, सरकार को संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। मान्यवर, यह कहते हुए मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और कहता हूँ कि ऐसे धन्यवाद प्रस्ताव पर जो कुछ बोल रहे हैं वह सरकार को करना चाहिए। अगर सरकार करती है तो जनता धन्यवाद देगी और नहीं करेगी तो जनता आपको क्या देगी वह आप जानें।

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में हमारे निम्न बिन्दु जोड़ दिये जायें। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे इस महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं किया गया कि हम महंगाई को किस तरह से नियंत्रण करेंगे। मान्यवर, हमारे प्रदेश में कुछ ही दिन पहले 650 रुपये कुन्तल गेहूँ किया था और आज 12 सौ रुपये गेहूँ का भाव है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार में बैठे हुए लोग सोच रहे हैं कि हम हमेशा इसी कुर्सी पर रहेंगे। मान्यवर, श्रीमती सुषमा स्वराज के जमाने में प्याज महंगा हुआ था तो उनको भी सबक सिखाया, तो इस महंगाई को देखते हुए महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं किया कि महंगाई को नियंत्रण में लायेंगे।

मान्यवर, किसानों के गेहूँ का रेट है वह 650 रुपये खोल दिया जाता है जबकि इस समय जो चल रहा है वह इसका दुगुना है, इसको महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहाँ पिरान कलियर जो सबसे प्रसिद्ध दरगाह है यहाँ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर जो मेला लगता है हमने इसका वहाँ पर कई बार जिक्र किया कि इसे सरकारी मेले का दर्जा दिया जाना चाहिए, पूरे भारत वर्ष में यह प्रसिद्ध मेला है। माननीय अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति जनजाति का बजट पिछले साल भी रखा और इस साल भी, जो पहले तीन सौ करोड़ का था और 370 करोड़ एस०टी० का था इस सरकार ने उसका बंदरबांट किया है जिस तरह लाल बत्तियों का बंदरबांट किया है। इस पैसे को एस०सी० के कल्याण की योजनाओं में लगाना चाहिए था। इस पैसे को जो उनके चहेते हैं उन्हें दिया गया। जो सड़कें जिला सेक्टर से बन सकती थीं नाबार्ड से बन सकती थी। मान्यवर, उन्होंने उस पैसे का बंदरबांट किया है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं भी उसका जिक्र नहीं किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले सरकार अध्यादेश ला रही थी कि सोनिया गाँधी जिन्दाबाद उनको यह मंजूर नहीं हुआ जिस तरह वह सोनिया गाँधी की दुहाई दे रहे हैं और जिस तरह उन्होंने इस्तीफा दिया, इन्हें भी दे देना चाहिए था। मान्यवर, हरिद्वार में तो ये जाने लायक ही नहीं है। हरिद्वार में आज सबसे ज्यादा खेती की जमीन है, ऊधमसिंह नगर में है। ऊधमसिंह नगर को सूखे में घोषित नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के बारे में जिक्र करूँगा कि शिक्षा मंत्री जी ने चतुर्थ श्रेणी की जगह निकाली उसमें डेढ़ बढ़ाने की बात कही तो आने वाली सरकार करेगी, इनको कब भरा जायेगा इसकी जानकारी नहीं दी। मान्यवर, दलितों के जो पद रिक्त पड़े हैं इस पर सरकार ने गम्भीरता से विचार नहीं किया। मान्यवर, जो पद रिक्त पड़े हैं उन्हें भरा जाय। मान्यवर, इस सरकार ने जो संविदा के पदों पर भर्ती की है उसमें सरकार को आरक्षण का ध्यान दिया जाना चाहिए, उसमें आरक्षण होना चाहिए।

मान्यवर, दैवी आपदा में सरकार का बजट था उसको भी कहीं और लगा रहे हैं। छोटे किसानों के पट्टे थे जो तीन बीघा के दिये गये थे, जो तालाबों के किनारे दिये गये थे उनको समतल करके उनको छुड़वाने की बात कर रहे हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश जहाँ से हम आये हैं, वहाँ पर कई बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के समय में श्रेणी–4 के लोगों को भूमि के पट्टे दिये गये थे, लेकिन नियमितीकरण नहीं किया गया था। महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहीं पर इसका जिक्र नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ और जो बिन्दु मैंने उठाये हैं, उन्हें महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ दिया जाये।

*श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि की दृष्टि से जो काम होने चाहिए थे उनका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, एक तरफ सरकार ने सी०बी०एस०ई० की जो नीति है उसे उत्तरांचल माध्यमिक शिक्षा में एडाप्ट किया है लेकिन इसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिएं पुस्तकालय, पुस्तकालयाध्यक्ष, संगीत की शिक्षा, सामाजिक विज्ञान इन सारे विषयों का समावेश नहीं किया गया है। इससे शिक्षा में गुणात्मक विकास होता और हम एक अच्छी शिक्षा अपनी भावी पीढ़ी को दे पाते, लेकिन इसके लिए कोई योजना नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनायी गयी है। इसलिए मैं इसे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जोड़ने की माँग करता हूँ। मान्यवर, शिक्षा विभाग में जो स्थानान्तरण की नीति बनायी गयी है उसमें एक अनुकम्पा शब्द जोड़ दिया गया है। इसी शब्द की वजह से दूर-दराज के क्षेत्र जिनके लिए उत्तरांचल बना था, वह शब्द उनके लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। इसी शब्द की वजह से कई विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं तो कई में अधिक शिक्षक नियुक्त हैं। इस अनुकम्पा शब्द को स्थानान्तरण नीति से बाहर कर देना चाहिए।

मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आज जहाँ पर भी पब्लिक स्कूल खुल रहे हैं वहाँ प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या गिरती जा रही है और इसका मूल कारण यह है कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और इसके स्तर को उठाने का संकल्प श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में व्यक्त नहीं किया गया है। मान्यवर, दूसरी तरफ पब्लिक स्कूलों में जो लूट हो रही है। मैं इसे लूट ही कहूँगा विकास शुल्क के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, फीस के नाम पर बेतरतीबी से अभिभावकों को लूटा जा रहा है। सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की है। मान्यवर, मैं स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में कहना चाहूँगा अब तक पाँच साल उत्तरांचल बने हुए हो गये हैं लेकिन, हमारे राज्य में एक भी राजकीय मेडिकल कालेज नहीं है। देहरादून जो राज्य का मुख्यालय है, अस्थाई राजधानी है वहाँ भी कोई स्टेट मेडिकल कालेज का प्राविधान नहीं किया गया है। यदि दून और कोरोनेशन अस्पताल को मिलाकर अभिभाषण में इसका प्राविधान किया जाता तो अच्छा होता। लेकिन, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों के जो चिकित्सालय हैं उनकी स्थिति आज भी जस की तस है। चिकित्सालय खाली पड़े हैं, कहीं-कहीं पर यदि चिकित्सक हैं भी तो वह ड्यूटी में नहीं जा रहे हैं। उनकी चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, वह ड्यूटी पर जा रहे हैं या नहीं उसकी मानीटरिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज हम ई-गवर्नेंस की बात करते हैं लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। श्रीमन्, जहाँ पर वास्तव में चिकित्सकों की आवश्यकता है वहाँ पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में हम नाकाम रहे हैं।

मान्यवर, पैरा मेडिकल कालेजों की बात की जाय तो प्रदेश में कई फर्जी कॉलेज चल रहे हैं। मेरे पास एक ऐसे ही विद्यालय का पोस्टर है जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी का भी चित्र छपा है, वह मेरे पास है और मैं इसे दिखा सकता हूँ। वहाँ पर मोटी फीस ले कर एडमीशन किये गये और कुछ दिनों बाद वहाँ के छात्रों से कह दिया गया कि जिस संस्थान से अपनी डिग्री और डिप्लोमा लिये हैं वह संस्थान फर्जी है। वहाँ के छात्रों पर पुलिस लाठियाँ बरसाती है। आखिर ऐसे फर्जी विद्यालयों के कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण कैसे चले जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह आश्चर्य की बात है हमारे प्रदेश में धड़ल्ले से आज भी ऐसे 7 कॉलेज चल रहे हैं। डी०एफ०पी० संस्थान में यह पहले चल रहा था लेकिन अब बंद हो गया है।

काशीपुर, ऋषिकेश और बागेश्वर में ऐसे कॉलेज चलाये जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि ऐसे संस्थानों पर रोक लगनी चाहिए और जो लोग गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। सरकार को इसके लिए एक ठोस नीति बनानी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई भी नीति बनाये जाने का उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इसे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ा जाय।

मान्यवर, दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर चिकित्सक नहीं हैं वहाँ पर आज चिकित्सकों की वास्तव में आवश्यकता है तो वहाँ पर चिकित्सक भेजे जाने चाहिए और जो हमारे आयुर्वेदिक डाक्टर हैं, जो अभी बेरोजगार हैं और वहाँ पर अपनी सेवायें देने के लिए तैयार हैं तो सरकार को उन्हें मौका देना चाहिए। मान्यवर, राजधानी में यातायात का दबाव निरन्तर बढ़ रहा है। देहरादून शहर में ही रोजाना 100 से 150 वाहन बढ़ रहे हैं।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत जो बिन्दु उठाये हैं। ऐसे 5 ही कॉलेजों के प्रकरण हमारे पास आये थे और हमने आवश्यक कार्यवाही के बाद सभी को सीज कर दिया है। उत्तरांचल राज्य में यदि कोई भी ऐसा मामला होगा तो उस पर निश्चित ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, हम तो लिख–लिख कर हार गये, कह–कह कर हार गये, काशीपुर में ऐसा ही एक विद्यालय चल रहा है। (व्यवधान)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आप मुझे लिखित सूचना दे दें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, लिख–लिख कर मेरी फाइल इतनी मोटी हो गई है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी ने अच्छी बात कही है और ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन जो मामला माननीय चीमा जी ने उठाया है उस पर मैं भी कई बार कह चुका हूँ कि एक फर्जी संस्थान काशीपुर में चल रहा है लेकिन आज तक उस पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी उस संस्थान पर भी शीघ्र कोई कार्यवाही करें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य उसकी लिखित में सूचना मुझे दे दें, मैं एक सप्ताह में उस पर कार्यवाही कर दूँगा। नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं ऐसे फर्जी संस्थानों की सूची दे सकता हूँ, मैं उनके नाम बता देता हूँ। जो 7 फर्जी पैरामेडिकल कालेज आज भी चल रहे हैं उनमें आई0पी0एस0 एण्ड पी0एम0 ऋषिकेश, शीतल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, रानी पोखरी, देहरादून। ए0सी0एम0टी0 कोठारी नर्सिंग होम, ऋषिकेश, देहरादून, इन्स्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, हरिद्वार, सिद्धार्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, रानीखेत, अल्मोड़ा, लक्ष्मी हेल्थ एजुकेशन, रामनगर, नैनीताल तथा कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, हल्द्वानी, नैनीताल, यह 7 संस्थाएं हैं, जिनकी सूची मेरे पास है। काशीपुर का इसमें उल्लेख नहीं है। यह माननीय चीमा जी उपलब्ध करा देंगे। मैंने यहाँ पर यह नाम बता दिये हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं तो इस पर कार्यवाही अवश्य होगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रावत जी, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूँ। यातायात की बात कहना चाहता हूँ। आज प्रदेश में अनियंत्रित यातायात बहुत बढ़ गया है। विशेषकर राजधानी की सड़कों की बात कर रहा हूँ। ऋषिकेश से लेकर देहरादून तक जो यातायात है, वह अनियंत्रित होने के कारण आज तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग सड़कों में कुचले जा रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से इस तरह की सूचना हमारे सामने आ रही है। यातायात को नियंत्रित रखने के लिए ठोस कोशिश होनी चाहिए। यात्रा सीजन आने वाला है। मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि बाम्बे–पूना हाई वे के बाद दिल्ली–ऋषिकेश मार्ग पर सबसे ज्यादा वाहन चलते हैं। इस मार्ग पर गति में नियंत्रण रखने तथा ड्राईवर ढंग से चला रहा है या नहीं, इसकी चैकिंग करने के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, मैं समाज के सबसे पिछड़े और गरीब तबके के लोगों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये लोग कई वर्षों से ग्राम समाज की भूमि में रह रहे हैं, नगरीय क्षेत्रों में रह रहे हैं। इनके पास पानी का संयोजन है, बिजली का संयोजन है। इनके लिए ग्राम पंचायत और जिला पंचायत सड़कें बना रही हैं। लेकिन इनको भूमिधरी का अधिकार नहीं है। इस भूमि को बंधक बनाकर सरकार से जो सुविधाएं मिल सकती थीं, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से जो सुविधाएं मिल सकती थीं, उससे यह लोग वंचित हैं। उनका विकास अवरुद्ध हो रहा है। उनके विकास के लिए इस अभिभाषण में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रावत जी, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं दो–तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आज स्थिति यह है कि राशन कार्ड पर जो मिट्टी का तेल मिलता है, वह उस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। उससे ट्रक तथा अन्य वाहन चल रहे हैं। जिसके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की गयी है, उनको उस राशन कार्ड से न चीनी मिल रही है, न चावल मिल रहा है, न गेहूँ मिल रहा है और न ही तेल मिल रहा है। उनके विकास के लिए कोई घोषणा इस अभिभाषण में नहीं की गयी है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जिस व्यक्ति को राशन कार्ड पर तेल नहीं मिल रहा है, उसका नाम आप मुझे दे दीजिए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं दे दूँगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीटरों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आज सब जगह इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग रहे हैं। मैं मानता हूँ कि पुराने बिजली के मीटर सही रीडिंग नहीं देते थे। लेकिन उनमें 400 का 4000 नहीं होता था। मेरी स्पष्ट जानकारी में है कि पहले महीने में जिसका बिल 400 रुपये आया दूसरे ही महीने उसका बिल 14000 रुपये आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मीटर से उपभोक्ता परेशान हैं। उस पर नियंत्रण रखने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, महिला सशक्तीकरण वर्ष चल रहा है। सरकार अपने अभिभाषण में बेरोजगारों के, विधवा और निराश्रितों के विकास के लिए बात तो कर रही है। लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन उनका प्रतिपादन कैसे किया जाए, इसका कोई जिक्र नहीं है। सरकार ने इस विषय में दुःख तो प्रकट किया है लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बजट नहीं है। बजट तो है। जहाँ सरकार नौ महीने में 15 करोड़ रुपये खर्च करती है। मान्यवर, वहीं तीन महीने में एक हजार करोड़ रुपये सरकार खर्च कर लेती है। अभी मैंने बजट भाषण को पढ़ा उसको पढ़कर मुझे महसूस हुआ कि बहुत ही अनियोजित तरीके से विकास के कार्य हो रहे हैं, धन का दुरुपयोग हो रहा है। यह असंतुलित विकास प्रदेश को विकास की ओर नहीं ले जा सकता है। इस बजट को विकासोन्मुखी बजट नहीं कहा जा सकता है। अन्त में मैं अपनी बात को एक शेर के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

"कौम के गम में डिनर लेते हैं हुक्काम के साथ, कौम का गम तो बहुत है, मगर आराम के साथ।"

श्री जोत सिंह–

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा एक ही नहीं अनेकों विकास के कार्य किये गये हैं। इन विकास कार्यों की यदि यहाँ पर चर्चा की जाए तो एक बहुत लम्बी फेहरिस्त बन जायेगी।

जैसा कि हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा कभी–कभी कह दिया जाता है कि विगत चार वर्षों में सरकार की क्या उपलब्धि रही। मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूँ कि इन चार वर्षों में सरकार द्वारा उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों का जो सपना था उसे साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार ने आन्दोलनकारियों के हित में कई निर्णय लिये उन्हें सरकारी नौकरियाँ प्रदान की गई, उन्हें नियमित किया गया। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर सम्मान की कोई बात नहीं हो सकती है कि मान्यवर, देहरादून से लेकर रामपुर तिराहा तक कई शहीद स्मारकों का निर्माण उन आन्दोलनकारियों की शहादत की याद दिलाता है और हम उन्हें सम्मान के साथ नमन करते हैं। यह बहुत बड़ा आन्दोलनकारियों को सम्मान है। लेकिन आज भी मसूरी, खटीमा, देहरादून और पौड़ी तथा अन्य बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर कि आन्दोलनकारियों को चिन्हित करने का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि चिन्हीकरण का कार्य शीघ्र पूरा हो उन्हें सम्मान की परिधि में लाया जाए।

मान्यवर, मसूरी में सर्किट हाऊस बनाने की बात का जो जिक्र अभिभाषण में किया गया है उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। साथ ही मैं यह आशा भी करता हूँ कि यह सर्किट हाऊस तय समय में पूरा हो जायेगा। इसी प्रकार से मान्यवर, सड़कों के बारे में अगर बात की जाय तो इसकी भी बहुत लम्बी फेहरिस्त है। आज सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। राज्य योजना तथा राज्य सेक्टर से लेकर तमाम योजनाओं के माध्यम से सड़कों का जाल बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं अपनी सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि जैसे अम्बाला हाइवे को या जैसे दिल्ली से हरिद्वार या दिल्ली से देहरादून या दिल्ली से ऋषिकेश तक चार लाइनों का हाइवे बना रखा है उसी तरह का हाइवे मसूरी से जोड़ा जाए जिससे पर्यटक आसानी से वाल्वों में आए और जाए, इससे पर्यटकों की आवा–जाही में इजाफा होगा। मान्यवर, अनेक उपलब्धियां है चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, श्रम के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो तमाम उपलब्धियाँ हैं।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पुस्तक का विमोचन करके अपनी उपलब्धियाँ बतायी हैं। मान्यवर, आज प्रदेश की जनता की अपेक्षाएं हमारी सरकार से और बढ़ गयी हैं। अपेक्षाएं जनता की उसी सरकार से बढ़ती है, जो सरकार कार्य करती है। सरकार हमारी जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार जनता के तमाम बचे हुए कार्यों को पूर्ण करेगी। मान्यवर, हमारी संगठन और पार्टी का जो घोषणा–पत्र है उसी के अनुरूप 60 फीसदी घोषणाएं पूरी करने के बाद उस घोषणा–पत्र को हमारे प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों के लिए यह सरकार कार्य कर रही है। देखने में अभी बजट पास नहीं हुआ है, इस पर अभी बहस होगी उसी के बाद यह पास होगा। मान्यवर, अभिभाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकार आने वाले समय में पुख्ता तरीके से जनहित का संकल्प लेकर काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव के विरोध में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, इस सरकार ने अपने एक वर्ष का जो लेखा–जोखा प्रस्तुत किया है, वह इसकी कार्यप्रणाली से मेल नहीं खाता है। मान्यवर, राज्य निर्माण के पीछे जो लम्बे समय का संघर्ष किया हुआ है उसका भी इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। जिन नीतियों और सिद्धान्तों को लेकर उत्तराखण्ड की जनता ने लगभग 25 वर्षों तक संघर्ष किया उन भावनाओं के अनुरूप कोई नीतियाँ इसमें नहीं हैं। मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के पीछे जो बुनियादी सोच थी, उस समय जो नीतिगत मुद्दे थे, उसके पीछे वर्ग विहीन, समाजवादी देश के शीर्ष पर एक आत्मनिर्भर राज्य की सोच थी। मान्यवर, उसके पीछे भी ऐतिहासिक सोच थी पौराणिक तथ्यों के आधार पर जो राज्य का नाम उत्तराखण्ड किये जाने की सरकार ने घोषणा की थी कि हम उत्तरांचल का नाम बदल कर उत्तराखण्ड कर देंगे, मगर पाँच वर्ष बीतने के बाद भी ऐसा अभी तक नहीं किया गया है।

मान्यवर, स्थाई राजधानी के बारे में इस अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। मान्यवर, राजधानी के बारे में जो राज्य की जनता की मूल भावना थी वह उत्तराखण्ड के केन्द्र बिन्दु में बनाने की थी। मान्यवर, जिस सोच को लेकर राज्य की लड़ाई लड़ी गयी थी, जो मूलभूत सुविधाएं उत्तर प्रदेश में रहते हुए हमें मुहैया नहीं हो पाती थी, उसी को पूरा करने के लिए उत्तराखण्ड के केन्द्र बिन्दु में राजधानी का निर्माण था, जिससे कि सरकार में बैठे प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण चारों दिशाओं की ओर से आयेंगे साथ ही कुछ ऐसी नीतियाँ बनायेंगे जिससे राज्य का विकास हो सके। मान्यवर, पर्यटन के बारे में कहना चाहता हूं। राजस्व प्राप्ति की बात कही गयी है। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है पर्यटन के नाम पर अब तक इस सरकार ने कितनी जगहों का निर्माण किया है ? मान्यवर, जो जगहें ब्रिटिशर्स ने अपने समय में बसाये थे, आज भी वही जगहें हैं। आज भी नैनीताल, देहरादून, मसूरी, रानीखेत ही है। मान्यवर, आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आयी किसी ने नई जगह विकसित नहीं की है। अभिभाषण में द्वाराहाट, चौखुटिया, मानीला बग्वालीपोखर जैसी खूबसूरत घाटियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। मान्यवर, राजधानी गैरसैंण बनाने के पीछे जनता का मकसद था कि राजधानी राज्य के केन्द्र बिन्दु में बसायी जाय, चन्द्रनगर गैरसैंण राज्य का केन्द्र बिन्दु है।

मान्यवर, अगर सरकार गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करती तो इतिहास में नाम दर्ज होता, नया शहर बसता, पूरे प्रदेश की जनता को लाभ मिलता, मास्टर प्लान के तहत वह शहर बसाया होता तो अच्छा होता। गैरसैंण राजधानी जाने पर प्रदेश की जनता का, आन्दोलनकारियों का, शहीदों का सम्मान होता। माननीय अध्यक्ष जी, रोजगार की बात आती है तो पिछले कई घोषणा पत्रों के अनुरूप सरकार ने बार–बार 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। मान्यवर, राज्य बनने से पहले राज्य

में जो बेरोजगारों के आंकड़े हैं वह एक लाख थे, पिछले वर्ष से चार लाख बढ़ गये हैं जबकि हजारों लोग प्रतिवर्ष बाहर के राज्यों में पलायन करते हैं और आज भी सरकार किस तरीके से रोजगार दे रही है यह स्पष्ट नहीं है। मान्यवर, सिडकुल के तहत जो रोजगार स्थापित किये जा रहे हैं उससे प्रत्येक जिले की जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाता, वहाँ पर लोगों की पंजीकृत संख्या मंगाकर प्रत्येक जिले का हिस्सा तय किया जाता। सिडकुल में जो उद्योग लगाये जा रहे हैं उसमें रोजगार दिया जायेगा तो कुछ समस्या कम होगी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, कुटीर उद्योग के माध्यम से इस प्रदेश में दैनिक उपभोग की सामग्री गाँवों में ही तैयार हो जाती थी। आज उन उद्योगों को पुनर्जीवित किये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, अल्मोड़ा में ताँबे का उद्योग है, जब तक ताँबे के शिल्पी को मूल्य निर्धारण का अधिकार नहीं दिया जाता, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, इसके लिए भी सरकार ने कोई प्रभावी कार्य नहीं किया। मान्यवर, इसके साथ ही साथ चौखुटिया विकास खण्ड कृषि क्षेत्र है, लेकिन वहाँ की नहरें क्षतिग्रस्त हैं जिससे किसान परेशान हैं। नई नहरों का निर्माण एवं क्षतिग्रस्त नहरों का पुनर्निर्माण आवश्यक है इसके साथ ही साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में विरोध दर्ज करता हूँ और जो क्रम संख्या 1 से 69 तक जो संशोधन है उनको जोड़ दिया जाए।

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, किसी भी राज्य की उन्नति और प्रगति का आकलन हम तब कर सकते हैं अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में किसी अन्तराल के साथ तुलना कर सकें और वह आकलन इस प्रकार कर सकते हैं कि देश की आजादी के 50 वर्ष और वर्तमान कांग्रेस सरकार के यह चार वर्ष, इन चार वर्षों में जो विकास हुये हैं और इनसे पहले 50 वर्षों में जो काम हुआ है, अगर हम उसका कम्पेरिजन करें तो यह बात सामने आयेगी, हमें खुशी है कि विकास कार्य में नये आयाम आये हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी सरकार को।

मान्यवर, हिमाचल प्रदेश भी नवोदित राज्य के रूप में विकसित हुआ और आगे बढ़ा, आज उत्तरांचल राज्य का वर्ष 2006–07 का परिव्यय 27 सौ करोड़ रुपये से बढ़कर 4 हजार करोड़ रुपये का जो परिव्यय निर्धारित किया गया है, निःसंदेह उसके लिए हमारी सरकार ~~बधाई की पात्र है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी परिप्रेक्ष्य में~~ अगर हम इस प्रदेश की सड़कों की ओर जायें, जो कि पहाड़ी राज्यों के लिए खासतौर पर वरदान के रूप में साबित है, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

मान्यवर, हमारी सरकार के द्वारा इन चार सालों में रु0 2,343 करोड़ की लागत से 14,463 कि0मी0 सड़कों तथा 388 पुलों का निर्माण हुआ है, इसके लिए सरकार और लोक निर्माण मंत्री जी बधाई के पात्र है। मान्यवर, प्रतिपक्ष के अनेक लोग आरोप लगाते है। इसके अतिरिक्त राज्य में 8 हजार कि0मी0 मार्गों की योजना के कार्यान्वयन हेतु एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से रु0 1500 करोड़ के ऋण की स्वीकृति हुई है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, खास तौर से पहाड़ी राज्य जहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ है। मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूँ कि जिला सेक्टर में जो सड़कें स्वीकृत हैं क्योंकि जिला सेक्टर में बहुत कम पैसा स्वीकृत होता है तथा अधिकतर कार्य वन अधिनियमों के तहत (एन0पी0बी0) NPB की वजह से रुके हैं इसका प्राविधान राज्य सेक्टर में किया जाय। मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में चहुँमुखी विकास हुआ है, पर्यटन में चार धामों का गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ यात्रा मार्गों पर 212 करोड़ की महायोजना तैयार की गई उसमें और बहुत सारा पैसा अवमुक्त हुआ है, इसके लिए मैं पर्यटन मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

मान्यवर, मैं सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहता हूँ कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की व्यवस्था, खास तौर से आज, यह चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। जो हमारे उत्तरांचल के धार्मिक स्थल है उन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, इस पर निश्चित रूप से चिन्तन किया जाय। मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं परिवहन विभाग ने जो नया केन्द्र खोला है, ऐसे बहुत कम राज्य हैं जिन्होंने अपने राज्य में चालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की है। इसके लिए मैं अपनी सरकार को और परिवहन मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूँ। जो पहाड़ों में दुर्घटना हो रही है वह सबके लिए चिन्ता का विषय बन रहा है। यह दुर्घटनायें चालकों की गलती से हुआ करती है, जो पहाड़ी मार्गों में चल रहे हैं उनको रिफ्रेशर कोर्स देना चाहिए चाहे वह टी0जी0एम0ओ0 कु0मा0यू0 अथवा जी0एम0ओ0 तथा अन्य विभाग का चालक हो, को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार से पहले 1525 उप केन्द्र थे और आज वह 1576 हो गये हैं इस तरह से प्राथमिक केन्द्र 234 थे और आज 275 हो गये हैं, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सुझाव के रूप में, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं उनका मानक 20 हजार की आबादी में है, पहाड़ी क्षेत्रों में 15-20 कि0मी0 पर एक गाँव दूसरे गाँव से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार मान्यवर, वहाँ पर एक साथ 20 हजार की आबादी मिल पाना संभव नही है। इसलिए इस मानक में शिथिलता प्रदान की जावे। मान्यवर, शिक्षा विभाग के बारे में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने इतने कीर्तिमान स्थापित किये हैं कि आने वाले समय में कोई भी इतने कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पायेगा। 1300 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं, 453 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है। हमारी सरकार ने शिक्षा में 20 हजार लोगों को रोजगार दिया है। कई जगह पर तो मानकों में शिथिलता प्रदान की गयी है। व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े

हुए लोग जिन्होंने 5–10 साल काम किया है उनको भी नियमों को शिथिल करते हुए रोजगार प्रदान किया गया है। मेरा निवेदन है कि जो शिक्षा मित्र थे और जो अर्हताएं भी पूरी नहीं करते थे, उसके बावजूद भी उनको मानकों में छूट देते हुए उनको नियुक्तियाँ दी गयी हैं, लेकिन 8 शिक्षा मित्र रह गये हैं इस कारण कि उन्होंने विशारद से बी0एड0 किया है। तो मान्यवर, इन 8 शिक्षा मित्रों को भी मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुए रोजगार मुहैया कराया जाये। जो विजिटिंग फैकेल्टी के लोग हैं जिनको 4 साल पहले विज्ञप्ति के द्वारा नियुक्ति दी गयी थी, उनको भी नियमित किया जाये।

मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में चमोली में जय प्रकाश हाइड्रो जल विद्युत परियोजना 400 मेगावाट की लगायी गयी है, लाता तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना 108 मेगावाट की, तपोवन हेलंग विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना 520 मेगावाट की, हेलंग पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना 340 मेगावाट की लगायी जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परियोजना चलायी जा रही है। मान्यवर, आज वहाँ पर स्थिति यह है कि एन0टी0पी0सी0 और टी0एच0डी0सी0 द्वारा जो भूमि का अधिग्रहण किया गया है उसका मुआवजा वहाँ के लोगों को बहुत कम दिया जा रहा है। मान्यवर, यह भूमि ही उनके रोजगार का साधन है। आज स्थिति यह है कि उनकी पूरी जमीन मकान सब विद्युत परियोजनाओं में चला गया है। मेरा निवेदन है कि उनके साथ न्याय किया जाये। उनको भूमि के बदले भूमि दी जाये। इसके लिए फारेस्ट की जमीन को डिफोरेस्टेशन किया जाये तो ठीक होगा क्योंकि वहाँ के लोग देहरादून या हल्द्वानी आदि जगहों पर नहीं रह सकते हैं। डिफोरेस्टेशन वाली जमीनों को प्रभावित काश्तकारों को आवंटित किया जाय, ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। इसके अतिरिक्त मेरा यह निवेदन है कि वहाँ पर उन विस्थापितों को उनकी जमीनों का उचित मुआवजा दिया जाय। अन्त में आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

*काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, 2006 में महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण को हमने सुना और घर जाकर मेरे पास विगत 4 सालों के अभिभाषण रखे हैं, उनको भी देखा तो यही अहसास हुआ कि पुरानी शराब और नई बोतल और वह भी कम। श्रीमन्, मुझे एक वाकया याद आता है कि एक बार एक आदमी एक होटल में खाना खाने के लिए गया और खाना खाने के बाद वह होटल के मैनेजर के पास गया और उससे बोला कि मुझे यहाँ पर खाना खाने 3 दिन पहले ही आना चाहिए था। तो मैनेजर ने कहा कि यह आपकी जर्रानवाजी है। तो वह आदमी बोला कि जर्रानवाजी किस बात की, अगर मैं 3 दिन पहले यहाँ पर आता तो कम से कम मुझे खाना तो ताजा मिलता, 3 दिन का बासी खाना तो नहीं खाना पड़ता। तो यही स्थिति यहाँ पर भी है कि महामहिम राज्यपाल का बासी भाषण ही यहाँ पर पढ़वा दिया गया। बहरहाल उन्होंने पढ़ा और हमने भी सुना। उस पर आज भी चर्चा जारी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज की तारीख में जो राज्य की गम्भीर समस्या है, वह है अस्थिरता। आजकल राज्य में अस्थिरता बनी रहती है, रोज ब रोज माननीय मुख्यमंत्री जी का इलेक्ट्रानिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से एक बयान आता रहता है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहता। अगर नेता प्रतिपक्ष की जबान में कहें तो कितना अच्छा होता यदि राज्य में अस्थिरता समाप्त हो जाती । मान्यवर, सचिवालय या किसी भी कार्यालय में जायं तो सभी अधिकारियों से यही सुनने को मिलता है, टेस्ट मैच की कमेंटरी की तरह कि माननीय मुख्यमंत्री जी के फलाँ सहयोगी से बात हुई है 2–4 दिन और बने रहेंगे। सरकार ने अपना ध्यान जनता की भलाई में रखना चाहिए था लेकिन उनका सारा ध्यान सरकार बचाने और चलाने पर ही रहा है। (व्यवधान)

यह 6 हजार करोड़ भी हो सकता था।

मान्यवर, कुछ अंग्रेजी के शब्दों को भी अभिभाषण में लिखा गया है शायद प्रभाव के लिए। जैसे स्मार्ट कार्ड, सिस्को, इंफारमेशन टेक्नोलॉजी। मान्यवर, आज आई0टी0 का जमाना है, मेरे पास 2002, 03, 04 और 2005 के भी अभिभाषण रखे हुए हैं और सब में इन्हीं शब्दों को दोहराया गया है और सब में एक बात कही गयी है, इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जायेगा। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार आई0टी0 पार्क बना रही है या ताजमहल बना रही है। क्या आई0टी0 पार्क को बनाने में इतना समय लगता है ? आजकल तो आई0टी0 का जमाना है और आई0टी0 के क्षेत्र में तो कोई चीज आज आती है तो वह कल पुरानी हो जाती है तो आखिर सरकार ऐसे समय में किस रफ्तार से यह पार्क बना रही है। मान्यवर, 2003 में सरकार ने महामहिम राज्यपाल जी से कहलवाया था कि ऊर्जा प्रदेश राज्य को बनाया जायेगा और 24 घन्टे बिजली की आपूर्ति की जायेगी। 24 घन्टे तो छोड़िये 15–16 घंटे भी बिजली हम आज नहीं दे पा रहे हैं और जो बिजली दे भी रहे हैं तो उसमें इतना फ्लक्चुएशन है कि उसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। जो उद्योग हैं वह कैसे कार्य कर पायेंगे ? मान्यवर, इसी तरह से वर्ष 2003 में भी महामहिम से परिवहन विभाग के लिए कहलवाया गया था कि एक्सीडेंट रोकने का प्रयास करेंगे। फिर वही बातें लिखी गयी हैं। स्मार्ट कार्ड की बात सरकार के द्वारा की गई। लेकिन इसका पालन नहीं हुआ और एक्सीडेंट रुके नहीं बल्कि उनमें इजाफा ही हो रहा है। इसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए।

मान्यवर, अल्प संख्यक विभाग को तो एक ही लाइन में खत्म कर दिया गया। इस बारे में एक ही बात सरकार द्वारा कही जाती है कि हमने वक्फ बोर्ड बना दिये, हज समिति बना दी। हो सकता है कि आपने अपने किसी पुराने बेरोजगार साथी को रोजगार देने के लिए या किसी को लालबत्ती देने के लिए यह बना दी हो। मान्यवर, कोई भी ऐसी बात जिससे महसूस हो सके कि अल्पसंख्यकों का भला हुआ है, कहीं भी देखने को नहीं मिली। मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा देने की बात की जा रही है। लेकिन यह तो देख लेना चाहिए था कि उन मदरसों में बिजली के कनेक्शन हैं भी या नहीं।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, कम्प्यूटरों के साथ हमने जेनरेटर भी दिये हैं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह भी देख लेना चाहिए था कि उन मदरसों में कम्प्यूटरों का संचालन करने के लिए कोई व्यक्ति है या नहीं ? मान्यवर, बेरोजगारों के बारे में कहना चाहता हूँ, यह एक मुख्य मुद्दा था उत्तरांचल राज्य बनाने में। आज हरिद्वार से लेकर ऊधमसिंह नगर में औद्योगिकरण हो रहा है। लेकिन उन उद्योगों में यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बाहर के लोगों को ही उसमें रोजगार मिल रहा है। इन उद्योगों में बहुत कम लोकल लोगों को ठेके पर बंधुवा मजदूर के तौर पर रखा गया है। सचल कैरियर काउंसलिंग की घोषणा 2004 में भी की गयी थी और इस बार 2006 में भी की गयी है। लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है।

(माननीय श्रम मंत्री श्री हीरा सिंह बिष्ट के खड़े होने पर)

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, उसकी ब्रीफिंग माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को करा दीजिए क्योंकि अभी इसका उत्तर भी दिया जाना है। मान्यवर, गन्ना किसानों के बारे में कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश से एम०ओ०यू० किया था कि 5 साल तक उत्तर प्रदेश हमारी गन्ना मिलों को गन्ना देगा और हम उत्तर प्रदेश की मिलों को गन्ना देंगे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जब गन्ने की स्थिति खराब थी, तब जबरदस्ती हमको उत्तर प्रदेश का गन्ना दिया गया। आज जब गन्ने में तेजी है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना देने से मना कर दिया है। उत्तरांचल सरकार इस विषय में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। ट्रांसपेरेंसी की बात आती है। जो ट्रांसपेरेंसी हमको आबकारी नीति में देखने को मिली, वह कहीं नहीं मिल सकती है। मान्यवर, एक वाकया बताना चाहता हूँ। एक बार पुलिस की तत्परता की बात चल रही थी। न्यूयार्क पुलिस, स्कॉटयार्ड पुलिस और हमारे यहाँ की पुलिस में बात हो रही थी। न्यूयार्क पुलिस ने कहा कि अपराध होने के 24 घण्टे के अन्दर हमको पता चल जाता है कि अपराध किसने किया। स्कॉटयार्ड पुलिस ने कहा कि अपराध होने के 1 घण्टे के अन्दर हमको पता चल जाता है कि अपराध किसने किया। हमारे यहाँ की पुलिस ने कहा कि हमें पहले से पता होता है कि अपराध कौन करेगा।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, यह बात माननीय सदस्य पहले भी 2–3 बार कह चुके हैं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मेरी इच्छा आपको बधाई देने की थी। मुझे दून हॉस्पिटल में एक साहब को ले जाने का मौका मिला। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि दून हॉस्पिटल में जाने के बाद लगा कि हम अपोलो सरीखे हॉस्पिटल में खड़े हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, खुशी इस बात की है कि सरकार में शामिल मंत्री हों या ट्रेजरी बेंच में बैठे माननीय सदस्य हों, सबको यह जानकारी है कि इस बार उनको

विपक्ष के साथ बैठना है। सब लोग विपक्षी लहजे में यहाँ पर पेश आते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष की भाषा भी धीरे–धीरे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं की तरह बोलते हैं। माननीय सलाहकार महोदय को सम्भवतः उसी कुर्सी में बैठने का मौका मिलेगा और लोग शायद यहाँ पर न आ पाएं। (व्यवधान) मान्यवर, हरिद्वार में एक प्रोग्राम में माननीय नेता सदन एक जगह तकरीर दे रहे थे। उन्होंने एक शेर पढ़ा। बड़ी पैसिमिस्टिक सोच थी।

"जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गये दास्तां कहते–कहते।" मान्यवर, उस दिन मेरे दिमाग में आया "मेरी दास्तां का उरूज था तेरी नम पलकों की छाव में, तुझे जगना मेरे साथ था, तेरी आँख कैसे झपक गई।" मान्यवर, राज्यपाल का यह अभिभाषण उद्देश्यहीन है। मेरा निवेदन है कि समस्त प्रतिपक्ष के लोगों द्वारा तथा नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो संशोधित प्रस्ताव दिया गया है, अभिभाषण के अन्त में जोड़ जाय दिया ताकि इस दिशाहीन अभिभाषण को दिशा दी जा सके।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय कण्डारी जी द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मेरे द्वारा पेश जो 1 से लेकर 55 संशोधन के बिन्दु हैं, उनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मान्यवर, मैं लगातार विगत पाँच सालों से महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर 56,57,58 या 60 कटमोशन लगाता रहा हूँ लेकिन अभी तक कहीं पर भी कोई योजना स्वीकार नहीं हुई। मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो बोला जाता है वह इसलिए बोला जाता है कि माननीय सदस्यगण जो संशोधन करेंगे, जो सुझाव देंगे उन सुझावों पर सरकार गौर करेगी तथा जो क्षेत्रीय समस्यायें होती हैं उन पर भी सरकार गौर करेगी। लेकिन इस सदन में ऐसा प्रतीत होता है कि सुझाव देना या कटमोशन लगाना एक रीति–रिवाज सा बन गया है। तब भी जो रीति–रिवाज बना है उसी परम्परा को निभाना पड़ेगा। मैं कुछ तथ्यों के साथ सदन में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का आइना होता है, सरकार क्या चाहती है, सरकार की क्या मंशा है और सरकार क्या करने जा रही है, इसमें सब दर्ज होता है। मान्यवर, मूलतः सरकार चुनी क्यों जाती है ? इसलिए कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति हो, जनता के हितों के कार्य हों। सरकार से यह अपेक्षा की जाती है रोजी–रोटी, मकान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, परिवहन आदि विकास के काम हों। किन्तु यदि देखा जाए तो अभी मेरे सत्ता पक्ष के मित्र यह बात कह रहे थे कि सरकार ने कायाकल्प कर दिया है उत्तरांचल में। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में सत्ताधारी दल ने 57 सालों तक राज्य किया जिसमें से अधिकांश लोग आज सदन में बैठे हैं वह उत्तर प्रदेश में भी थे, केन्द्र में भी थे। तब यहाँ पर विकास नहीं हुआ। यकायक तीन–चार सालों में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया। किसी ने पैसे तो यहाँ पर बोये नहीं थे, न ही हमने कोई भण्डारण कर रखा था। आज जो हम इन सभी विकास कार्यों की दुहाई देते हैं तो इस पर गौर करना पड़ेगा।

मान्यवर, जिस 4 हजार करोड़ रुपये के बजट की बात की जाती है इसका पूरा–पूरा श्रेय पूर्व की राजग सरकार को और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी बाजपेई जी को दिया जाना चाहिए। इस बजट में 200 करोड़ रुपया वाह्य सहायतित केन्द्रीय योजनाओं का भी सम्मिलित है, जो विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद से 90 प्रतिशत अनुदान पर केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा रहा था, जो अब 100 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया गया है।

मान्यवर, यदि यहाँ राज्य डिक्लेयर न किया होता, विशेष राज्य का दर्जा न दिया जाता, औद्योगिक पैकेज न दिया होता तो इस पर विचार करें, राज्य की स्थिति क्या होती? मान्यवर, हमने 10 हजार करोड़ रु0 लेकर शुरुआत की थी, इस राज्य की, इस बात को चाहे सत्ता पक्ष में बैठे लोग हों या विपक्ष में बैठे लोग सभी जानते हैं। मान्यवर, आखिर इन पाँच सालों के बीच में ही, पाँचवां साल अभी चल रहा है इस वर्तमान सरकार के लोग जो यहाँ पर बैठे हों या केन्द्र में बैठे हों राज्य को लेकर कितने गम्भीर हैं, इस बात से साफ हो जाता है कि पहले जो बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए केन्द्र से 90 फीसदी अंशदान अनुदान के रूप में उत्तरांचल को मिलता था, आज उस पैसे को शतप्रतिशत लोन के रूप में उत्तरांचल को दिया जा रहा है।

मान्यवर, इसका आशय यह है कि आज जितना पैसा केन्द्र से आ रहा है, वह सीधे विकास योजनाओं में लग रहा है, परन्तु जब यह ऋण के रूप में उत्तरांचल सरकार को लौटाना पड़ेगा, और जब हम उसको लौटायेंगे, उस समय प्रदेश में विकास की बात तो दूर रही, वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन और पेंशनधारियों को पेंशन देना मुश्किल हो जायेगा, यह बहुत गम्भीर मामला है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि हमने अपनी तरफ से केन्द्र सरकार को लिख दिया है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर और नार्थ–ईस्ट के राज्यों को सहायता दी जा रही है, उसी तरह से उत्तरांचल को भी दी जाय। मान्यवर, ऐसा सुझाव आपकी सभा की ओर से भी केन्द्र सरकार को जाना चाहिए। मान्यवर, रोजी–रोटी के बारे में कहना चाहता हूँ कि केन्द्र से वर्ष 2013 तक एक पैकेज मिला, यह पैकेज तराई क्षेत्र के तीन जिलों में चल रहा है। मैंने इसको देखा परन्तु इसका लाभ इन तीन जिलों को भी नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार द्वारा कहा गया कि इस योजना का लाभ इन जिलों को मिल रहा है।

मान्यवर, सरकार की ओर से एक शासनादेश जारी हुआ है कि 70 प्रतिशत स्थानीय युवकों को फैक्ट्रियों में रोजगार दिया जायेगा, लेकिन यहाँ पर जिनको रोजगार दिया गया है वे संविदा पर ठेके पर रखे गये हैं, जो कभी भी हटाये जा सकते हैं। मान्यवर, जो लोग कलकत्ता, दिल्ली और मुम्बई में हिन्दुस्तान लीवर, डाबर, ब्रिटानिया आदि कम्पनियों में कार्य करते थे, तथा जो उत्तरांचल के निवासी थे, उनका स्थानान्तरण करके यहाँ भेजा गया है, जबकि वे पूर्व से ही इन कम्पनियों में नियुक्त थे। मान्यवर, ऐसे लोगों को भी सरकार ने मान लिया कि उनको भी नया रोजगार दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मान्यवर, रोटी की बात करता हूँ पहले जो आटा 7–8 रु0 प्रति किलो मिलता था आज वही आटा 13–14 रु0 प्रति किलो हो गया है। जो गैली पहले

7–8 रू0 में मिलती थी आज वही 41–42 रू0 में मिल रही है। मान्यवर, उत्तरकाशी के गाजणा पट्टी के 19 गाँव तथा टिहरी प्रतापनगर के 95 गाँव जो टिहरी बाँध निर्माण से प्रभावित हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है ? मान्यवर, पहले टिहरी से ऋषिकेश जाने में 80 रू0 लगते थे, आज उसी रास्ते से जाने में 180 रू0 लग रहे हैं।

मान्यवर, इस क्षेत्र में महंगाई का आलम यह है कि जो नमक पहले 6 रू0 का मिलता था आज वही 22 रू0 का मिल रहा है, जो चीनी पहले 22 रू0 प्रति किलो मिलती थी, आज वही 32 रू0 प्रति किलो मिल रही है। जो चावल 9 रू0 प्रति किलो मिलता था आज वही 16–17 रू0 प्रति किलो मिल रहा है। मान्यवर, रोजी–रोटी की बात के बाद अब मकान की बात करता हूँ जो अनुसूचित जाति एवं सवर्ण के लिए क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत का अनुपात था वह अब बिल्कुल समाप्त हो गया है, क्योंकि आज इस अनुपात में मकानों का वितरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज मकान मिलने बन्द हो गये हैं, मान्यवर, मेरी बात से सभी विधायकगण भी इत्तफाक करेंगे। मान्यवर, मकानों का मिलना अब बन्द हो गया है। आज रोजी–रोटी और मकान जो बेसिक चीजें हैं, किसी चीज के लिए जीवन का आधार है, जब वह उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो सरकार विकास बढ़ाने का क्या दम्भ भरती है, यह पैमाना खोखला हो जाता है, यह किसी भी तरह से सत्य नहीं है। मान्यवर, सड़क तो स्वीकृत हुई, लेकिन काम नहीं चल रहा है। मान्यवर, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था।

मान्यवर, मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि खड़िया खनन का कार्य बागेश्वर जिले में बेतहाशा हो रहा है, वहाँ के एक–आधे लोग हैं और बाहर के लोगों को ले रहे हैं। जिसमें अधिकांश नेपाली मजदूर हैं, वहाँ ठेकेदारी का काम बाहुबली लोग कर रहे है। जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ऐसे उत्तरांचल राज्य बनने से क्या फायदा हुआ जिससे कि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार तक नहीं मिल पाता है। मान्यवर, उत्तरांचल पॉवर कारपोरेशन में लोगों की क्या स्थिति है मैं बताना चाहता हूँ, वर्ष 2003 में परीक्षा में लोग बैठते है और उनकी परीक्षा हो जाती है और उनको नहीं रखते हैं, तो कारपोरेशन से पूछा जाता है कि बिना परिणाम घोषित हुए क्यों रख लिया तो वह कह रहे हैं कि अगर सूची जारी कर देंगे तो राजनीतिक लोग हमें परेशान करते हैं, तो यह तो यहाँ का राज है, अंधेर नगरी चौपट राजा। मान्यवर, मैंने उदाहरण दिया है मैं उसका रिकार्ड दे दूँगा, अगर चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूँगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको देखना चाहिए, चूँकि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, वह ऊपर बैठी हुई है, यह तमाम चीजें जो होती हैं वह सारी चीजें सरकार के ऊपर आती हैं। मान्यवर, सूखे की बात आई तो 22 तारीख को महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बिन्दु संख्या–3 में लिखा गया है कि 11 जनपदों की 56 तहसीलों तथा 3 उप तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है तथा निरन्तर सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषकों की मुख्य देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है तथा विविध देयों की वसूली हेतु जोर–दबाव न किये जाने का निर्णय लिया गया है. यह ठीक बात है, लेकिन 23 तारीख को माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने सूखे के बारे में एक बात उठाई तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि हमने केन्द्र सरकार को भेज दिया है।

मान्यवर, 22 तारीख के महामहिम के अभिभाषण में कह रहे हैं कि निर्धारित सर्वेक्षण कराया जा रहा है, 56 तहसील 3 उप तहसीलों को सूखा घोषित कराया जा चुका है, अगर उस दिन यदि प्रस्ताव केन्द्र को दिया गया था तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में आ जाना चाहिए था कि अमुक तारीख को भेज दिया गया है, मान्यवर, आज हमने व्यवस्था के प्रश्न पर भी उठाया, उसमें भी स्पष्टीकरण नहीं आया। मान्यवर, जब उत्तर दें तो स्पष्टीकरण दें कि किस तारीख को केन्द्र को प्रस्ताव भेजा है। यह तो गम्भीर बात है एक प्रिंटेड मैटर आया है और उसके बाद माननीय मंत्री जी का बयान आया है, अगर कोई कमी है तो उत्तर भाषण में संशोधन किया जाना चाहिए। मान्यवर, पृष्ठ संख्या 24 के बिन्दु संख्या 91 में है कि राजकीय प्राइमरी स्कूलों तथा राजकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर 10 माह का खाद्यान्न निःशुल्क दिये जाने का प्राविधान मेरी सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के अधीन किया गया है।

मान्यवर, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन कपकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 6 महीने से यह योजना नहीं चल पायी है वहाँ जिलाधिकारी, वहीं के खाद्य इन्स्पेक्टर, वहीं के जिला आपूर्ति अधिकारी ने इसको स्वीकार किया है। जब एक पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र की यह हालत है तो प्रदेश में क्या हालत होगी यह विचारणीय प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठिये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभिभाषण के पृष्ठ 25 से 100 नम्बर के बिन्दु में कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में चहुँमुखी उन्नति कर दी है। सत्ता पक्ष की तरफ से हमारे साथियों ने भी शिक्षा पर बहुत जोर दिया। वास्तव में 349 नवीन प्राथमिक, 527 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1472 शिक्षा गारन्टी केन्द्र, 177 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की है। इसमें बहुत लम्बा दिया गया है। लेकिन मान्यवर, कभी–कभी रूह काँप उठती है अगर पूर्व की राजग सरकार सर्व शिक्षा अभियान इस देश में नहीं लाती तो उत्तरांचल के स्कूलों का क्या हाल होता। हमें धन्यवाद देना चाहिए डा० मुरली मनोहर जोशी जी को और अटल बिहारी बाजपेयी जी को। अगर वे सर्व शिक्षा अभियान नहीं लाते तो हमारे विद्यालय आज खण्डहर हो जाते। विद्यालय की एक दिवार नहीं होती। वर्तमान सरकार ने इसको काटा नहीं। अगर पूर्व राजग सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नहीं चलायी होती तो हमारे उत्तरांचल का क्या होता ? यदि प्रधानमंत्री सड़क रोजगार के लिए 60 हजार करोड़ रुपया नहीं दिया होता तो सड़कों की यही दशा होती।

मान्यवर, मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है इसमें कुछ भी नया नहीं है, अभी हमारे छोटे भाई ने कहा कि यह तो पुरानी बोतल में नई शराब है। वास्तव में हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मान्यवर, साधू सन्यासियों को सुनियोजित ढंग से मारा जा रहा है चाहे

रानीखेत बिनसर मन्दिर का मामला हो या हल्द्वानी शीतलादेवी का, जो वहाँ पर साधू संतों पर हमला किया जा रहा है, वह एक सुनियोजित ढंग से राज्य के साथ षड़यंत्र किया जा रहा है। सरकार को यह देखना चाहिए कि आखिर यहाँ के मठों, मंदिरों पर साधू संतों को क्यों मारा जा रहा है, सिपाही सुरक्षित नहीं हैं, हरिद्वार के एस0पी0 सिटी श्री धूमल सिंह तोमर का मामला तो अति गम्भीर है जिसकी 3 सालों से कोई जिन्दा या मरे की खबर तक नहीं है। यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। इसी के साथ मैं समयाभाव के कारण अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

*श्री राम प्रसाद टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। श्री सुबोध उनियाल जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रदेश में 4 साल में, जो उनकी कल्पना थी इस देश प्रदेश को कैसा बनायेंगे चाहे वह मुख्यमंत्री के रूप में या केन्द्र में उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने जो कार्य किया उस अनुभव का लाभ उत्तरांचल में चार साल में उस कल्पना को साकार करने में हमारी सरकार ने पूरा किया।

मान्यवर, हमारे राज्य का चहुँमुखी विकास हुआ है। इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ और साथ में लोक निर्माण विभाग के द्वारा इस प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछाया गया है और जो सड़कों का सुधारीकरण का कार्य हो रहा है, कई जगह लम्बी-लम्बी सड़कें बनायी जा रही हैं उसके लिए मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे देश में नयी परिवहन नीति लागू कर दी गयी है, नयी–नयी बसें चलायी गयी हैं। एक बस मेरे क्षेत्र में भी चलायी गयी है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ में आग्रह भी करना चाहूँगा कि वहाँ बागेश्वर पर परिवहन निगम के डिपो की आवश्यकता है और मैं इसके लिए अपील करता हूँ।

मान्यवर, मैं उद्योग विभाग का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, सरकार का भी धन्यवाद अदा करता हूँ जहाँ एक तरफ नये राज्य में रोजगार देने के लिए हमारे घोषणा–पत्र में जो वादा किया गया था उसके तहत हरिद्वार और पंतनगर में जो औद्योगिकरण हुआ और इसके साथ–साथ यहाँ के बेरोजगारों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गयी है, उत्तरांचल के बेरोजगारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ और साथ ही यह अपील करता हूँ कि जैसे अभी माननीय भट्ट जी ने कहा कि बागेश्वर में काफी खनन हो रहा है तो मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र बागेश्वर में सापट स्टोन का उद्योग स्थापित किया जाये। इसके लिए मैं अपील करता हूँ। इसमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि खनन माफिया किस तरह से खोद रहे हैं और इससे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है। मैं समाज कल्याण विभाग का भी धन्यवाद अदा करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद अदा करता हूँ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिन्होंने समाज कल्याण विभाग में जो कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं जैसे छात्रवृत्ति, वह छात्रवृत्ति पिछली सरकार ने कभी नहीं बढ़ायी। हमारी सरकार ने जो छात्रवृत्ति 40 रुपया मिलती थी उसे बढ़ाकर 80 रुपया प्रतिमाह कर दिया है। इसी तरह विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाया गया है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद अदा करता हूँ। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए बस्तियों का निर्माण कार्य हो रहा है, इसका शुभारम्भ कर दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी एवं सरकार का धन्यवाद अदा करता हूँ।

मान्यवर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों की आवश्यकता है। इसमें दिन का भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है। इसके अलावा भी मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि जिन और ऐसे विद्यालयों के प्रस्ताव सरकार के पास हैं, मुझे विश्वास है कि सरकार उनके लिए भी शीघ्र ही स्वीकृति देगी। इसके अलावा छात्रावासों के सुधारीकरण और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा के सुधारीकरण के लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी। मान्यवर, विधवाओं को 400 रुपये प्रतिमाह की पेंशन और वृद्ध लोगों के लिए भी पेंशन दोगुनी देकर और उनके विधवा व वृद्धों की दीर्घ आयु की प्रार्थना करके हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे याद है जब हम उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में थे तो वहाँ पर पूरे उत्तराखण्ड में मात्र 2 ही विद्यालयों का उच्चीकरण होता था। लेकिन यह खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने हर गाँव में, हर ब्लाक में विद्यालयों का उच्चीकरण और प्रान्तीयकरण किया है। इसके लिए शिक्षा मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। मान्यवर, जगह–जगह पर जो महाविद्यालय खोले गये हैं, उनके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और निवेदन तथा अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे गरुड़ क्षेत्र में जो महाविद्यालय प्रस्तावित है, उसकी भी स्वीकृति प्रदान की जाय ताकि वहाँ के लोग भी शिक्षा का फायदा उठा सकें।

स्वास्थ्य विभाग के बारे में चिकित्सा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज हर गाँव में फार्मासिस्टों से लेकर तमाम ए0एन0एम0 सेंटर का निर्माण किया गया है और कई अस्पताल भी खोले गये हैं। आज देहरादून का अस्पताल इसका जीता जागता नमूना है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि बागेश्वर के अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिया जाय और वहाँ पर महिला डाक्टरों को भी भेजा जाय। वह एक जिला मुख्यालय है और सारे जनपद के लोग उसी अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अच्छे कार्यों के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही कृषि विभाग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में आधुनिक तकनीक पर आधारित खेती से लेकर जैविक खेती के क्षेत्र में हमारी सरकार ने व्यापक कार्य किये हैं। कृषि मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे जनपद में गरुड़ घाटी और बागेश्वर घाटी खेती की दृष्टि से बहुत अच्छी घाटी हैं।

लेकिन वहाँ पर मण्डी समिति नहीं है, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा कि बागेश्वर और गरुड़ में भी मण्डी समितियां बनाई जावे। इसके अलावा वहाँ पर कोल्ड स्टोर की भी आवश्यकता है जो हमारे यहाँ पर माल्टा, नारंगी या अन्य फल होते हैं उन्हें रखने के लिए और किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए वहाँ पर कोल्ड स्टोर की बहुत आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि बागेश्वर और गरुड़ में मण्डी समिति और कोल्ड स्टोर की व्यवस्था कर वहाँ के किसानों को लाभ प्रदान करने का कष्ट करें। मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ कि प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया है और कई जगहों पर नये थाने और चौकियां खोली गई हैं। शासन प्रशासन अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। अभी मेरी ए०डी०जी०पी० से भी वार्ता हुई थी तो उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को भी और अच्छी कानून व्यवस्था मिलनी चाहिए। मैं उनकी भी बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन सदन के माध्यम से मैं सभी लोगों से, सभी विधायकगणों से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आज जिस असुरक्षा की बात कही जाती है तो मेरा अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्थायें बनाने के लिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजनीति की बात को छोड़कर हमें इसके लिए सरकार का सहयोग करना चाहिए। अभी हमारे यहाँ बागेश्वर जनपद की बात को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ।

मान्यवर, बागेश्वर की एक घटना बताना चाहता हूँ। रमेश जौहरी, जो नगर पालिका के चेयरमैन थे, वह किस पार्टी के थे, किस पार्टी के लोगों ने उनकी हत्या की, यह अलग बात है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी घोषणा के बाद 5 लाख रुपये का चैक स्व० रमेश जौहरी की पत्नी रश्मि जौहरी को मेरे और तहसीलदार के हाथों से दिलवाया गया। उस वक्त वह रो रही थी। किसने उनकी हत्या की इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। अभी-अभी मेरे पास एक टेलीफोन आया गिवाड़ी गाँव की जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती दीपा आर्या के देवर ने एक गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति राम प्रसाद मजदूर की हत्या कर दी। आज उसको बचाने के लिए, मुलजिम को बचाने के लिए साक्षी को मुलजिम बनाया जा रहा है, उसके साक्ष्य नष्ट करने के लिए प्रयास किया जा सकते हैं। आज सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने आप में झांक कर देखना चाहिए कि असुरक्षा की स्थिति क्यों है ? यदि कहीं पर असुरक्षा है तो हमारी सरकार वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की कठोर कार्यवाही करेगी। कहीं साक्ष्य नष्ट न हो जाएं, साक्षी को ही मुल्जिम न बना दिया जाय। श्रीमती दीपा आर्या, साक्षी हैं, उनका कहना है कि उन्हीं को मुल्जिम बनाया जा रहा है। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि वह इसके प्रति संवेदनशील है और अत्याचार के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिए हमारी सरकार हमेशा जिम्मेदार है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण और माननीय सदस्य श्री सुबोध उनियाल द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में उत्तरांचल राज्य के चौमुखी विकास की झलक देखने को मिलती है। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जब से उत्तरांचल नया राज्य बना और विशेष रूप से जब से हमारी सरकार यहाँ पर आयी है और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी नेता सदन बने हैं, हमारी सरकार गरीब, असहाय, अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए कार्य कर रही है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन दुगनी करके तथा गरीब अनुसूचित जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति दुगनी करके गरीबों की पीड़ा को नजदीक से देखा है। आज विकास की गति इतनी तेजी से चल रही है कि अभी माननीय अजय भट्ट जी भी कह रहे थे कि वह भी अन्तर्आत्मा से मानते हैं कि विकास हो रहा है। जब बाहर के लोग उत्तरांचल में आते हैं तो कहते हैं कि सड़कों और बिजली के मामले में वास्तव में यहाँ के लोग भाग्यशाली हैं। जो बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं, वह यहाँ के विकास को देख कर गद्-गद् होते हैं। आज हमारे यहाँ 22 घण्टे, 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति हो रही है। कहीं पर फाल्ट हो सकती है। आज हमारी सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक गाँव तक, प्रत्येक तोक तक बिजली पहुँचाई जाए। विशेष रूप से गरीब परिवारों को कुटीर ज्योति के अन्तर्गत बिजली देना। इस सरकार का लक्ष्य है, गरीबों, असहायों की पीड़ा दूर करना।

मान्यवर, विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा का लाभ सही ढंग से और व्यवस्थित रूप से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। जनता की जो भावनायें होती है सरकार की वह पूरी हो रही है। हम आज बिजली के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। सड़कों के क्षेत्र में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज सड़कों में जहाँ बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ बड़े आराम से चल रही हैं वहीं गरीब वर्ग के लोग चाहे वह रिक्शाचालक हो या बैलगाड़ी वाले भी उत्तरांचल की सड़कों से बहुत खुश हैं। वे स्वयं कहते हैं हमारे रिक्शा व बैलगाड़ी बड़े आराम से चल रही है। हमें इन सड़कों पर रिक्शा चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सड़कों के मामले में बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, शिक्षा जगत में बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। आज चाहे उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा की बात हो या फिर सर्वशिक्षा अभियान की बात हो, तकनीकी शिक्षा की बात हो हर क्षेत्र मे सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आज हर विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। इससे हमारे नौजवानों को बहुत फायदा होगा। आज के युग में कम्प्यूटर ज्ञान और इन्टरनैट का ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है। इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है।

मान्यवर, विशेष रूप से पेयजल की कई योजनाएं हमारी सरकार द्वारा चाहे वह भावर का क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र हो चलाई जा रही हैं। ट्यूबवेल के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। हमने वह दिन भी देखे हैं जब किसानों की बहुत अधिक दुर्दशा थी। ट्रालियों में गेहूं सड़ रहा था। पूर्व में जब हम किसानों से गन्ना मूल्य भुगतान की बात करते थे तो वे कहते थे अभी नहीं हुआ है। फिर कुछ दिन बाद पूछते थे, तो भी उनका संतोषजनक जवाब नहीं रहता था कहते अभी कुछ महीने का रह गया है। मान्यवर, आज पर्चियां ठीक से कट रही हैं। पेमेन्ट हो रहा है। सरकार चाहती है कि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिले और अच्छी प्रजाति के गन्ने का उत्पादन हो इसके लिए टिश्यू कल्चर के माध्यम से गन्ने की अच्छी प्रजातियां तैयार की जा रही हैं ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो और उन्हें गन्ने का सार्थक मूल्य मिले। माननीय पर्यटन मंत्री जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है किन्तु अभी भी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। पर्यटन के बहुत से क्षेत्रों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। ताकि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पर्यटक आयें और पर्यटन का लाभ हमारे युवा नौजवानों को मिल सके, वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों। आज सरकार द्वारा जहाँ एक ओर वृद्धा, विकलांग, विधवाओं की पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है वहीं विद्यालयों में अनुसूचित जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति दुगनी की जा रही है।

मान्यवर, गरीब परिवारों को कुटीर ज्योति योजना से बिजली दी जा रही है। जनपद ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार में उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है जिससे वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है। प्रत्येक विकास खण्ड में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, यह सोच हमारी सरकार की है। ग्राम स्तर पर किसानों के हित के लिए क्या-क्या किया जा रहा है, उसका फायदा सीधे किसानों को मिले। मान्यवर, जहाँ तक किसानों की अन्य समस्याओं का प्रश्न है, जैसे दुग्ध विकास, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के बारे में भी सरकार कार्य कर रही है। मान्यवर, चाहे पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हो या ओपन यूनिवर्सिटी हो, निश्चित रूप से इससे उत्तरांचल की जो नयी सोच है, उसको बल मिलेगा। मान्यवर, उद्योग के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। मान्यवर, चाहे हरिद्वार हो या ऊधमसिंह नगर हो यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में नोयडा के रूप में विकसित होंगे और इनमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

मान्यवर, उत्तरांचल बिजली के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इसकी हमें आवश्यकता है और हम इस क्षेत्र में प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हैं, इस क्षेत्र में हम अन्य राज्यों को भी बिजली देंगे। मान्यवर, प्रदेश में जो रॉ मटेरियल है, उसका भी हम उपयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से खनन के क्षेत्र में आज जिस तरह से माँग बढ़ी है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। आज सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, पुलिया बन रही हैं, गूलें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि जो हमारी नदियां हैं, विशेष रूप नन्धौर नदी जब वह सूख जाती है तो वहाँ पर रेता, बजरी भर

जाता है। मेरा अनुरोध है कि नदियों को चुगान के लिए दिया जाय। विशेष रूप से बिन्दू खत्ता, गौंद खत्ता, खमारी डौली, सांकदानी डुरई सहित कई खत्ते हैं जिसमें हजारों परिवार निवास करते हैं। मान्यवर, उत्तरांचल में जो खत्ते हैं, मेरा अनुरोध है कि जनभावनाओं के अनुरूप ही इन खत्तावासियों को भी सुविधायें दी जाय।

मान्यवर, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह लोकप्रिय सरकार आम जनमानस की सुविधाओं के अनुरूप कार्य करेगी। मान्यवर, खत्तावासियों को सभी सुविधाएं राजस्व ग्राम की तरह देने की कार्यवाही कर इनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। इन चार वर्षों के कार्यकाल में इस सरकार को केवल ढाई साल कार्य करने का मौका मिला। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें से डेढ़ साल तो सरकार को चुनाव में लग गये। इस अल्प अवधि में भी इस सरकार ने जनभावनाओं के अनुरूप बहुत कार्य किया है, इसलिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूँ तथा माननीय सुबोध उनियाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने महामहिम के अभिभाषण को अच्छे ढंग से यहाँ पर रखा है। मान्यवर, मैं पुनः महामहिम के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय काशी सिंह ऐरी जी को 15 मिनट, माननीय अनुसूया प्रसाद मैखुरी जी को 10 मिनट, काजी निजामुद्दीन जी को 10 मिनट बोलने का समय दिया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मुझे कितना समय देंगे, इसको निर्धारित किया जाय।

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे कितना समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, मैं आपको 10 मिनट का समय देता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, धन्यवाद प्रस्ताव में आदमी का धन्यवाद तभी मुँह से निकलता है जब दिल से निकले। दिल करता है कि धन्यवाद दिया जाए लेकिन दिल थोड़ा मानता नहीं, इसलिए मैं प्रस्ताव के प्रति धन्यवाद तो करूँगा लेकिन उसके साथ–साथ कुछ सुझाव भी दूँगा, जो कमियाँ है वह जरूर कहूँगा। मान्यवर, माननीय ऐरी जी ने एक बात कही कि बार–बार या हर बात के ऊपर "वेल" में जाना अच्छी बात नहीं है, परम्परा नहीं है, बात तो अच्छी है लेकिन सोचनीय बात यह है कि बार–बार वेल में जाने की विपक्ष को आवश्यकता क्यों पड़ती है ? आखिर विपक्ष प्रदेश का प्रतिरोधी नहीं है, खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है, कानून गलत नहीं बनाना चाहता है। मान्यवर, विपक्ष भी वही चाहता है जो पक्ष चाहता है, लेकिन दोनों में जब विसंगति होती है तब विपक्ष "वेल" में जाने के लिए मजबूर होता है। सरकार को इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि ऐसी स्थिति न आ पाये, जिससे विपक्ष "वेल" में आये, यह सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को इस पर ध्यान देना जरूरी है।

मान्यवर, एक ऐसा विषय मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ जो अति विचारणीय है, जब प्रदेश बना था तो उस समय जो प्रदेश की सीमा निर्धारित की गई थी उसमें एक अधिकार छोटे–छोटे बदलाव लाने के लिए सीमा के बिन्दु पर सरकार को सम्बद्ध उत्तर प्रदेश विभाजन एक्ट में दिया गया था। मान्यवर, छोटा–मोटा सीमा से सम्बन्धित बदलाव लाया जाना हो तो सरकार केन्द्र सरकार को प्रस्ताव रखे और उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तरांचल सरकार दोनों की बात सुनकर केन्द्र सरकार निर्णय दे तो बदलाव आ सकता है। मान्यवर, हमारी सरकार चाहे कोई भी रही हो, लेकिन यह विडम्बना है कि जो गुंजाइश दी गई थी उसका लाभ हमारी सरकार द्वारा नहीं उठाया गया और न उठाने का नतीजा यह है कि हमारे प्रदेश की सीमा जो उत्तर प्रदेश से लगती है उसके बार्डर पर सीमा की मुख्य सड़क किच्छा धामपुर रोड (बरेली रोड) पर चले तो उसके साथ हर 10–15 किलो मीटर पर कहीं उत्तरांचल तो कहीं उत्तर प्रदेश आ जाता है। हम रुद्रपुर का रेलवे स्टेशन देखें तो वह रामपुर में है, अगर रुद्रपुर से आगे बढ़कर सड़क पर आयें तो फिर रामपुर में आ जाते हैं। मान्यवर, कोसी नदी के पास आयें तो उसकी दक्षिण सीमा रामपुर में आ जाती है, जो बड़ी फैक्ट्री गैस के लिए उत्तर प्रदेश के समय लगी थी और इतनी बड़ी सम्पत्ति बिना ध्यान दिये उत्तर प्रदेश में रह गई और उसके साथ–साथ वहाँ जो हमारे प्रदेश की चौकी होनी चाहिए वहाँ पर रामपुर की चौकी लगी हुई है और वह चौकी हमारी नदी से धड़ा–धड़ अवैध खनन करा रही है।

मान्यवर, क्योंकि पुलिस पर नियंत्रण उनका है। काशीपुर से आगे बिजनौर में आ जाते हैं तो यहाँ की सीमा बड़ी अनियंत्रित सी बन गई है। इसके लिए केन्द्र सरकार से अनुमति ले ली जाये, इसमें सुधार के लिए बरेली रोड पर किच्छा से लेकर जसपुर तक सड़क की दक्षिणी दिशा में साथ–साथ एक किलोमीटर क्षेत्र उत्तरांचल में मिला लिया जाये तो हमेशा के लिए प्रदेश हित में होगा। विकास के बारे में हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बात की है। मान्यवर, औद्योगिक विकास के बारे में कोई दो राय नहीं है कि औद्योगिक विकास प्रदेश में हो रहा है लेकिन हमें देखना यह है कि औद्योगिक विकास किस प्रकार का है, इसके पीछे सोच क्या है, यह कैसा विकास हो रहा है ? क्या औद्योगिक विकास हमारे प्रदेश में हमेशा–हमेशा के लिए हमारे विकास की कड़ी बनेगा ? मान्यवर, जो केन्द्र सरकार द्वारा करों में छूट दी गई है हमारा प्रदेश करों में छूट का लाभ उठाये। जो ट्रकों में मशीनरी ला रहे हैं उन्हीं में कहीं वे ले न जायें, कहीं हम उद्योग लगने से वंचित न रह जायें। हमारे पास उदाहरण है, हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में थे तो उन्होंने कई बड़े उद्योग लगवाए थे लेकिन आज वहाँ पर चिमनियाँ हैं उनमें कबूतर बोलते हैं। मशीनरी वहाँ से जा चुकी है। औद्योगिक विकास ऐसा करना चाहिए औद्योगिक क्षेत्र में हमारा प्रदेश लम्बे समय तक हमारी विकास की कड़ी बन जाये। मैं सड़कों की बात करता हूँ, मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि सड़कों का जो मानक है उनके ऊपर सरकार थोड़ा ध्यान दीजिए, मानकों के अनुसार सड़के नहीं बन रही हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूँ, ऊधमसिंह नगर की सड़कें, चाहे राष्ट्रीय मार्ग हो या प्रदेश की सड़कें हैं टूटने का कारण है कि वहाँ पर एक ट्राली में 4 सौ कुन्तल मजन ले जाया जा रहा है, ट्रैक्टर

ट्रालियों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सरकार इसको मान्यता दे रही है। एस0डी0एम0 कह रहा है कि 400 कुन्तल नहीं दो सौ कुन्तल लादें। यह ट्रालियाँ गेहूँ, चीनी लादने के लिए हैं रोड़ी लादने के लिए नहीं हैं। वह उनसे यह नहीं कहते है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। वह मीटिंग बुलाकर ओपन में कहते हैं। इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं भ्रष्टाचार की बात अवश्य कहूँगा। हर एक क्षेत्र में आज हमारी सरकार जितना काम कर रही है, मैं माननीय मंत्री जी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।

आज की मुख्यमंत्री तो आप ही हैं। (हंसी) मैं भ्रष्टाचार की बात करना चाहता हूँ। हमारा जो किसान है वह चाहे मसूरी के विधायक की तरह भले ही तन्दुरुस्त हो लेकिन अगर उसके बैल कमजोर हैं तो वह अच्छी खेती नहीं कर सकता है। तो मान्यवर, इस सरकार रूप किसान के बैल कमजोर हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आज भ्रष्टाचार का रेश्यू इतना लम्बा हो गया है कि विकास धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। मान्यवर, सरकार राज्य का नाम बदलने के नाम पर राजनीति कर रही है, इसके द्वारा लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें। अब मैं कुछ नहीं सुनूँगा।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, सिर्फ एक मिनट दे दीजिए। अच्छा आधा मिनट ही दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं कुछ नहीं सुनूँगा।

*श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं सरकार का भी आभारी हूँ। आज हमारी 4 हजार करोड़ रुपये की वार्षिक योजना स्वीकृत हुई है, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इससे हमारे प्रदेश का बहुँमुखी विकास होगा। सिडकुल के माध्यम से जो औद्योगिकरण हो रहा है जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। पंतनगर, कोटद्वार में कई औद्योगिक इकाईयां लगायी गयी हैं। मान्यवर, यह बात सच है कि सड़कों के क्षेत्र में हमारी सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है, नयी सड़कों का जाल बिछाया गया है। मेरे क्षेत्र में भी सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि खटीमा में एक बाईपास की सख्त जरूरत है। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने का जो सपना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखा था, वह साकार हो रहा है। आज मनेरी भाली, विष्णु प्रयाग आदि कई परियोजनाएं चल रही हैं, लोहिया ग्रिड का भी सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, उत्तरांचल पावर ग्रिड ऋषिकेश में बनाया जा रहा है जिसका श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में उल्लेख भी किया गया है। मान्यवर, पूरे भारत में 63 नगर चयनित किये गये हैं। जिसमें हमारे राज्य उत्तरांचल के 3 नगर हैं, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश सरकार को कि पर्यटन के क्षेत्र में उत्तरांचल को विश्व के पर्यटन मानचित्र में लाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। चार धामों की बात हो या हेमकुण्ड साहिब की या, फूलों की घाटी की या अन्य पर्यटक स्थलों की, सभी स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही जो विदेशी पर्यटक हैं उनके लिए भी हवाई सेवा देने के लिए पंतनगर और जौलीग्रांट हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। मैं सरकार को, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि राजस्व मंत्री भी हैं। वर्षों से जो खटीमा तहसील हमारे यहाँ पर खुली थी और वहाँ के कागजात बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे उनको वापस तहसील में ला करके उनका कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है और जो मुंसिफ कोर्ट की जगह के लिए माँग की गई थी, कृषि विभाग ने उसके लिए जमीन दे दी है और वहाँ पर ही तहसील भवन बनाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने कृषि विभाग की जमीन पर कोर्ट और तहसील भवन बनाने की अनुमति दे दी। जिसके कारण आज वहाँ पर कोर्ट और तहसील भवन बन रहा है। हमारी सरकार ने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत रु0 300 करोड़ 46 लाख तथा ट्राईबल सब प्लान के तहत भी लगभग इतनी ही धनराशि प्राविधानित की है। हमारी सरकार ने विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन को भी दुगुना कर दिया है तथा अनुसूचित जाति के छात्रों की भी छात्रवृत्ति दोगुनी कर दी गई है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने जनजाति निदेशालय की स्थापना करने का फैसला किया है जिसका मुख्यालय देहरादून होगा। इसी प्रकार से जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए एक जनजाति सलाहकार समिति का गठन किये जाने का भी प्रस्ताव है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

मान्यवर, सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो हमारे गाँवों में आँगनबाड़ी की जो सहायिकायें हैं उनके भी मानदेय को दोगुना कर दिया गया है। मान्यवर, खटीमा क्षेत्र से ही उत्तराखण्ड आन्दोलन शुरू हुआ था। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितने भी लोग और हमारे नवयुवक वहाँ पर जेल गये थे, जिन्हें एक सप्ताह या उससे अधिक की जेल हुई थी, उन सबको आज रोजगार प्राप्त हो गया है। मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से कि खटीमा से ही उत्तराखण्ड आन्दोलन की शुरुआत हुई थी। उसी खटीमा को जिला बनाया जाय और खटीमा जिले के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाय। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए मैं शिक्षा मंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग ने 253 नये राजकीय विद्यालय और 147 इण्टर कॉलेजों को खोला है। खटीमा डिग्री कॉलेज, जो वर्षों से खुला था लेकिन वहाँ पर एम0एस0सी0

और एम०ए० की पढाई नहीं होती थी लेकिन हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध पर इसकी स्वीकृति दी आज वहाँ पर 8 विषयों में एम०ए० की पढाई शुरू हो गयी है और आजकल परीक्षायें हो रही हैं। इसी क्रम में एम०एस०सी० की पढाई की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो रही है।

मान्यवर, मैं वास्तव में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी एक उदाहरण मेरे सामने आया। उत्तर प्रदेश से एक मरीज सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में आयी तो उसे देख कर उन्होंने पूछा कि यह सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट? उन्हें बताया गया कि यह सरकारी हॉस्पिटल है तो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसा सरकारी हॉस्पिटल नहीं देखा है। जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं, वह और कहीं नहीं हैं। वास्तव में इसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ साथ ही उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि वह खटीमा में दूध की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। वहाँ पर अब दूध का व्यापार होगा। वहाँ के सारे परिवारों का आर्थिक स्तर बढ़ेगा। मान्यवर, परिवहन के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। नई-नई बसों को खरीदा जा रहा है। यात्रियों को सुविधा दी जा रही है। मैं परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि खटीमा में परिवहन विभाग का बस अड्डा जीर्ण-शीर्ण हालत में है। मेरा अनुरोध है कि उसका पुनरोद्धार किया जाय। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का आभारी हूँ कि कृषि उपकरणों के मामले में आपने 50 प्रतिशत की छूट दी है। जड़ी-बूटी के क्षेत्र में भी काफी सराहनीय काम हमारी सरकार ने किया है। जो हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनके लिए मिनी स्टेडियम और बड़े-बड़े स्टेडियम बनाये जा रहे हैं। खटीमा में भी वन विभाग की 10-15 एकड़ की भूमि है। मेरा अनुरोध है कि उसके प्रस्ताव मंगा कर खेल स्टेडियम बनाने का कष्ट करें। गन्ने के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काफी रियायत की है। इसमें 11 रुपये का बोनस दिया जा रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मान्यवर, इसी तरह मैंने पहले भी कहा है, जब भी मौका मिला है, मैंने कहा है कि जनजाति का रोस्टर में 24वां नम्बर है। इसको आगे खिसका कर 12वें या 13वें स्थान पर लाया जाय। जिससे इस वर्ग के लोगों को सर्विस में लाभ मिल सके। मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सुबोध उनियाल जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्री नारायण सिंह जंतवाल-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा में भागीदारी करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में जो प्रमुख बिन्दु सरकार की ओर से रखा गया, वह है, 4000 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना। निश्चित रूप से हमारी वार्षिक योजना बढ़ी है। लेकिन इस बढ़ी हुई योजना का लाभ भी हमको मिलना चाहिए। हमने पहले भी बार-बार इस

बात को कहा है कि योजना के आकार और धरातल में क्या सम्बन्ध है ? जब तक योजना के अनुसार व्यय नहीं किया जाएगा तब तक हमारे प्रदेश का विकास नहीं हो पाएगा। अभी हमारे राज्य योजना आयोग ने पिछली बार के बजट के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है कि जिस प्रकार से पैसे का व्यय किया गया। उसमें 800 करोड़ रूपये लैप्स होने की कगार पर थे। कई विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। भले ही सरकार की ओर से, उसके विभागों की ओर से कई बार अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले व्यय को अधिक दिखाया जा रहा है, उनको अब एकाउण्टिंग ट्रिक्स के माध्यम से कागजों पर लाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है।

मान्यवर, सरकार द्वारा बार-बार ऊर्जा प्रदेश की बात कही जाती है। राज्यपाल के अभिभाषण में 92 प्रतिशत गाँवों का विद्युतीकरण कर दिये जाने का उल्लेख किया गया है। मान्यवर, इसमें 570 गाँव ऐसे भी हैं जो सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत हैं। इनके संयंत्र भी अधिकांशतः खराब रहते हैं। इसलिए ऐसे गाँवों में सामान्य विद्युतिकरण किये जाने की आवश्यकता है। यह लक्ष्य तभी पूरा हो पायेगा। दूसरी ओर सरकार द्वारा कहा गया है कि राज्य में 25000 मेगावाट विद्युत की क्षमता हमारे प्रदेश में है और 20000 मेगावाट की परियोजनाएं चिन्हित की जा चुकी हैं। मान्यवर, सरकार द्वारा 2007 तक सभी गाँवों को विद्युतीकृत कर दिये जाने की बात कही गई है। मान्यवर, यह भारत की अर्थ व्यवस्था में 8 से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाने पर राज्य की आय का उत्तम स्रोत हो सकता है। इसमें दो राय नहीं यदि हम सुनियोजित तरीके से अच्छे मैनेजमेंट के साथ कार्य करें। इसके लिए अभी से राज्य को विपणन नीति बनानी होगी। केन्द्र व निजी सैक्टर के समझौते में राज्य को उत्पादन का 12 प्रतिशत विद्युत मुफ्त तथा 30 प्रतिशत उत्पादन मूल्य मिलने का प्राविधान होना चाहिए। दीर्घकालीन नीति निर्धारण में सहायता हेतु विशेषज्ञों का एक कार्यकारी दल बनाया जाए। जिन राज्यों से एम०ओ०यू० किया जाए उसमें यह प्राविधान होना चाहिए कि पीक आवर के लिए अतिरिक्त ऊर्जा बढ़े हुए दरों पर दी जायेगी।

मान्यवर, इसी प्रकार से पर्यटन प्रदेश की परिकल्पना भी की गई है। यह सही है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य में पर्यटन व्यवसाय से सम्बन्धित उपक्रम जैसे होटल, ट्रैवल एजेन्सी, वाहन चालन आदि का सर्वे किया जाए तो पता चलेगा कि स्थानीय लोगों की कितनी भागीदारी है। निवेश की क्षमता के अभाव में वे सिर्फ छोटी-छोटी नौकरियों की ही लालसा कर सकते हैं। यदि निवेश की क्षमता है तो व्यवसायिक योग्यता का अभाव है। सरकार ऐसे प्रयास करे जिससे स्थानीय लोग इन व्यवसायों की शिक्षा पा सकें। पर्यटकों की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता देखी जानी चाहिए। पर्यटन केन्द्रों पर सफाई तथा सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव के लिए नगर पालिकाओं का सुदृढ़ीकरण जरूरी है। टूरिज्म के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो विभाग हैं उनको चाहिए कि वह नौजवानों को प्रेरित करें, उन्हें ऋण देकर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय, पेइंग गेस्ट का व्यवसाय भी काफी लाभप्रद है। इसके लिए भी यहाँ के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यहाँ आने वाले पर्यटकों को इस तरह की सुविधा उन पेइंग गैस्टों में मिले कि वे यहाँ से अच्छा अनुभव लेकर जाएं।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पर्यटन तभी सार्थक है, जब वह आम जनता से जुड़ा हुआ हो। मान्यवर, सरकार द्वारा यहाँ पर दावा किया गया कि पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें यह देखना होगा कि पर्यटक कितने संवेदनशील हैं। हमें पर्यटकों की संख्या के बजाय इसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। हमें यह देखना होगा कि पर्यटक प्रदेश में कितने रुकते हैं और यहाँ पर कितना पैसा खर्च करते हैं और उनसे हमें कितनी आय-व्यय प्राप्त होती है। मान्यवर, इसमें हमें यह भी देखना होगा कि कितने पर्यटक यहाँ पर आकर रुकते हैं और कितने पर्यटक अपनी गाड़ी से आकर सीधे वापस चले जाते हैं। मान्यवर, इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की जो नगरपालिकाएं हैं, इनके सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया जाय। चूँकि ये नगरपालिकाएं सार्वजनिक स्थलों की मेंटीनेंस अच्छी ढंग से नहीं कर रही हैं, इनको सहायता देनी चाहिए कि इनका मेंटीनेंश सही ढंग से किया जाय, तभी पर्यटक ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर आयेंगे।

मान्यवर, उद्योग के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा कहा गया कि यहाँ पर 1500 से अधिक औद्योगिक इकाइयां लग चुकी हैं और इनमें एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष तथा तीन लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ की बात कही गयी है। मान्यवर, जब तक हम इन उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप उनकी मैन पावर को आंकना और विभिन्न दक्षताओं के अनुसार वर्गीकरण नहीं करेंगे, तब तक हमें लाभ मिलने वाला नहीं है। इन उद्योगों में काम करने के लिए अलग-अलग दक्षता चाहिए, जब तक हमें इनकी दक्षता का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारे प्रदेश के नौजवान इसका पूर्ण फायदा नहीं उठा पायेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रदेश में तकनीकी कॉलेजों, आई०आई०टी० कॉलेजों में इस तरह के विषय लागू किये जायं, जिससे कि प्रदेश के छात्रों को अधिकाधिक लाभ मिल सके। मान्यवर, ये विद्यालय निश्चित तौर पर जनता की तकलीफों को दूर करने में मदद करेंगे। मान्यवर, आज भी जिलास्तर से सचिवालय स्तर तक पत्रावलियाँ नहीं मिल रही हैं, आम जनता की तकलीफों को दूर करने में सूचना प्रौद्योगिकी सार्थक नहीं हो पा रही है। मान्यवर, जहाँ तक टेली मेडिशन की बात है, मान्यवर, दूरदराज के..........(व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाइये, आपको बहुत समय दिया जा चुका है।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय झील संरक्षण नीति का जिक्र कर रहा हूँ। इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। मान्यवर, नैनीताल सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र है, लेकिन यहाँ पर कोई सांस्कृतिक केन्द्र (ऑडिटोरियम) नहीं है। मान्यवर, कालाढूंगी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एन०टी०पी०सी० सहायतित पॉलिटेक्निक का शिलान्यास किया गया है, लेकिन इस पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है। इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से महामहिम श्री राज्यपाल महोदय द्वारा रखे गये अभिभाषण प्रस्ताव पर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये संशोधनों पर बल देने के लिए खड़ा हूँ। श्रीमन्, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा जितने भी संशोधन रखे गये और इस सदन के पक्ष और प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों द्वारा जो संशोधन रखे गये। मान्यवर, उन संशोधनों को देखते हुए और इस सदन में जिस प्रकार से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और चर्चा हो रही है तो उसे देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता पक्ष ने अपनी सरकार के सम्बन्ध में कसीदे भरने में और उसकी बड़ाई करने में अपनी बात रखी, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि उत्तरांचल राज्य की आज इस नई निर्वाचित सरकार, प्रथम निर्वाचित सरकार के कार्यकाल को 4 वर्ष पूर्ण हो चुके और यह पाँचवा अभिभाषण, अन्तिम अभिभाषण इस निर्वाचित सरकार का हमारे सम्मुख रखा गया।

मान्यवर, सम्मानित सदस्य श्री काजी जी ने कहा कि इन पाँचों अभिभाषणों को देखें तो इन अभिभाषणों में हमें कुछ नया ऐसा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि मात्र बाहर का पन्ना बदल दिया गया है और हर बार वही बात घूम–फिर कर आ रही है, आखिर ऐसा क्यों होता है ? श्रीमन्, आज इस निर्वाचित सरकार के अन्तिम अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर अत्यन्त दुःख के साथ, पीड़ा के साथ मैं अपने इन संशोधन प्रस्ताव पर बल दे रहा हूँ। श्रीमन्, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं साक्षी हूँ 9 नवम्बर, 2000 की उस रात का जब उत्तरांचल राज्य का निर्माण हुआ था, उत्तरांचल राज्य के प्रथम महामहिम राज्यपाल का शपथ ग्रहण हुआ था और मैंने देखी थी चमक उत्तरांचल राज्य के उन नौजवानों के चेहरों पर, मैंने देखी थी उत्तरांचल राज्य के 84 लाख जनसंख्या के चेहरे पर चमक राज्य के सपने साकार होने की। उसके बाद मैं आज की तिथि तक उनके सपनों को टूटते देखने का साक्षी रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तरांचल राज्य की पहली निर्वाचित सरकार ने जब 2 मार्च, 2002 को अपना कार्यकाल सम्भाला था और उसके बाद से लेकर आज तक उन बेरोजगार नौजवानों का, जिनका जिक्र बार–बार इस विधान सभा सदन में आया है, उनके सपनों को तार–तार किया है इस सरकार ने और केवल इस राज्य के अन्दर आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई है या शब्दों की जादूगरी दिखाई है, उस आँकड़ों की बाजीगरी में उत्तरांचल राज्य की जनसंख्या उलझ कर रह गई है।

अभी माननीय ऐरी जी कह रहे थे कि जब क्षेत्र में जाते हैं तो गाँव के लोग पूछते हैं कि कहाँ है हमारी सड़क, इस कागज में स्वीकृत सड़क से हम क्या करें? श्रीमन्, इस विधान सभा सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि मेरे जनपद पिथौरागढ़ के जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र के अन्दर बेस चिकित्सालय की व्यवस्था कर देंगे और जब मैंने इस वर्ष फिर जानकारी लेनी चाही, प्रश्न लगाया तो मुझे उत्तर मिला कि इस वर्ष पैसे की व्यवस्था नहीं है, पिछले वर्ष कहा था कि खुल जायेगा। मान्यवर, काली नदी के उस पार नेपाल है और

पावन हिमालय के पार तिब्बत है जहाँ चीन की सीमायें हैं, इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन क्या एक घण्टे के लिए भी उस क्षेत्र की समस्याओं को देखने के लिए नहीं जा पाये।

मान्यवर, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा वहाँ की जनता अपनी पिकाल बताना चाहती है, वह कहना चाहती है कि क्षेत्र किस पीड़ा से गुजर रहा है। उस पैदल रास्ते से जाते हैं तो गाँव के लोग पूछते हैं कि आजादी के 58 साल हो गये हैं हमारा चलने का रास्ता अभी नहीं है, हमें अस्पताल दीजिए, हमें स्कूल दीजिए, हमें सड़क दो। मान्यवर, हमें पीड़ा इसलिए होती है कि मैं राज्य स्थापना 9 नवम्बर, 2000 का साक्षी रहा हूँ और आज की कार्यवाही का दृष्टा रहा हूँ। मैंने संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से 21 बिन्दुओं का उल्लेख किया है, ये 21 बिन्दु हमारे पिथौरागढ़ के हैं जिसमें हमने कृत्रिम झील की आवश्यकता के बारे में कहा है। मान्यवर, वह कृत्रिम झील जिसके बारे में लोक सभा चुनावों में घोषणा की गई थी इसके लिए 2 करोड़ रुपये का शासनादेश हो गया और लोक सभा के चुनाव को 3 साल हो गये हैं। इसी प्रकार नैनी हवाई पट्टी का जिक्र किया है जिसका 1994 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था, तब से आज तक कोई भी जहाज वहाँ से नियमित रूप से उड़ान नहीं भर पाया, उस हवाई पट्टी का उपयोग मात्र नये वाहन सीखने के लिए बालक कर रहे हैं। इसके लिए 5 करोड़ रुपया अवमुक्त भी हो गया।

मान्यवर, वह जमीन कृषकों ने इसलिए दी थी कि वहाँ पर पर्यटन का विकास होगा और हमारे यहाँ रोजगार के साधन होंगे। आज 15 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी वह जमीन निष्प्रयोज्य है जिसमें रोपाई का धान होता था वह समाप्त हो गया। उस जमीन का दाम रु0 74 हजार प्रति नाली निर्धारित किया गया है। इसके बगल के गाँव में कीमत रु0 एक लाख 54 हजार प्रति नाली है। मान्यवर, उस जमीन को अधिग्रहण करने की कार्यवाही हो रही है। मान्यवर, वह कृषक भूमिहीन हो रहा है उनके पास जमीन नहीं बची है, क्षेत्रवासी हवाई पट्टी बनाना चाहते हैं, परन्तु उनकी शर्तें हैं। एक तो उनको उचित मुआवजा मिले दूसरा उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो। 1994 में उनके साथ वायदा किया था वह वायदा पूरा नहीं हुआ। नैनी सैनी में हाई स्कूल, चिकित्सालय तथा मोटर मार्ग निर्माण के वायदे किये गये थे, जो कि पूरे नहीं हुए। मैं आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से कि वह अपने वायदों को पूरा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो वह शासनादेश हो जाता है। मान्यवर, मैंने 1 से लेकर 21 तक संशोधन दिये हैं निश्चित रूप से आप भी स्वीकार करेंगे। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जितने संशोधन माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये हैं, इतिहास बन जायेगा, इन्हीं संशोधनों के साथ धन्यवाद प्रस्ताव महामहिम श्री राज्यपाल जी को प्रेषित किया जाय ताकि महामहिम भी इस बात को महसूस कर सकेंगे कि यह अभिभाषण आधा अधूरा है और वह जनता के अनुरूप खरा नहीं उतरता। मान्यवर, इसलिए इसमें संशोधन होना नितांत अनिवार्य है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्षजी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में निम्न बिन्दुओं की कमी महसूस की गयी है जिसे मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि सत्ता पक्ष मेरे इन बिन्दुओं पर ध्यान देगा। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल में लाखों के हिसाब से बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं। ये नमःशूद्र, पौण्ड्र, माझी जाति के लोग हैं। ये लोग अनुसूचित जाति में शामिल होने को लेकर आन्दोलित हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए सरकार क्या करना चाहती है इसका कोई उल्लेख नहीं है। उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि एन्थ्रोपोग्राफिकल सर्वे के नाम पर उनको मान्यता देने का मामला लटकाया जा रहा है। स्थाई निवास प्रमाण–पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण का भी श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।

प्रदेश में नयी सड़कें जो बन रही हैं वह मैं मानता हूँ परन्तु जो पुरानी सड़कें बनी हुई हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है। माननीय बीना जी ने भी इस बारे में कहा है। इसके लिए फण्ड की जरूरत है, इसका भी उल्लेख श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है। प्रदेश में सिडकुल के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। पंतनगर आदि कई जिलों में उद्योग लगाये जा रहे हैं, लेकिन मान्यवर, बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर ठेके पर रखा जा रहा है। मलाईदार पदों पर बाहर के लोग आ रहे हैं और हमारे यहाँ के लोगों को ठेके के नाम पर नौकरी मिल रही है। इसे बंधुवा मजदूरी भी कहा जा सकता है। लेकिन इसका भी कोई उल्लेख महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं किया गया है। महोदय, बाहर के बड़े–बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, जो स्थानीय उद्योगपति हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ दो सौ एकड़, ढाई सौ एकड़ लेने वाले आते हैं वहाँ फुटकर वालों को कोई घुसने नहीं देता है।

मान्यवर, एक ज्वलन्त समस्या है जिसकी ओर मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी तक जो सेंक्शन मार्ग थे जिनकी लागत रु0 14 लाख 10 हजार के करीब आती थी। अभी हाल ही में रेटों में संशोधन किया गया है। अब यह 24 लाख के ऊपर चला गया है। इसलिए 2005–2006 में जो सड़क हमने सेंक्शन की थी उसकी लम्बाई कम कर दी। जो हमने एक किलोमीटर की सड़क सेंक्शन की थी वह अब 600 मीटर ही बन रही है। जब हम क्षेत्र में जायेंगे तो जनता पूछेगी कि सड़क की लम्बाई कम क्यों कर दी गयी है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, लम्बाई घट नहीं सकती है। जो लम्बाई स्वीकृत हो जाती है उसे घटाया नहीं जा सकता है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं क्षेत्र में गया था और वहाँ पर जो भी मैंने देखा है उसी को मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ।   (व्यवधान)

मान्यवर, जो गदरपुर से गटकोटा मार्ग की रोड है वह रामबाग तक ही बन रही है। इसके अलावा जो पंतनगर विश्वविद्यालय के हमारे 240 अनियमित कर्मचारी भाई हैं, वह काफी लम्बे समय से नियमितीकरण की माँग कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इसको नियमितीकरण करने की बात को राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ दिया जाय। इसके अलावा जो वर्ग 4 के नियमितीकरण की बात है, इस बारे में कई बार सरकार घोषणा कर चुकी है लेकिन इसका कोई भी लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है, इसका नियमितीकरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा शक्ति फार्म में वर्ग 1 'ख' की जो जमीन है जिसे लेकर ऊधमसिंह नगर के कलेक्ट्रेट में दो वर्ष आपस में कई दिनों तक भिड़े रहे उससे आप लोग भी अवगत हैं। तो इसका भी नियमितीकरण होना चाहिए क्योंकि बिना इसके नियमितीकरण के अलावा इसका कोई समाधान नहीं है। इसके अलावा विधायक निवास की बात भी करना चाहूँगा जहाँ हम लोग रह रहे हैं, रेसकोर्स में, वहाँ पर ठंडे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आज जब मैं विधान सभा आने के लिए तैयार हो रहा था तो एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि विधायक जी से मिलना है। मेरे एक परिचित वहीं पर बैठे थे उन्हीं की बात उससे हुई, उन्होंने मुझसे आकर पूछा कि एक्वागार्ड वाला आया है और लगाने के लिए पूछ रहा है मैंने कहा कि कितने पैसे लगेंगे तो उन्होंने बताया कि 15 हजार रुपये लगेंगे। मैंने उनसे कहा कि कह दो कि विधायक जी नहीं हैं। तो वहाँ पर ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए अब गर्मी का मौसम आ गया है। वहाँ पर रहने वाले विधायकों की फ्रिज लेने की हैसियत किस–किस की है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नहीं है।

महोदय, नगरपालिकाएं विधान सभा के अन्तर्गत आती हैं अच्छी बात है और उनके लिए सरकार ने पैसा भी दिया है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ निवेदन भी करना चाहता हूँ कि नगरपालिका क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं अच्छी बात है लेकिन यह विकास कार्य गाँवों में भी होने चाहिए और गाँवों में विकास के लिए विधायक से अच्छी कोई और संस्था नहीं हो सकती है। इसके लिए विशेष पैकेज माननीय विधायकों के लिए सरकार को बनाना चाहिए। ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए सरकार ने मानदेय की व्यवस्था कर दी है जो प्रशंसनीय है और ग्राम प्रधान को 600 रुपये देने की बात भी की गई है, आज आप एक पेंशन भोगी को भी 400 रुपये दे रहे हैं तो उसके हिसाब से यह 600 रुपया बहुत कम है। इसी प्रकार से जिला पंचायत सदस्य जो 20–30 हजार की जनसंख्या से चुनकर आते हैं उनके लिए भी मानदेय की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए भी मानदेय की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय महाजन जी, कृपया समाप्त करें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं समाप्त ही कर रहा हूँ। इसके साथ–साथ जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एस०सी०पी० के तहत जो पैसा आता है उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसमें विधायकों की संस्तुतियाँ नहीं ली जाती हैं, मेरा अनुरोध है कि इसमें विधायकों को भी संस्तुति लेनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, आपने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और इस अभिभाषण प्रस्ताव पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

*श्री सुन्दरलाल मन्द्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सरकार की उपलब्धि पर महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारे सम्मानित एम०एल०ए० श्री उनियाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देता हूँ और उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। मैं सूबे के मुखिया माननीय तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ और महामहिम श्री राज्यपाल जी को भी बधाई देता हूँ। हमारे माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा, उन्होंने काफी विस्तार से हमारी सरकार की उपलब्धियों के बारे में सदन को बता दिया है। मुझे एक शंका है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के बारे में बताना चाहता हूँ। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में प्रत्येक ब्लॉक में एक सदस्य होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए एक बार सरकार ने एक योजना बनायी थी कि जो भूमिहीन अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, सरकार उसको 20 नाली भूमि देगी। मेरा सुझाव है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, जिसका बजट शुरु में 300–400 करोड़ रुपया था, मुझे लगता है कि अब वह निश्चित रूप से 720 करोड़ रुपया हो गया होगा। मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति के लिए जो पैसा है, उससे जो सड़कें बन रही हैं, बारात घर बन रहे हैं, यह अच्छी बात है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। सरकार ने अनुसूचित जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति दुगनी कर दी है, इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मेरा एक सुझाव इसमें जोड़ दिया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति के जो भूमिहीन लोग हैं, उनके लिए 20 नाली भूमि इसी पैसे से खरीद कर दी जाए।

मान्यवर, अन्त्योदय स्कीम जय प्रकाश नारायण जी ने शुरु की थी। अन्त्योदय स्कीम का मतलब है, सबसे पीछे वाले व्यक्ति का उदय हो। जब आर्थिक रूप से इनका विकास होगा, तभी इनका उदय हो पायेगा। सरकार ने 2002 से अनुसूचित जाति के विकास के लिए प्रोजेक्ट बनाया किया है। इसमें मेरा अलग से सुझाव है कि प्रत्येक ब्लाक

में एक सदस्य होना चाहिए। मेरे संज्ञान में आया है कि इसमें घोटाला हो रहा है। मैं बाकी प्रस्ताव का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मान्यवर, मैं सुझाव के रूप में एक जवाब देना चाहता हूँ। पुराने लोग हैं, सब समझते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। अभी एक शिकायत आयी कि मंत्री जी जिलों में नहीं जा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर मंत्री लोग जिलों में घूमते रहेंगे तो काम कौन करेगा ? हम सदस्य लोग किस लिए हैं। एम०एल०ए० को अपने क्षेत्र में जाना चाहिए और वहाँ पर काम करना चाहिए। मंत्रियों को अपनी सीट पर बैठ कर काम करना चाहिए। ऐसे ही विकास होगा। मुझे अटपटा सा लगा, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि बी०जे०पी० सरकार ने पैकेज दिया।

मान्यवर, जब इन्दिरा गाँधी जी ने बहुगुणा जी को उत्तर प्रदेश में भेजा तो बहुगुणा जी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में कैसे चला जाऊँ ? मान्यवर, पर्वतीय विकास परिषद् के लिए अलग से बजट का प्राविधान किया गया था। यह तो इन्दिरा जी ने ही दे रखा था। मान्यवर, इसका जवाब यह है। दूसरी बात हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा यह कही जाती है कि सत्ता पक्ष के सदस्य आपस में लड़ रहे हैं। इस सम्बन्ध में, मैं मेले का एक उदाहरण देना चाहूँगा। "एक बार एक जगह मेला लगा हुआ था। दो पड़ोसी भी मेला देख रहे थे। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी से कहा कुलवंत तेरे घर में आग लग गई। फिर कुलवंत ने कहा अगर तेरे घर में आग लग जाए तो मैनू की । जब त्वाडे घर मा आग लगे तक भी जाऊँ। सभी पार्टियों के मुखिया के पास यह अधिकार होता है कि कहाँ पर क्या गलत काम हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान दिलाया जाए। यह काम विपक्ष का भी होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ "मियां बेबात का झगड़ा बढ़ाने में मजा क्या है। खामुखा एक सोते शेर को जगाने में मजा क्या है।" झगड़े बढ़ाने में मजा क्या है। शेर को जगाने से क्या फायदा। दूसरा शेर और अर्ज करना चाहता हूँ "जिसके दिल में दर्द न लगा हो, वह किसी का दर्द क्या जाने, शमा को भी मालूम नहीं क्यों जल जाता है परवाना।"

श्री काजी निजामुद्दीन-

मान्यवर, मैं तो पूछ रहा हूँ जल कौन रहा है। (हँसी)

श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल-

मान्यवर, विपक्ष के साथियों द्वारा कहा जा रहा है कि पाँच साल से अभिभाषण में वही पुरानी बातें दुहराई जा रही हैं। मान्यवर, वही बातें तो होंगी। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों की ही तो बात कही जायेगी। उसी से उत्तरांचल और यहाँ के लोगों का विकास होगा। मान्यवर, जो हमारी सरकार की उपलब्धियाँ हैं वह तो आयेंगी ही और जो संशोधन आ रहे हैं उन पर हमारी सरकार द्वारा विचार किया जाता है। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण प्रस्ताव पर बल देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में हर साल एक ही शब्द पढ़ने को मिला और वह शब्द यह है कि सरकार नीति बना रही है और नीति बनाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं है। सरकार का पाँच साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है किन्तु न कोई खनन नीति है, न कोई रोजगार नीति है और न ही आपके पास कोई औद्योगिक नीति है। अभिभाषण में उत्तरांचल राज्य को स्वावलम्बी राज्य बनाने की बात कही गई है किन्तु इसका कहीं कोई प्रयास नहीं किया गया है। उत्तरांचल से लगा हुआ हिमाचल प्रदेश है उसकी भी भौगोलिक स्थिति ठीक हमारी ही जैसी है किन्तु वह हमसे हर चीज में काफी आगे है।

मान्यवर, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डा० परमार थे। इस राज्य की प्रगति काफी तेजी से हुई है, इसकी तुलना में हम काफी पिछड़ चुके हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हिमाचल प्रदेश को बने हुए लगभग 40 साल हो गये हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, हिमाचल प्रदेश ने बहुत ही मजबूती से कार्य किया है, जोकि स्वावलम्बीराज्य है। इसने नाबार्ड से कर्ज लेकर कोई कार्य नहीं किया है। मान्यवर, हमारा प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है, हम नाबार्ड से कर्ज ले रहे हैं। मान्यवर, जहाँ तक प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़क योजना की बात है तो इसकी प्रगति कोई अच्छी नहीं है। मान्यवर, उत्तरांचल में जितने भी छोटे–छोटे ठेकेदार हैं, वे आज बेरोजगार हैं, इनको काम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर वर्टिकल टेण्डर हो रहे हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में वर्ष 2003 में सिनीबैण्ड से समकोट सड़कें स्वीकृत हुई थी, परन्तु इनके दो बार टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं, परन्तु इन पर किसी ने टेण्डर नहीं डाले हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर वर्टिकल टेण्डर लिये जाते हैं। मान्यवर, यदि छोटे–छोटे ठेकेदारों को काम दिया जाय तो इससे प्रदेश की बेरोजगारी भी काफी हद तक दूर हो जायेगी। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बारा नगर में माला बोरा 08 कि०मी० सड़क स्वीकृत थी, इसमें 06 किलोमीटर के लिए टेण्डर हुए, इस पर गाड़ियाँ भी चली, लेकिन 2 कि०मी० सड़क वन विभाग से स्वीकृत है। इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। मान्यवर, आज भी हमें जगह–जगह देखने को मिलता है कि सड़के किसी न किसी कारण से पूरी नहीं हुई हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में चौक वाली कोटा है, जिस पर दो किलोमीटर तक वन विभाग की स्वीकृति थी, लेकिन अभी तक यह सड़क नहीं बनी है। मान्यवर, वर्ष 2001 में शहीदों के नाम से सड़कें स्वीकृत की गयी थी, मान्यवर, जितनी भी ऐसी सड़कें हैं, इन पर काम नहीं हुआ है।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मटगाँव तक 05 किलोमीटर की जो सड़क स्वीकृत थी, वह वन विभाग से स्वीकृत नहीं हुई है। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार

ने एल0बी0आर0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के समय में सड़कें स्वीकृत की थीं, और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की अन्तरिम सरकार ने हल्के वाहन चलाने के लिए यह योजना चलायी थी। मान्यवर, इस सरकार ने एल0बी0आर0 रोडों को मोटर रोड के रूप में परिवर्तन कर शासनादेश किया था। मान्यवर, दुगाकोट से बोरागाँव तक एल0बी0आर सड़क स्वीकृत है। इस बोरगाँव से बार्ड गाँव तक मोटर सड़क स्वीकृत है। जबकि पहले मार्ग को एल0बी0आर0 को मोटर मार्ग में बदलना था।

मान्यवर, स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूँ, इस सरकार द्वारा दूर–दराज के क्षेत्रों में उपकेन्द्र खोले जाने की बात कही गयी है, इसके लिए जो 05 किलोमीटर का मानक है, उसमें उपकेन्द्र खोलने की बात कही गयी है। लेकिन जहाँ तक 20–25 किलोमीटर की दूरी में दूर–दराज के केन्द्रों में उपकेन्द्र खोले हैं इनमें फार्मेसिस्टों की नियुक्ति नहीं की है। मान्यवर, मुनस्यारी कोटा में एक उपकेन्द्र खोला गया तथा डुगरी में उपकेन्द्र खोला गया, उसके 20 किलोमीटर दूरी में कोई अस्पताल नहीं है। 10 किलोमीटर में फार्मेसिस्टों की नियुक्ति नहीं की गयी है। मान्यवर, फार्मेसिस्टों की नियुक्ति सड़क के किनारे 05 किलोमीटर के दायरे में की गयी है।

मान्यवर, शिक्षा ऐसा विभाग है कि इसके क्षेत्र में साल भर ट्रांसफर होते हैं, लेकिन साल भर में जो दूर–दराज के विद्यालय में स्थानान्तरण किये वहाँ पर आज शिक्षा मित्र के सहारे विद्यालय चल रहे हैं और जूनियर हाई स्कूल में जहाँ 5 का स्टाफ होना चाहिए था, वहाँ एक अध्यापक है। मान्यवर, जी0जी0आई0सी0 जो हमारे क्षेत्र में है, उस जी0जी0आई0सी0 के लिए सबसे पहले चारदीवारी होनी चाहिए, लेकिन कहीं नहीं दी। मान्यवर, डीडीहाट अन्तर्गत थल मेरे क्षेत्र में है उसमें चारदीवारी बनायें।

मान्यवर, खाद्यान्न की सबसे बड़ी समस्या है। मान्यवर, आन्ध्र प्रदेश में दो रुपये चावल मिल सकता है पर उत्तरांचल में एक कार्ड में 10 किलो गेहूँ मिल रहा है, क्योंकि पहले 20 किलो गेहूँ मिलता था, लेकिन इस समय 10 किलो गेहूँ मिलता है, तो जहाँ एक परिवार में 10–15 लोग हैं तो उनका परिवार कैसे चलेगा ? मान्यवर, खनन के बारे में श्री दुर्गापाल जी ने कहा। मान्यवर, रेत की कीमत एक महीने पहले 24 रुपये प्रति कुन्तल थी, लेकिन आज 40 रुपया कुन्तल मिलता है, जो गाड़ी पाँच हजार में जाती है, वहाँ नौ हजार देना पड़ रहा है, ठेकेदारों पर अंकुश होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री विशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जो संशोधन प्रस्ताव रखा, उस पर बल देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव और संशोधन पर 18 माननीय विधायकों ने अपने विचार रखे और मैं इस नतीजे में पहुँचा कि सत्ता पक्ष के माननीय विधायक श्री जोत सिंह , डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री राम प्रसाद टम्टा, श्री दुर्गापाल, श्री गोपाल सिंह, श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल इस प्रकार से 6 माननीय विधायकों ने पक्ष में बोला। 12 माननीय विधायकों ने संशोधन पर बल दिया तो मेरा

कहना है कि सरकार तो अल्पमत में आ गई, आपके सामने प्रमाण है। मान्यवर, सबसे पहले मैं श्री मंद्रवाल जी की तरफ मुखातिब होना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि पर्वतीय विकास विभाग बनाया गया, तो आप यदि वहाँ होते तो यहाँ न होते, यह तो श्री अटल बिहारी वाजपेई जी की देन है कि आप यहाँ पर बैठे हैं।

मान्यवर, दूसरा मेरा कहना है कि सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों ने कहा कि हमारी आशंका है, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। मान्यवर, अगर सरकार सही काम करती रही होती तो फिर इस प्रकार की आशंका क्यों करते, क्यों अनुरोध करते ? अर्थात ऐसा लगता है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी जो वरिष्ठ मंत्री हैं। आपके पास गुप्तचर विभाग है, आपके पास सतर्कता विभाग है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पूरी रिपोर्ट ले लीजिए, उत्तरांचल की जनता क्या कहती है, अगर जनता यह कहती है कि विकास नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कानून-व्यवस्था सही नहीं है, कहीं मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है तो कहीं चीनी नहीं मिल रही है, कहीं रसोई गैस नहीं मिल रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कृषकों की स्थिति खराब है, मजदूरों की स्थिति खराब है। आपने ऊर्जा प्रदेश बनाने का संकल्प लिया था। माननीय पर्यटन मंत्री जो बैठे हैं अब तो कुछ करने को रहा ही नहीं। ऊर्जा प्रदेश की बात की, क्या हुआ ? मनेरी भाली फेज-2 में रेता व बजरी को देखें तो उसमें 30 प्रतिशत मिट्टी है। उत्तरकाशी में जो खनन हो रहा है, वह कैसे हो रहा है। जहाँ से रेत आनी चाहिए थी, वह नहीं आ रही है। वन भूमि में खनन हो रहा है, मैंने ... कार को फैक्स भेज कर उस अवैध काम को रोकने के लिए कहा।

मान्यवर, गंगोरी में स्टोन क्रेशर कैसे चल रहा है, मैंने जिला प्रशासन से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई परमीशन नहीं है। इस प्रकार स्टोन क्रेशर बिना एन०ओ०सी० के चल रहा है, इस सम्बन्ध में मैंने वन मंत्री जी को भी लिखा और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या इस प्रकार से शासन चलेगा और अवैध खनन होता रहेगा, अवैध पातन होता रहेगा ? सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, वह अन्तरात्मा से तो कह रहे हैं कि सरकार गलत है लेकिन उनका यह कहना मजबूरी है कि सरकार सही है। मान्यवर, मैंने 64 संशोधन दिये हैं। मेरा कहना है कि औद्योगिक इकाईयाँ हैं। सरकार दम भर रही है कि इन इकाईयों में यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिला दिया है। मगर हकीकत क्या है ? जितनी औद्योगिक इकाईयाँ चाहे वह हरिद्वार में हों, देहरादून में हों, चाहे कुमाऊँ मण्डल में हों, केवल 1200, 1500 रुपये की नौकरी दे रही हैं।

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)-

मान्यवर, पुनः भाषण की परम्परा नहीं है।

श्री मातबर सिंह-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है, अभी एक उदाहरण सरकार के सामने आ रहा है। आपके वनकर्मी टेलीफोन टावर पर चढ़े हुए हैं और सरकार तमाशा देख रही है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सरकार इस विभाग के ढांचे का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् में ला चुकी है। केवल कुछ लोग इनको भड़का रहे हैं। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार का काम आरोप लगाना नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय वन मंत्री जी का आदर करता हूँ। कभी मैं भी वन मंत्री हुआ करता था (हँसी) आप तो हँसते हैं और मेरे अन्दर पीड़ा है। आप कह रहे हैं कि मंत्रि-परिषद् में हम प्रस्ताव ला रहे हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हम प्रस्ताव ले आये हैं। उनको यह पता है कि ढांचे में क्या कार्यवाही हो रही है। जो ढाँचा हमने प्रस्तावित किया है, उसके ऊपर हम संशोधन करने जा रहे हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, जाल बिछवा दिया कि नहीं ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, दो वरिष्ठ सदस्य उनकी रक्षा कर रहे हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। आपको सत्ता पक्ष को भी सुनना है, विपक्ष को भी सुनना है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो 4 साल से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्या हल क्यों नहीं की ? सत्ता पक्ष के सम्मानित बंधुओं को मेरे शब्दों से पीड़ा हो रही है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है "जो खुशी के गीत गाकर जिये हो उम्र भर, उन्हें फिर आँसुओं का दर्द समझना मुश्किल है"।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यह आपका ही बनाया हुआ है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, "क्यों इतना आसमान में उड़ते हो, क्यों इतना कर्ज पर कर्जा लेते हो। क्यों हर माह कमरतोड़ मंहगाई बढ़ाते हो, क्यों हर वक्त डंडे से शासन चलाते हो। कभी नर्म तो हो जाओ, आओ मिलकर काम करें और प्रदेश का चहुँमुखी विकास करें।"

मैं तो निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि सत्ता पक्ष हमको अपना दुश्मन मानता है और यह प्रस्ताव माननीय सुबोध जी ने प्रस्तुत किया था और उन्हें शेरो-शायरी का शौक भी है तो यह शेर उन्हें कहना चाहता हूँ।

"रिश्ता यह दरो और दीवार का तेरा भी है, मेरा भी है,
क्यों लड़ें आपस में हम तुम, इस लड़ाई में नुकसान तेरा भी है, मेरा भी है।"

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी संशोधन हमारे विधायकों, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल और बसपा के सदस्यों और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने दिये हैं उन संशोधनों पर सरकार को अमल करना चाहिए और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, चूँकि मैंने ही अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा था और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने हमारे उड़ने पर एक शेर भी सुनाया, तो मैं भी दो लाईनों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ–

"देखना चाहते हो अगर हमारी उड़ान को,
तो कुछ और ऊँचा करो इस आसमान को।"

(मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय कंडारी जी, माननीय महेन्द्र भट्ट जी, माननीय काशी सिंह ऐरी जी, माननीय हरिदास जी, माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी, माननीय जोत सिंह जी, माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी, माननीय अनुसूया प्रसाद मैखुरी जी, माननीय काजी निजामुद्दीन जी, माननीय अजय भट्ट जी, माननीय राम प्रसाद टम्टा जी, माननीय हरीश चन्द्र दुर्गापाल जी, माननीय हरभजन सिंह चीमा जी, माननीय नारायण सिंह जंतवाल जी, माननीय प्रकाश पंत जी, माननीय सुन्दर लाल मंद्रवाल जी एवं माननीय बिशन सिंह चुफाल जी और सभी माननीय सदस्यों को मैंने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान गम्भीर रूप से सुना और उनके सुझावों को नोट किया। मान्यवर, माननीय सुबोध उनियाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2006 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है तथा उस पर माननीय विजयपाल सिंह सजवाण जी द्वारा दिये गये समर्थन प्रस्ताव पर बल देने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। आज यहाँ पर जो चर्चा सदन में हुई, उसमें सभी बिन्दु समान रूप से उठाये गये थे और अधिकतर माननीय सदस्यों ने खासकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कर्जे पर ही विशेष जोर दिया। लेकिन विकास दर के सूचकांक की ओर सम्भवतः किसी ने नहीं देखा और इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं देखा। कल के सभी राष्ट्रीय समाचार-पत्रों, इकोनॉमी मैगजीन्स के सर्वेक्षणों में देखा गया तो देश के अन्दर जो राज्यों की विकास दर है, वह हमारे यहाँ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सर्वश्रेष्ठ कही गई है, इकोनॉमिक एक्सपर्टस की राय भी इसमें है। उन्होंने इसे निर्विवाद रूप में कहा है। दुनिया के समाचार-पत्रों और वर्ल्ड की इकोनॉमिक मैगजीन में इसे देखा जा सकता है। यह वो मैगजीनों और समाचार-पत्रों की बात है, हो सकता है, कई लोगों ने इसे नहीं पढ़ा हो लेकिन मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश की विकास दर जो वर्ष 2000-2001 में 10.7 प्रतिशत थी, वह वर्ष 2001-02 में 5.9 प्रतिशत हुई।

मान्यवर, वर्ष 2004-05 में विकास दर 11.69 प्रतिशत हुई। यह आँकड़े कागजों में बताने के नहीं हैं। यह आँकड़े अर्थशास्त्र विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। यह सार्वजनिक हैं। आप सूचना के अधिकार के तहत इसकी पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष को जब हम सुनते हैं तो हमें आनन्द भी आता है। कवि और शायर के रूप में आप अचानक सदन में अवतरित हुए हैं। मुझे तो कई सार्वजनिक सभाओं में भी आपके साथ जाने का अवसर प्राप्त होता है। आपको सुनकर मुझे आनन्द आता है और कवि और शायर के रूप में आपकी बातों में मधुरता भी आ जाती है। यह अच्छी बात है, ऐसा हास परिहास होना भी चाहिए।

श्री मातबर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम इस उत्तरांचल राज्य के जन प्रतिनिधि हैं। जनता के द्वारा ही हमारे विधायक और मंत्री चुने गये हैं। हमारा यह दायित्व है कि इस प्रदेश की जनता के हित में हम काम करें। हम जनता से जुड़े जिन बिन्दुओं को यहाँ पर उठाते हैं, उनको पूर्ण करने में आपकी अहम् भूमिका होती है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, आपने बार-बार कर्जे की बात कही और यह भी कहा कि घाटे की प्रतिपूर्ति कैसे करेंगे ? मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि 2005-06 में कर्ज 437.59 करोड़ रुपया था। 2006-07 में यह घटकर 165.71 करोड़ रुपया हो गया है। आगामी वर्ष में इसमें और सुधार होने की पूरी सम्भावना है। यह अभी घोषित हुआ है। मान्यवर, इसमें सुधार करना हमारी बाध्यता भी है। भारत सरकार के साफ संकेत हैं कि यदि राज्य सरकार कर्जों का भुगतान नहीं करेगी तो विकास कार्यों के लिए धन आवंटित नहीं किया जाएगा। इसलिए हम कर्जे का भुगतान भी कर रहे हैं। आपने बार-बार इस विषय पर चिन्ता व्यक्त की। एक-दो माननीय सदस्यों ने तो यह भी कहा कि नाबार्ड से ऋण लेकर कर्जा दे रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि अपनी जानकारी में इजाफा कर लीजिए। रेशियों के हिसाब से 2007-08 में कर्ज के मामले में हमारी स्थिति शून्य तक भी पहुँच सकती है।

माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुनियोजित ढंग से आर्थिक घाटे और विकास कार्य का बैलेंस चल रहा है, यह ऐतिहासिक है। माननीय काजी जी से कहना चाहूँगी कि पूर्व के बजट को देखिए, उत्तर प्रदेश से पुराने बजट भी मंगा कर देख लीजिए, उनकी भाषा भी देख लीजिए। 4 आईनें मिलेंगी। आपने कहा कि अन्तरात्मा की

आवाज को टटोलिए। देश की आजादी के बाद उत्तरांचल नया राज्य बना। इस छोटे से राज्य में वर्तमान सरकार, जिसका नेतृत्व माननीय नारायण दत्त तिवारी जी कर रहे हैं, उसके द्वारा किये गये विकास कार्यों का लाभ पूरे राज्य को अभूतपूर्व मिला है। सड़क, पेयजल, बिजली कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसमें लाभ नहीं मिला हो। इस विषय में मैं अभी पूरे विस्तार से बता दूँगी। हमारे प्रदेश में जो विकास कार्य हुए है, उसका श्रेय निश्चित रूप से माननीय तिवारी जी के अनुभव को जाता है।

मान्यवर, भारत सरकार के वित्त मंत्री के रूप में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त करने की योग्यता के रूप में उनका अनुभव और उनकी विद्वता ही मूल स्रोत है। आपने भी यह स्वयं अनुभव किया होगा। हमें जो विशेष दर्जे के रूप में 90 प्रतिशत का लाभ मिल रहा था, वह मिलता रहे। यह नॉर्थ ईस्ट राज्य के लिए है, यह हमारे लिए बहुत उपयोगी भी होगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे बात की है और हमें पूरा विश्वास है कि वह हमें मिल जायेगा। यदि विशेष दर्जे के रूप में 90 प्रतिशत केन्द्र से हमें प्राप्त होता है तो इससे हमारी स्थिति सहज बनी रहेगी। हमें ऋण मिलने में भी सुविधा होगी। यह बोझ केन्द्र सरकार वहन करेगी। इस सम्बन्ध में केन्द्र में उत्तरांचल के बारे में चिन्तन और विचार चल भी रहा है।

मान्यवर, सरकार का सबसे अधिक ध्यान रोजगार पर है और लोगों को रोजगार मिलना भी चाहिए। केन्द्र सरकार की तरफ से रोजगार गारन्टी योजना अभी हमारे तीन जनपदों में चलाई जा रही है अगले वर्ष में केन्द्र सरकार कम से कम 6 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध करायेगी। लेकिन रोजगार कम हैं इसके लिए उत्तरांचल सार्वभौमिक रोजगार योजना भी प्रस्तावित है जिसके लिए 33 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। कुछ ब्लॉकों में यह कार्य प्रारम्भ भी किया जा चुका है। जहाँ ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना नहीं थी, उन क्षेत्रों में इस योजना के माध्यम से रोजगार दिया गया है। आप लोगों के क्षेत्र में भी यह योजना कार्य कर रही होगी। यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो उपलब्ध करायें हम भी अपनी तरफ से आँकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। यह योजना उत्तरांचल के ग्रामीण और अन्तिम क्षेत्र तक पहुँचाई जायेगी।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आप भी जानती हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और हम भी जानते हैं। वहाँ की औद्योगिक इकाईयाँ बन्द पड़ी हुई हैं वह चालू करायें। हमारे हरिद्वार, देहरादून, सेलाकुई और ऊधमसिंह नगर में जो औद्योगिक इकाइयाँ लगी हैं वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से 1200–1500 रुपये में काम दिया जा रहा है। क्या सरकार इस प्रथा को बन्द करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, औद्योगिक इकाइयाँ खुल रही हैं। आज 60 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। कुछ इकाईयों में 2700 से 3000 रुपये देकर उनसे ठेकेदारी

प्रथा के माध्यम से काम कराया जा रहा है। यह सही है। इस सम्बन्ध में एक बैठक आहूत करने का निर्णय लिया गया है उसमें बताया जायेगा कि आप ठेके के माध्यम से हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मत दें। यदि आप ठेकेदार की इच्छा पर रखेंगे तो रोजगार के रूप में हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त नौजवान युवक हैं, योग्य हैं, उनको भी यहाँ पर जो औद्योगिक इकाईयाँ लगी है या लगाई जायेंगी, उनको यहाँ पर रोजगार की सुविधा मुहैया कराई जायेगी। इससे राज्य को बहुत फायदा होगा।

मान्यवर, वे कर्मचारी रखते हैं। बाहर से आने वाले जो भी उद्योग यहाँ पर लगे हैं। सेंचुरी बल्ब भी पाँच हजार रु० अपने कर्मचारियों को देता है। मान्यवर, जो नीडी होते हैं, वे इसमें काम करते हैं। प्राईवेट छोटी–छोटी कम्पनियों में दो–दो, तीन–तीन हजार मासिक वेतन पर भी कर्मचारी काम करते हैं। मान्यवर, हम तीन दृष्टि से इन उद्योगों को यहाँ पर लाये थे पहला कारण था औद्योगिक विकास होने से अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। दूसरा कारण था उद्योग धन्धे लगाने वाले बड़े घरों के मालिक इस क्षेत्र में रुचि लें जैसे टाटा समूह ने हरिद्वार में होटल खोलने के लिए सरकार से एक एम०ओ०यू० साईन किया है। जबकि यह समूह इसमें रुचि नहीं ले रहा था, परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से यह सम्भव हुआ। मान्यवर, इससे पर्यटकों के लिए आवास की जो समस्या है, वह काफी हद तक दूर होगी। मान्यवर, तीसरा कारण था जो पर्यटक यहाँ के तीर्थ स्थलों पर आते हैं, कई लोग महाराष्ट्र, दिल्ली–गुजरात, मुम्बई, कलकत्ता आदि राज्यों से आते हैं, इनकी संख्या किस तरह से बढ़ायी जाय।

मान्यवर, हमें उद्योग पर्यटन, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र के रूप में प्रदेश को विकसित करना होगा। पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर असीम सम्भावनाएं हैं। मान्यवर, हमारे यहाँ पर हवाई–पट्टी की कठिनाई है, पंतनगर और देहरादून हवाई–पट्टी के निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री जी के कार्यालय में बिना पूर्वानुमति के चले गये और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन अड्डों को विकसित करने के लिए बात की और पिछले छः महीने के अन्दर इन दोनों हवाई–अड्डों पर कार्य हो रहा है। मान्यवर, हमारी सरकार बी०पी०एल० परिवारों से लेकर अत्यन्त निर्धन जन के बारे में भी चिंतन कर रही है। हमें प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को रोजगार से जोड़ना होगा। मान्यवर, यदि हम चतुर्दिक दिशा में कार्य करेंगे तो सभी को रोजगार के अवसर अवश्य उपलब्ध होंगे। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय नरेन्द्र सिंह भण्डारी जी की जितनी प्रशंसा की जाय वह कम ही है। इस दिशा में अविश्वसनीय प्रगति हुई है, इसे सभी को मानना होगा। मान्यवर, इस क्षेत्र में 14735 प्राथमिक विद्यालय, 3916 उच्च शिक्षा विद्यालय, 816 हाई स्कूल विद्यालय तथा 1116 इण्टर कॉलेज संचालित हैं। मान्यवर, इस क्षेत्र में जो खास उपलब्धि है वह सर्वशिक्षा अभियान का सफलतापूर्वक संचालन है। मान्यवर, कोई भी जनप्रतिनिधि चाहे वह ग्राम प्रधान हो, बी०डी०सी० मेम्बर हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जो जितना जागरूक होगा, उसके यहाँ उतना ज्यादा काम होगा, इस बात को सभी माननीय सदस्यों को भी मानना पड़ेगा।

मान्यवर, प्रतिवादा और पक्ष में सब लोग रह चुके हैं, सबको इस बारे में ज्ञान है। मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त 2700 पदों पर विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया। मान्यवर, 13–14 वर्ष पहले भी नहीं हुआ और उससे पहले भी नहीं हुआ और प्राथमिक विद्यालयों में भविष्य में रिक्त होने वाले पदों की समयबद्ध पूर्ति हेतु नियमित बी०टी०सी० प्रशिक्षण आरम्भ किये जाने का निर्णय लिया। मान्यवर, मेजर निर्णय हुए, इसमें कोई अनियमितता न हो जाए। मान्यवर, आप तो दिनभर घोटाले ढूँढते हैं, घोटालों से बचा जाता है जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे, यह नहीं कहा जा सकता कि कहीं चूक नहीं हो सकती है। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए मेरे अपने सार्वजनिक जीवन में, जितना मुझे ज्ञान है, पर्वतीय क्षेत्र में 253 नये राजकीय हाई स्कूल एवं 147 राजकीय इण्टर कॉलेज आज तक नहीं खुले हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपने हमारे शिक्षा मंत्री का मनोबल इतना बढ़ा दिया कि यह तो कुछ काम ही नहीं करेंगे। मान्यवर, मेरा कहना है कि जितनी दुर्गति शिक्षा विभाग की हुई है, कोई शिक्षा में सुधार नहीं आया है, शिक्षा स्तर नहीं बढ़ा है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आलोचना के लिए आलोचना करें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, वहाँ पर अध्यापक नहीं है, बिल्डिंग नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं यह भी नहीं मानने को तैयार हूँ। मान्यवर, मुन्स्यारी में कई बार दबाव बना लेकिन रिलीज नहीं किया। जिसका परिवार हल्द्वानी, कोटद्वार में रह रहा है वह सिफारिश करता है, हमारे पास जनप्रतिनिधि के परवाने आते हैं। मान्यवर, इन्टीरियर में शिक्षकों को शर्तों में बाँध दें कि 5 साल रहना पड़ेगा और मैंने कहा कि तीन वर्ष से पहले कोई भी मामला न आये, यह सर्व सत्य हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। मान्यवर, आये दिन लोग हमसे कहते हैं कि हमको देहरादून भेज दो लेकिन मैं मना कर देती हूँ। मान्यवर, इन्टीरियर में जिस महिला या भाई को जाना पड़ता है तो वह क्यों जायेगा अगर उसे पता चल जाए कि देहरादून में जगह है। मान्यवर, शून्य की भी स्थिति रही है, मैं ऐसे इन्स्टीट्यूट भी जानती हूँ। मान्यवर, हॉस्पिटल में भी यही स्थिति है डॉक्टरों को भेजते हैं तो कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षकों को जरूरत है, कभी–कभी सही भी होता है तो इन्होंने अनुकम्पा के आधार पर सम्बन्ध कर दिया।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, अनुकम्पा शब्द आ गया है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, उन्होंने अनुकम्पा करके उनका नियमितीकरण करने की कोशिश की । आप की माँग होगी तो अनुकम्पा खत्म कर देंगे। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रधानाचार्य का प्रमोशन हुआ है। प्रधानाचार्य कमीशन से नहीं आये, अब हर विद्यालय में प्रधानाचार्य पहुँच जायेगा। शिक्षा के क्षेत्र में 4–5 काम अति महत्वपूर्ण हुए हैं, प्रत्येक विद्यालय में दो कक्ष, प्रत्येक विद्यालय में 6 से कक्षा 12 तक कम्प्यूटर की व्यवस्था, प्रत्येक विद्यालय में जनरेटर की व्यवस्था और उसके लिए ट्रेनिंग कराने का काम किया गया और कुछ जगह पर कम्प्यूटर नहीं सिखाये जा रहे हैं, वहाँ पर भी सिखाया जाना चाहिए। वह ऐसा कार्य न करें कि टावर पर चढ़ें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मुझे एक आपत्ति है क्योंकि इस बात को दो बार रिपीट कर चुके हैं, इस बात को माननीय वन मंत्री भी कह चुके हैं।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, थोड़ा सेन्स ऑफ ह्यूमर से काम लेना चाहिए।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय वन मंत्री जी ने जो शब्द कहे हैं, सरकार आपकी है, आप इस पर जाँच करायें। आप ने आरोप लगाया, आपने कहा कि दो माननीय सदस्य हैं। अगर किसी पर आरोप सिद्ध हो गया तो वह त्यागपत्र दे देगा। मान्यवर, झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, इसमें मंत्रि मण्डल की कमेटी बनी हुई है, इसमें सर्वाधिक लोग वन विभाग के हैं, वह हल्द्वानी के हैं, आये दिन उनसे बातचीत होती रहती है, उन्हें यह पता है कि क्या हमने निर्णय लिया है। कोई भी धरना प्रदर्शन होता है उसका संज्ञान सरकार लेती है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सेंस आफ ह्यूमर की बात कह रही हैं, दूसरा जिनके कारण वह चढ़े हैं। (व्यवधान) मान्यवर, मैं अपनी खिड़की से देख रहा था, वह अभी भी चढ़े हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, माननीय वन मंत्री जी, वो अभी भी चढ़े हुए हैं। इसका आप समाधान निकालें।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं लगातार सम्पर्क में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्पर्क में हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अगर आप आज सदन में यह घोषणा ही कर दें तो एक दुर्घटना होने से बच सकती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स नहीं अपनानी चाहिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम लोग भी इसके समर्थक नहीं हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक बार माननीय ऐरी जी ने पी0आर0डी0 जवानों के बारे में कहा था तो मैंने कहा था कि अशोक की लाट लगा कर धरना देने की अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। तब माननीय ऐरी जी ने भी इससे सहमति जताई थी। हमें इन्हें प्रेरित नहीं करना चाहिए। इनकी 3–4 बैठकें माननीय वन मंत्री जी के साथ हो चुकी हैं। सदन के मध्य हम इतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं और अचानक हम कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं। दैनिक वेतन भोगी हैं, वर्कचार्ज कर्मी हैं, उनके बारे में हम निर्णय ले रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के लोग हमारे पास आते हैं कि आप निर्णय ले लें, लेकिन मेरा कहना है कि हम पूरे उत्तरांचल के सन्दर्भ में निर्णय लेंगे। आज भी मेरे पास माननीय वन मंत्री जी आये थे कि बैठक कर ली जाये। मान्यवर, सरकार समाधान भी चाहती है, लेकिन आत्मदाह की धमकी देना उचित नहीं है। इसमें कभी–कभी लोग जल भी जाते हैं। लखनऊ और हल्द्वानी में लोग इसमें जल भी चुके हैं। बातचीत के जरिये उनकी समस्या का हल निकाला जायेगा लेकिन यह प्रेशर टैक्टिक्स उचित नहीं है।

माननीय मुख्यमंत्री जी इसका पर्सनल नोटिस ले रहे हैं, प्रशासन प्रयास कर रहा है कि वे जीवित भी रहें और नीचे उतर भी आएं। पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा लम्बा अनुभव रहा है। 42 वर्ष तक शिक्षा के क्षेत्र में मैंने काम किया है। शत–प्रतिशत पदोन्नति कभी भी नहीं हुई है। मैंने इसके लिए शिक्षा मंत्री जी को टेलीफोन पर बधाई दी। उत्तर प्रदेश के जमाने में भी कमीशन से प्रिंसिपलों का चयन नहीं हो पाता था। हमारे यहाँ शत–प्रतिशत प्रमोशन के द्वारा उत्साह का वातावरण बना है। यह छोटा कदम दिख सकता है। लेकिन यह छोटा कदम नहीं है यह एक ऐतिहासिक कदम है। जितने भी प्राईवेट विद्यालय दबाव बना रहे हैं उनका प्रान्तीयकरण किया जा रहा है। मुझे याद है, जब मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में थी तो वहाँ पर माननीय नित्यानन्द स्वामी जी हमारे सभापति थे, उनके

सामने 15–20 दिन लगातार प्रान्तीयकरण के लिए बैठे रहे। लेकिन वहां पर कुछ नहीं हो पाया। लेकिन हमारी सरकार ने कहा और किया कि जो भी विद्यालय प्रान्तीयकृत होंगे, उन्हें ग्रांटइनरेट के आधार पर ही नियुक्ति दी जायेगी। अभी इसके लिए कई लोग आते हैं और हरिद्वार से तो शत प्रतिशत आ रहे हैं। हमारी सरकार ने इस पर कहा कि ग्रांटइनरेट पर ही निर्णय लिये जायेंगे और यह किया गया। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब हम लोग थे तो सीनियरटी के आधार पर एक ही विद्यालय को ग्रांटइनरेट मिलता था। ग्रांटइनरेट का अर्थ है कि सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी और प्रान्तीयकरण का अर्थ है कि विद्यालय भवन आदि से लेकर सब कुछ सरकारी हो गया।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा था कि एक्सीलेंस इन एजुकेशन भी मेरा मिशन होगा। इसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि ऊर्जा प्रदेश बनायेंगे तो ऊर्जा प्रदेश बनाने का हमारा सपना पूरा हो रहा है। हमारे पड़ोसी राज्यों की ओर देखें तो हरियाणा में 3 घण्टे और उत्तर प्रदेश में 2 घण्टे ही बिजली आ पा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय शीला दीक्षित जी जब भी मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलती हैं तो वह पूछती हैं कि तुम लोग हमें कब बिजली देने वाले हो, तो हमें गर्व होता है। पंजाब के मुख्यमंत्री जी द्वारा भी यही बात कही जाती है, इनमें से कई लोगों के घर भी यहीं पर हैं। अभी हरियाणा के बिजली मंत्री जी माननीय मोती लाल बोरा जी के कार्यालय में कई घंटे मिलने के लिए बैठे रहे और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपके प्रदेश में पावर स्टेशन बनाना चाहते हैं तो मैंने कहा कि आपका स्वागत है। इस प्रकार से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के कुशल दिशा निर्देशों पर हम ऊर्जा प्रदेश की ओर अग्रसर हैं और जब माननीय तिवारी जी यहां मुख्यमंत्री बनकर आये तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पावर स्टेशन जाना चाहता हूँ और वह सबसे पहले पावर स्टेशन भी गये। माननीय मुख्यमंत्री जी को बिजली के बारे में बहुत जानकारी है। वर्ष 1974 में जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बिजली विभाग को अपने पास ही रखा था, तो उनके पास तो इस क्षेत्र की बहुत ज्यादा जानकारी है आज उन्हीं के प्रयासों से और मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम ऊर्जा प्रदेश बनाने जा रहे हैं। और वर्ष 2007 में हमारा राज्य ऊर्जा प्रदेश बन जायेगा। ऊर्जा प्रदेश का अर्थ है सरप्लस बिजली, जिसे हम अपने पड़ोसी राज्यों को बेच सकेंगे। ग्रिड का कार्य अभी तो उत्तर प्रदेश के ही पास है लेकिन इसी वर्ष में ग्रिड बिजली को ऑन ऑफ करने की जो पावर है वह हमारे पास आ जायेगी। इस क्षेत्र में हम 2006 में ही आत्मनिर्भर हो जायेंगे और वर्ष 2007 में हम बिजली बेचने की स्थिति में होंगे।

मान्यवर, पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री या मंत्रीगण माननीय मुख्यमंत्री जी से बिजली के लिए अनुरोध करते ही होंगे और जब वे लोग मुझसे भी इस बारे में कहते हैं तो मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है। देखिए इतिहास को तो याद करना ही होता है और यहां पर इतिहास साक्षी है कि उत्तरांचल आज ऊर्जा प्रदेश बन रहा है। जब हरियाणा और पंजाब जैसे समृद्ध राज्यों के मुख्यमंत्री और दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी है, वहाँ के मंत्रीगण हमसे बिजली खरीदने के लिए उत्सुक हैं तो यह एक गर्व की बात है। आज टिहरी बाँध भी बन गया है और वहाँ पर टरबाइन भी चालू हो गई है, देखते

ही देखते यह योजना प्रारम्भ भी हो गई. मैं तो इसे वर्ष 1974–75 में देखने गई थी, जब इसे रशिया से 100 करोड़ की ग्रांट मिली थी बाद में रशिया टूट गया तो यह बन्द हो गई थी। हाँ यह सही है कि विस्थापन का दर्द है। हम उनके इस दर्द में साझीदार नहीं हो सकते हैं, यह सही है कि जिस जगह पर व्यक्ति का बचपन और जवानी गुजरी है, उससे उसका भावनात्मक लगाव होता है, लेकिन यह यथार्थ है और इसे स्वीकार करना ही होता है। इस प्रकार से जब टिहरी में विद्युत का उत्पादन होगा तो हमारा प्रदेश भी उसमें 12.5 प्रतिशत का हिस्सेदार होगा।

मान्यवर, मनेरी भाली परियोजना हम लोग उत्तर प्रदेश के साथ क्यों नहीं चला पाए ? जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे मनेरी भाली फेज–2 पहुँचे और कहा यह परियोजना चलेगी। इसके अलावा यह भी कहा कि कोई भी परियोजना बन्द नहीं होगी। जापान और कोरिया से जो एक्सपर्ट यहाँ पर आये थे, जिन्होंने धौलीगंगा परियोजना बनायी थी। उनसे इस काम को पूरा कराया। हम देश को ऊर्जा प्रदेश बनाना चाहते हैं। जब हमारे यहाँ सरप्लस बिजली होगी तो हम अन्य राज्यों को देंगे। इससे हमारी आय बढ़ेगी। हमने ऊर्जा प्रदेश का नारा दिया है। हम 2006 में आत्म निर्भर हो जायेंगे। ग्रिड हमारे हाथ में आ जाएगी। अभी हम 18 से 20 घण्टे बिजली दे पा रहे हैं। लेकिन हम 24 घण्टे बिजली देने के लिए कमिटेड हैं। अभी मैंने जानकारी ली कि टिहरी में कितने घण्टे बिजली आ रही है तो मुझे बताया गया कि वहाँ पर 24 घण्टे बिजली आ रही है। मैंने पूछा कि वहाँ पर बिजली जा रही है तो पता चला कि वहाँ पर बिजली नहीं जाती है क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है। अभी हम सब जगह 24 घण्टे बिजली देने का दावा नहीं कर रहे हैं लेकिन 24 घण्टे बिजली देने के लिए हम कमिटेड हैं।

माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य माननीय सदस्य जब 4–6 महीने बाद अपने क्षेत्रों में जायेंगे तो हम आत्मनिर्भर हो चुके होंगे और सब जगह 24 घण्टे बिजली मिल रही होगी। अभी यह दिक्कत आती है कि पानी नहीं बरसा, बर्फ नहीं गिरी इसलिए पानी का स्तर कम हो गया या पानी में सिल्ट आ गयी जिसके कारण कम बिजली पैदा हो रही है। यह कह कर हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हम गैस प्रायोजित बिजली बनाएंगे, कोयले से बिजली बनाएंगे। हमारी एक उच्च स्तरीय कमेटी इस सम्बन्ध में विचार कर रही कि पानी कम बरसने, बर्फ न गिरने या पानी में सिल्ट आ जाने के बाद भी कैसे बिजली का उत्पादन हो और हम 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति कर सकें। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर भारत में उत्तरांचल ही एक ऐसा राज्य है जो 18 से 20 घण्टे बिजली दे रहा है। आज तमाम उद्योगपति उत्तरांचल में आ रहे हैं। यह केवल इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम एक्साइज में छूट दे रहे हैं। ये लोग इसलिए आ रहे हैं कि इनको पता है कि हम 24 घण्टे बिजली इनको उपलब्ध करा सकते हैं। इन लोगों का कहना है हम इस सम्भावना से इस प्रदेश में आए हैं कि हमको 24 घण्टे बिजली मिलेगी और यहाँ के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी उद्योगों के प्रति संवेदनशील हैं। मान्यवर, देश के बड़े–बड़े उद्योगपति आज हमारे सम्पर्क में हैं। टाटा ग्रुप यहाँ पर आया। उन्होंने सब राज्यों में जाकर यह देखा कि हम अपनी छोटी गाड़ी कहाँ पर बना सकते

है। टाटा हो या बिड़ला सबने उत्तर भारत के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में जाकर देख लिया लेकिन उनको लगा कि केवल उत्तरांचल में ही हमको 24 घण्टे बिजली मिल सकती है। या तो फिर वे दक्षिण भारत के राज्यों में जाएं। वहाँ पर बिजली की क्या स्थिति है, इसके आँकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं। लेकिन चेन्नई में बिजली की हालत बहुत खराब है। वहाँ पर पानी की स्थिति भी खराब है।

आज उत्तरांचल में समृद्धि की महक उड़ रही है। माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी, आज हम समृद्धि की सुगन्ध सूँघ रहे हैं। हमारे कई प्रवासी भारतीय विदेशों में रह रहे हैं। मुझे कई माननीय सदस्यों के साथ विदेश जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश तो नहीं जा पाए लेकिन पड़ोसी राज्य में जाकर उन्होंने प्रवासी भारतीयों से बात की। मान्यवर, हल्द्वानी के एक प्रवासी न्यूयार्क में डाक्टर हैं। वह माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से मिलने गए। उन्होंने मुझे एक सी०डी० दिखाई और बताया कि कैंसर का इलाज बिना सर्जरी के सम्भव है। मैं डाक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन सी०डी० देख कर मुझे लगा कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज बिना सर्जरी के हो सकता है। यह सब कैसे हुआ, यह तो एक्सपर्ट देखेंगे। कैंसर जैसी बीमारी और डायलिसिस जैसी बीमारी के शिकार लोगों को बहुत मदद मिलेगी। श्री पाण्डेय जी वहीं के ही रहने वाले हैं। उनके बहनोई सी०एम०ओ०, हल्द्वानी हैं। तो मान्यवर, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, बस आपका सहयोग, स्वर्ग की इच्छा शक्ति और धन की आवश्यकता की बात है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ पर एक लाख पच्चीस हजार वजीफा दिया जा रहा है, वजीफा न करके शुल्क ही 25 हजार कर दिया जाए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें कुछ तकनीकी दिक्कत भी है। यह वन निगम के अधीन है, हमने इसे वन निगम की ही सम्पत्ति पर बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे पुनर्जीवित किया है। वन निगम का भी प्रेशर था, वित्तीय दबाव भी था। फिर भी वहाँ पर गरीब से गरीब लोगों का इलाज हो रहा है। आज कैंसर का इलाज और डायलिसिस के शिकार लोगों का इलाज बहुत महँगा है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सस्ते और अच्छे इलाज की सुविधा यहाँ उपलब्ध हो। माननीय भुफाल जी ने अभी कहा कि सड़कें नहीं बन रही हैं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। मैं सड़कों का नाम नहीं लूँगी। मन्दिर दर्शन के लिए मैं स्वयं चौखू गई थी। मैंने वहाँ के निवासियों से पूछा भी था, उन्होंने एक जो वहाँ पर पुल बन रहा था, उसको और आगे तक बढ़ाने की बात कही। उस वक्त आप भी मेरे साथ थे। यह सड़क नाचनी तक आ रही है। इसका मैं शीघ्र ही जी०ओ० निकालने वाली हूँ।

पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण में कठिनाइयाँ तो होती ही हैं। जो सड़कें मंजूर हो रही हैं उसका पैसा हम दे रहे हैं। मान्यवर, यह सवाल उठाया जाता है कि छोटे ठेकेदारों को यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है आप हल्द्वानी जायें वहाँ पर देखें तो आपको पता चल जायेगा कि 60 प्रतिशत सड़कों का निर्माण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वे छोटे ठेकेदारों को दी गई थीं। छोटे ठेकेदारों ने साल भर तो सड़कें बनाई नहीं अब वे बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो अब सड़क निर्माण की सभी चीजें महँगी हो गई हैं। बिटुमिन महँगा हो गया है, सीमेन्ट महँगा हो गया है और रेता भी महँगा हो गया है। छोटे ठेकेदार हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं होती है। किन्तु फिर भी हमने उन्हें काली सूची में नहीं डाला है। हमने उन छोटे ठेकेदारों से कहा कि आप सरेण्डर कर दीजिए। यदि सरेण्डर नहीं करेंगे तो फाईन पड़ेगा। बहुत से सरेण्डर कर भी रहे हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं.....

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मैं अब नहीं सुनना चाहती हूँ, पहले मेरी बात सुन लें। आई एम नॉट शील्डिंग मान्यवर, आपको जवाब सुनना पड़ेगा। मैं शील्ड नहीं कर रही हूँ। मान्यवर, 75 प्रतिशत काम छोटे ठेकेदार कर रहे हैं, केवल 25 प्रतिशत काम बड़े ठेकेदार कर रहे हैं। यह कार्य हॉटमिक्स पर है, क्योंकि देहरादून में जो सड़कें बन रही हैं, इनको कौन बनायेगा ? मान्यवर, क्या छोटे ठेकेदार रात के अंधेरे में सड़क को खोदकर सुबह तक इस सड़क को बना सकते हैं। मान्यवर, हमारे पास टिहरी जनपद के घनसाली क्षेत्र के कुछ लोग आये थे। उन्होंने कहा जो यह सड़क है, इसको छोटे–छोटे ठेकेदारों में बाँट दिया जाय, यह सड़क पाँच करोड़ की है, जिसमें मिट्टी पड़ गयी है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, वह ठीक कर रहे हैं, इन्हीं को यह काम दिया जाय। मान्यवर, जहाँ तक बिलो टेण्डर की बात है तो 22 प्रतिशत से बिलो वाले स्वीकार नहीं होंगे तो सभी बिलो टेण्डर डालेंगे। मान्यवर, जितनी बातें आप द्वारा कही गयी हैं, मैं उनका सबका उत्तर दे रही हूँ। आप गम्भीरता से सुनें। मान्यवर, जहाँ तक सड़क का सवाल है। मैं 1974 से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सदस्या रही हूँ। मान्यवर, हल्द्वानी के बारे में बताना चाहती हूँ कि माननीय सदस्य भी यहाँ से विधान सभा के सदस्य रहे हैं, यहाँ पर सड़कों की क्या प्रगति है, इसको भी सभी ने देखा है। मान्यवर, मैं तीन दिन की टिहरी यात्रा में रही। यहाँ पर 422 करोड़ की सड़कें बन रही हैं। मान्यवर, हर डिवीजन का पैसा 300, 350, 400 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है।

मान्यवर, हॉटमिक्स का कार्य माननीय कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में भी कराया जा रहा है। अल्मोड़ा–पिथौरागढ़ मार्ग बनाया है। मान्यवर, यह सड़क की प्रगति है, उत्तरांचल

में कर्मचारियों की कमी होने के बावजूद भी यह प्रगति हुई है, जितनी सड़कें बनायी जा रही हैं, यह इतिहास में लिखी जायेंगी, यदि इतिहास कोई लिखने वाला हो तो "न भूतो न भविष्यो।" मान्यवर, जहाँ तक छोटे ठेकेदारों का सवाल है। उत्तरांचल में जो 75 प्रतिशत सड़कें बन रही हैं, इनमें से ठेकेदार काम कर रहे हैं, इनकी गुणवत्ता प्रभावित है। मान्यवर, रुद्रपुर तराई क्षेत्र में गुणवत्ता प्रभावित है। मान्यवर, विलो रेट पर कार्य नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इससे गुणवत्ता प्रभावित होती है।

मान्यवर, इसकी खोज कैसे होगी, हमने विश्लेषण कर लिया, टेण्डर के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। मान्यवर, केवल 20–22 प्रतिशत कार्य हॉट मिक्स से हो रहा है, इसलिए यह स्लोगन कहा। मान्यवर, भरी सभा में भाषण दिया, जनता से ताली मिली तो मैंने समझा कि जनता साथ है। मान्यवर, आपके क्षेत्र में भी गई और बहुत से मित्रों के क्षेत्र में मैं गई, उनका बड़प्पन है कि आदर करते हैं। मान्यवर, बिना भेदभाव सड़क दी, हमने टिहरी में एहसान नहीं किया, हमने कहा कि यह ऐसा नगर है कि लोगों में निराशा है तो कम से कम सड़क से कुछ आराम मिले। मान्यवर, हमने कहा कि झूला पुलों को जोड़ दिया जाए। मान्यवर, देहरादून में सौन्दर्यीकरण के कार्य के लिए फौव्वारे लगे अर्थात सौन्दर्यीकरण का कार्य भी हो रहा है। मान्यवर, आपने स्वास्थ्य के बारे में कहा, आपने दून चिकित्सालय की तारीफ की, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्पेशलिस्ट के जरिये कुछ हॉस्पिटल हमने नामित किये, तो नैनीताल से देहरादून दूर नहीं है तो वहाँ स्पेशलिस्ट के जरिये अपना इलाज करा सकें, तो उस दिशा में भी कार्य किया। मान्यवर, हार्टीकल्चर के बारे में, बॉयो टेक्नोलॉजी के बारे में कहा तो नवम्बर, 2006 में विश्व प्रसिद्ध कम्पनी के साथ जो पंत नगर से मिलता है, वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध पार्क बन रहा है, उसमें विश्व प्रसिद्ध एक्सपर्ट कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, यह चुनाव की रणनीति नहीं है, यदि हम अपने बच्चों को इक्कीसवी सदी में रखना चाहते हैं तो यह करना चाहिए। मान्यवर, बायो टेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर से गन्ना हो रहा है। मान्यवर, जसपुर के फूल फ्रांस भेज रहे हैं और अच्छी कीमत भी मिली है, इन्होंने अपनी आमदनी भी माननीय मुख्यमंत्री को बतायी। मान्यवर, ऐसे अकेले काश्तकार नहीं हैं, काशीपुर में भी काश्तकार हैं, उद्योगपति हैं। मान्यवर, टिश्यू कल्चर के माध्यम से पाँच नाले में या एक बीघा में लगा सकते हैं।

मान्यवर, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के अन्तर्गत ऋण है और उसमें स्वरोजगार योजना की व्यवस्था है, हमारी योजना में कमी है जो घर तक नहीं पहुँच पा रहा है। मान्यवर, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना में पैसा भी दिया, 20 प्रतिशत अनुदान भी दे दिया। मान्यवर, पर्यटन विभाग में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया चाहे वह परांठे बेचे चाहे वह रायता बेचे, इस प्रकार एक रास्ता खोला गया है। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली से लेकर सरकारी सेवाओं में डाक्टरों की नियुक्ति हुई है, इंजीनियरों की नियुक्ति हुई है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं रहा जिसमें नियुक्ति नहीं हुई होगी। मेरा दावा है कि उत्तरांचल की गवर्नमेन्ट में श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में इतनी नौकरियाँ दी कि इससे पूर्व किसी ने नहीं दी। (मेजों की थपथपाहट)। हमने इतने इन्स्टिट्यूशन खोले, स्वरोजगार दिया, ऋण दिया, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम

घोषणायें की हैं। जिस ढंग से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान्ट, छात्रवृत्ति को दुगुना किया, महिला विधवा पेंशन बढ़ायी और नवें दर्जे के छात्राओं को तीन हजार छात्रवृत्ति दी जायेगी। यह पूर्ण रूप में अप्रैल से लागू हो जायेगा जो पात्र व्यक्ति होंगे, उन्हें दिया जायेगा। कुछ चीजें भारत सरकार के अधीन होती हैं जैसे सर्वे में बी0पी0एल0 कार्ड बनाना, हमारा दावा है कि बी0पी0एल0 कार्ड ज्यादा बनें, इससे गरीब व्यक्ति को लाभ पहुँचेगा, यह मुख्यमंत्री जी का भरोसा है। मान्यवर, डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ायी गई और 1219 प्रवक्ताओं की नियुक्ति लोक सेवा आयोग से की गई और 383 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति की गई है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, किसी को पेंशन नहीं मिलती है। आप यह घोषणा कर दें कि जितने भी 60 साल से ऊपर हैं, उनको पेंशन दे दी जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो पेंशन के लिए अर्ह हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जायेगा। आप कागज लायें कि किसको नहीं दी गई। (व्यवधान)

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, सारे कागज नहीं आ सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठिये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अगर आप कागज देंगे तो डी0एम0 से सूची मंगा ली जायेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें। आप बैठिये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जिन कमियों की ओर आप इंगित कर रहे हैं, हो सकता है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, मेरा एक प्रस्ताव है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में तो आपने इस पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की। अगर उसमें आपने चिंता जताई होती तो हम आँकड़े लेकर आते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नये भाषण में सबसे ज्यादा जोर समाज कल्याण विभाग पर दिया है। यदि आपको लगता है कि समाज कल्याण अधिकारी जिला स्तर पर ....(व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इतना जोर क्यों देना पड़ रहा है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सरकार तो जवाब देगी ही, आप बेचैन क्यों हो रहे हैं। जब आप जोर देकर पूछेंगे तो सरकार जोर देकर ही जवाब देगी। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हम महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपने संशोधनों पर विचार कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी कह दे कि हम इन्हें रख रहे हैं या नहीं। आपने इतनी बातें कह दीं। (व्यवधान) मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि टिहरी बाँध अगर चालू हुआ है तो वह माननीय भगत सिंह कोश्यारी की देन है, मनेरी भाली परियोजना भी माननीय कोश्यारी जी की ही देन है। (भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) (घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यदि आपको इनकी ही देन बताना था तो अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बताते। मान्यवर, मनेरी भाली परियोजना बंद पड़ी हुई थी, उसे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने खुलवाया है। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) देखिये आप इतिहास के पन्नों में। (घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इसकी जाँच करायी जाये। (घोर व्यवधान)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, टिहरी डैम का शिलान्यास भी कांग्रेस सरकार ने ही किया था और उसका चक्का भी कांग्रेस सरकार ने ही चलाया है। कोश्यारी जी भले ही मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन टिहरी डैम कांग्रेस की देन है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

आप लोग सत्य को स्वीकार करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें। माननीय महेन्द्र भट्ट जी आप कृपया बैठें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने प्रश्न किया था, जलकर के बारे में, तो वह उत्तर प्रदेश के नियमों के अनुरूप आज भी 12.5 प्रतिशत ही जलकर के रूप में लिया जा रहा है। जहाँ तक सीवर व्यवस्था की बात है तो जो भाषित मूल्य है, उसी के अनुसार 3 प्रतिशत लिया जा रहा है।

श्री हरबंश कपूर–

मान्यवर, सीवर टैक्स तो ठीक है, पर आप जो 15 रुपया पर सीट के सीवर टैक्स सीट का ले रहे हैं वह क्या है ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। इस मामले पर माननीय वन एवं पर्यावरण तथा शहरी विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो इन तमाम बिन्दुओं पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नहीं बल्कि उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में इसका मूल्यांकन कर रही है और इस रिपोर्ट को जल्दी ही कैबिनेट की सब कमेटी में रखा जायेगा।

आपने रज्जु मार्गों को बनाये जाने की बात कही है तो इसके लिए हमने 2007 से 2012 तक इन रज्जु मार्गों को बनाने का लक्ष्य रखा है और अगले चुनावी घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया जायेगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, रज्जु मार्गों के लिए हमने अगले साल का लक्ष्य रखा है और कहा है कि अगला साल रज्जु मार्गों के लिए होगा। क्योंकि अभी तो हमने रज्जु मार्गों के प्रस्ताव पर विचार किया है और इसे टैक्निकल शेप में आने में 2 साल तो लगेंगे ही।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, एक रज्जु मार्ग राजपुर से मसूरी का था जो पेंडिंग ही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ, वह पेंडिंग ही था, आप जब सरकार में आये तो आप तो बना नहीं पाये, लेकिन हम आपको देहरादून से मसूरी रज्जु मार्ग से भेजेंगे और हल्द्वानी से नैनीताल की तालों तक भी रज्जु मार्ग से ही ले जायेंगे। टिहरी डैम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की बात भी आपने कही है तो इसके लिए सभी पहलुओं को देखते हुए, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तमाम एक्सपर्ट्स की राय से एक मास्टर प्लान तैयार करवाया गया है और यू टैक के माध्यम से इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जल क्रीड़ा और ट्रैकिंग के लिए हमने प्रयास किये और मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इसके लिए हमें 5 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। आपने कहा कि बी0पी0एल0 कार्ड लोगों को नहीं मिल रहे हैं। कुछ के पेंडिंग हैं तो यह मामला उच्चतम न्यायालय में भी विचाराधीन है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही इसका कोई समाधान निकले।

अंत्योदय योजना के अन्दर कहा गया है कि जनपद अल्मोड़ा में राशन कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूँगी कि 37345 सफेद अंत्योदय कार्ड और 11955 गुलाबी अंत्योदय राशन कार्ड अल्मोड़ा में जारी कर दिये गये हैं।

मान्यवर, यह सूचना सत्य से परे है। सभी जनपदों में खाद्यान्न उपलब्ध है। इसमें डिटेल दी है, आप कहें तो मैं बता देती हूँ। आपने कहा कि मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कालाबाजारी की जा रही है। मान्यवर, मैं जानकारी दे दूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर रसोई गैस की दिक्कत आयी थी। भारत सरकार का एक संयंत्र फेल हो गया था। किन्तु अब रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है जब रसोई गैस की आपूर्ति कम हो रही थी तो कुछ लोगों द्वारा इसकी कालाबाजारी करने का प्रयास किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में कई जगहों पर छापे भी मारे गये और तमाम लोगों को पकड़ा भी गया। होटलों में कई लोगों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की गयी। कई केस दर्ज किए गये। यदि आप कहेंगे तो मैं उनके बारे में भी बता दूँगी। जहाँ तक मिट्टी के तेल और चीनी की बात है। यदि किसी भी राशन की दुकान में मिट्टी का तेल नहीं दिया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपने कहा कि मोटर मार्गों में डामरीकरण घटिया हो रहा है। जहाँ भी इस तरह की शिकायत आती है वहाँ पर जाँच की जाती है और दोषियों को दण्डित किया जाता है। अकेले पी0डब्लू0डी0 में 85 लोगों को सस्पेंड किया गया है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी को एक पत्र लिखा कि जिन सड़कों का डामरीकरण हो रहा है, वह घटिया किस्म का हो रहा है। 4–5 सड़कों के बारे में मैंने लिखा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने सड़कों के नाम नहीं लिखे हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैंने सड़कों के नाम लिखे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी जाँच करायी जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने जिन सड़कों के बारे में लिखा है, उनकी जाँच करायी जाएगी। दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाएगा और सड़कों को सुधारा जाएगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरी एक प्रार्थना है, आप सरकार में हैं। जो भी अव्यवस्था होती है, उसके लिए हम आप ही से तो कहेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे पर्वतीय जनपदों में मिट्टी का तेल नहीं पहुँच रहा है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कोई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप एक ही विषय को बार–बार उठा रहे हैं। जहाँ पर मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, आप उसकी जानकारी दें। आपकी सूचना को सत्य मानते हुए जाँच की जाएगी। उसको प्रभावित भी नहीं किया जाएगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने कहा है तो हम इसको गम्भीरता से ले रहे हैं। इसकी जाँच करायी जाएगी। जहाँ पर मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अमीनों के बारे में अभी नियम 58 की सूचना पर चर्चा के दौरान बात आ गयी। राजस्व विभाग की चकबन्दी के बारे में कहना चाहती हूँ कि कुछ जगह तो चकबन्दी हो चुकी है लेकिन कुछ जगह यह बन्द हो गयी है। तहसीलों के बारे में आपने कहा कि तहसीलों में आदमी नहीं हैं, कर्मचारी नहीं हैं। हमारे पास जो सूचना है, उसके आधार पर बताना चाहती हूँ कि 29 तहसीलों में 452 पदों के सृजन हेतु 28 जनवरी 2005 को आदेश कर दिया गया था। (व्यवधान) क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं? आपने जो मुद्दे संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से उठाऐ हैं, मैं उन्हीं का उत्तर दे रही हूँ।

मान्यवर, मैं आपके संशोधन का ही उत्तर दे रही हूँ। आपको यह अधिकार हर समय है आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं। आप सूचना दीजिए कि हमारी तहसील में नहीं आ रहे हैं। हम कार्यवाई करेंगे। मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके आधार पर मैं जानकारी दे रही हूँ। मान्यवर, एक बात सदन में यह भी आई कि टिहरी गढ़वाल के सम्पूर्ण जिले को पिछड़ा घोषित किया जाए। मान्यवर, हमने उत्तरांचल में किसी जनपद को पिछड़ा घोषित नहीं किया है। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त कई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया है। उसके अन्तर्गत कोकलिया, थारू, बुक्सा, राय, सिक्ख आदि जातियाँ हैं। शासन स्तर पर पिछड़ा घोषित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास करना पड़ता है उसके उपरान्त परीक्षण किया जाता है। इसके सम्बन्ध में भारत का संविधान है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपने प्रतापनगर को पिछड़ा घोषित किया है। सरकार फर्जी आकड़े दे रही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पुलों के निर्माण के कार्य को घटिया स्तर का बताया गया है। जहाँ कहीं भी आप द्वारा घटिया निर्माण की जानकारी दी जायेगी हम उसका परीक्षण करेंगे और समुचित कार्यवाही करेंगे। निर्माण कार्यों की उच्च गुणवत्ता रखने के लिए कठोर

निर्देश दिये गये हैं। यदि सही कार्य नहीं किया गया तो कार्रवाई भी होगी और अधिकारियों से रिकवरी भी की जायेगी। जनपद रुद्रप्रयाग के खोपरा में शीतगृह निर्माण का प्रस्ताव होने पर सरकार द्वारा प्रयास किया जायेगा। बागवानी और चाय उत्पादन के लिए भी वित्त पोषण के माध्यम से किया जा सकता है। मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में और माओवादी समस्या के बारे में बहुत जिक्र किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सीमाओं पर चौकसी रखे जाने की आवश्यकता को देखते हुए इस वर्ष पुलिस बल के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में नई माँग से 19 थानों का उच्चीकरण, जल पुलिस के पदों की व्यवस्था तथा लगभग 106 रिपोर्टिंग पुलिस चौकी जो अस्थाई रूप से खोली गयी थी, को स्थाई किया जा रहा है। पुलिस बल के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की आवश्यकता को देखते हुए पुलिस विभाग के बजट में गत वर्ष की तुलना में 37 करोड़ की वृद्धि की गयी है। इंडिया रिजर्व वाहिनी का भी गठन किया गया है।

मान्यवर, पुनर्वास योजना के अन्तर्गत 381 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गयी है, इसके अन्तर्गत 784 परिवारों को रेखांकित किया गया है, शेष 572 परिवारों को भूमि आवंटित की जा रही है। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष यदि किसी आधी अधूरी परियोजनाओं की जानकारी सरकार के संज्ञान में लाते हैं तो सरकार उन पर विचार करेगी। मान्यवर, मनेरीभाली का नाम यहाँ पर आया, यह योजना वर्ष 2008 में पूर्ण हो जायेगी। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना पर पुनः कार्य करने की व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, लो वोल्टेज की समस्या का निस्तारण काफी हद तक दूर कर दिया गया है, फिर भी जहाँ पर लो वोल्टेज की समस्या आये दिन रहती है, वहाँ पर यह व्यवस्था ठीक करने के आदेश दिये गये हैं। मान्यवर, फिर भी कुछ क्षेत्रों में ग्रिड के फेल हो जाने से यह समस्या आ जाती है। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा काफी हद तक इस समस्या का निराकरण किया गया है।

मान्यवर, सरकार ने पाँच वर्ष में तीन हजार मेगावाट बिजली पैदा की और विभिन्न सेक्टरों के माध्यम से लगभग 13 हजार मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं विभिन्न स्तरों पर हैं, जो लगभग 1900 मेगावाट का उत्पादन कर रही हैं। मान्यवर, रोजगार के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने काफी कार्य किये हैं। पिछले वर्ष की नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के आदेश दिये हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पदों को निर्धारित कोटे के अनुसार भरे जाने के आदेश सरकार द्वारा दिये गये हैं। मान्यवर, जहाँ तक स्थाई निवास प्रमाण–पत्र और मूल निवास प्रमाण–पत्र की बात है तो इसमें अन्तर है, इस ओर जिलाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे इस पर किसी प्रकार का आदेश न दें। मान्यवर, मूल निवास प्रमाण–पत्र और स्थाई निवास प्रमाण–पत्र एक ही नहीं है, इनमें अन्तर है। मान्यवर, सचिवालय कर्मचारियों के आवास लगातार बन रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सचिवालय के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए आवास बन रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भी आवास बनाये जा रहे हैं, जोकि हमारे साथ लगातार कार्यवाही संचालित करते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भी आवास की व्यवस्था है। वर्तमान में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा श्रेणी 3 व 4 के कर्मचारियों के लिए केदारपुरम में लगभग 102 आवास बनाये हैं, ये आवास प्रगति पर हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, क्या यह आवास विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी मिलेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, केदारपुरम में सचिवालय के लोगों को ही आवास मिलेंगे। विधान सभा सचिवालय में जो लोग कार्य करते हैं, वे सचिवालय के कर्मचारी ही हैं। मान्यवर, जहाँ तक विधान सभा की बात है तो इसमें हर अधिकार क्षेत्र माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के पास है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आवास आवंटन का कार्य तो राज्य सम्पत्ति विभाग करता है।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो लोग हम लोगों के साथ काम करते हैं, जो सचिवालय के कर्मचारी हैं उन्हीं को मिल रहा है। मान्यवर, हमने मुद्दों पर प्रयास किया है हो सकता है कि कुछ बातें रह गई हों। मान्यवर, हमारे माननीय नेता बसपा कह रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है। मान्यवर, पेट्रोल और डीजल का दाम जब दुनिया में बढ़ता है तो सब चीजों में महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल और डीजल में सरकार सबसिडी दे रही है, जिससे महंगाई नियंत्रित की जाए। मान्यवर, बी०पी०एल० लोगों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाए, सरकार की इस पर चिन्ता है और इस पर कार्यवाही की जाये।

श्री हरिदास–

मान्यवर, क्या 35 किलो से 70 किलो किया है ? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आयकर पर कोई टैक्स बजट पर नहीं लगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जो वैट पर लाये हैं इससे पहले नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह कहने की स्थिति में आप भी नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में वैट स्वीकार कर लिया।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 2 बातें कही थीं, मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था कि इस पर आप स्पष्टीकरण देंगे, मैंने नियम 56 में विषय उठाया था, उसमें एक अधिकारी के 2 जगह पर कार्यरत् रहने की बात थी और माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसको एक पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। मान्यवर, मेरी जानकारी है कि आज भी वह दोनों पदों पर कार्यरत है। दूसरी बात सब्जेक्टिव है मैंने माननीय मंत्री जी से कहा था, हमारे यहाँ सड़कों के निर्माण में विलम्ब हो रहा है। मान्यवर, उनका समय निर्धारित होता है और निर्धारित समय में भारत सरकार की अनापत्ति ले आते हैं तो हमारी सरकार क्यों अनापत्ति नहीं ले पाती है ? तो ऐसा कोई काम करें जिससे सड़क के निर्माण में तेजी आ जाए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, भारत सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि 2010 तक हमें प्रत्येक गाँव को सड़क से जोड़ना है और यह सड़क भी लोक निर्माण विभाग बना रही है। मान्यवर, दो में कुछ दिक्कत है लोक निर्माण विभाग नहीं ले पा रही है। अब रही राज्य सेक्टर की सड़क जो वन विभाग से सम्बन्धित है, पहली एन0पी0वी0 सुप्रीम कोर्ट में अटकी है, तो पुरानी एन0पी0वी0 हम जमा कर रहे हैं, हमारी साधन होने के कारण हमने पैसा नहीं जमा किया, इसलिए विलम्ब हुआ। मान्यवर, आप संज्ञान में लाये, पर्वतीय क्षेत्रों में जिस गति से कटान होना चाहिए उसमें और अधिक तीव्रता लाने की जरूरत है। मान्यवर, इसके लिए हमने मिस्टर भागुनी को नियुक्त किया है जो कि रिटायर हो चुके हैं और वे उस कार्य पर नजर रखेंगे, उनको प्रयोग के रूपमें रखा है।

मान्यवर, यह प्रयोग किया गया है दूसरी बात आपने कही थी किसी अधिकारी के बारे में, मैं इसका परीक्षण करा दूँगी।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हमारे तमाम साथियों ने प्रस्ताव का समर्थन किया वहीं दूसरी तरफ चीमा जी ने सीमा की चिन्ता की, पंत जी ने पूरे राज्य की चिन्ता की और कण्डारी जी ने कहा कि राज्य को बढ़ाने में हमारे साथ रहेंगे। हमारे बसपा के नेता विधान मण्डल दल ने परमानेंट सरकार के रूप में पहले ही कह दिया। इसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बात रह गई हो। मेरा प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि वह अपने संशोधनों को वापस ले लें।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2006 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, किसी शायर ने ठीक ही कहा है "खुदा जाने हमारी बरबादी में हाथ किसका है। देखने वाले सब आपका नाम लेते हैं।" इसी के साथ मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य माननीय सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन के प्रस्ताव रखे हैं उनसे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2006 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2006–2007 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि ऐसी परम्परा रही है उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी, माननीय अध्यक्ष जी ने ऐसी व्यवस्था दी है कि आज बजट पर सामान्य चर्चा हो, इस पर वित्त मंत्री को सदन में रहना चाहिए। यह व्यवस्था है, परम्परा है। अच्छा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ जायें हम चर्चा करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस समय चर्चा होगी मैं आ जाऊँगा। आप शुरूआत कर दीजिए वह आ जायेंगे। परम्परा का पालन करने में माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी इसका आदर करते हैं।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2006–2007 का बजट पेश किया है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि नियोजन विभाग के द्वारा सभी विभागों का नियोजन कर दिया गया होता तो यह बजट अच्छा होता। दूसरा मेरा निवेदन है। एक कार्यकारी दल होता है वर्किंग ग्रुप। हर राज्य में एक कार्यकारी दल होता है और यह विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों का दल होता है। मान्यवर, आज चार वर्ष हो गये हैं, लेकिन सरकार ने वर्किंग ग्रुप का गठन नहीं किया है। यह बजट उत्तरांचल की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2005 का अननुमोदन करता है।"

श्रीमन्, यह अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इसके कारणों के सम्बन्ध में इस अध्यादेश में जिक्र किया गया है; 19 नवम्बर, 2005 को महामहिम श्री राज्यपाल जी के माध्यम से यह कहते हुए कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है; यह कहते हुए यह अध्यादेश लाया गया है और इसमें जिन कारणों का उल्लेख किया गया है उसके सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्री जी विस्तार से इस विधेयक को रखते हुए इसके उद्देश्य एवं कारणों के सम्बन्ध में प्रकाश डालेंगे। लेकिन मेरी और प्रतिपक्ष के साथियों की महत्वपूर्ण आपत्ति यह है कि यह सरकार, जिन विषयों पर विधान सभा के माध्यम से चर्चा होनी चाहिए उन विषयों को अध्यादेश का सहारा लेकर उसको अधिनियमित करने का प्रयत्न करती रही है और कर रही है। चूँकि इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको अध्यादेश की शक्ल में लाया जा सकता हो। एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि इन चार वर्षों में और अब तो पाँचवा वर्ष भी प्रारम्भ हो गया है, आज की तिथि तक जितने भी विधेयक हैं वे सब के सब उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अभी कृषि मण्डी अधिनियम, 1964 को ही हम अपने यहाँ लागू किये हुए हैं। हमारी इस अननुमोदन के प्रस्ताव के माध्यम से यह माँग है कि सरकार इसका अननुमोदन करे और इसके बारे में विधेयक लेकर आये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी-अभी सूचना मिली है कि जो लोग टॉवर पर चढ़े हुए थे, वे उतर गये हैं।

कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, जब यह चुनाव हो रहे थे तो उस समय यह त्रुटि सामने आई कि इसमें प्राविधान था कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं उन्हें भी मतदान का अधिकार था इसके माध्यम से सरकारी अधिकारियों को चुनाव के अधिकार से वंचित किया गया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, हमारी यही आपत्ति है, यह सही है कि चूँकि आपके चुनाव हो रहे थे, इसी में हमारी आपत्ति है कि जब किसी विषय पर सरकार की गर्दन फंसती है तभी उसे यह सब याद आता है। हमारा कहना यह है कि क्यों हम उत्तर प्रदेश के ही अध्यादेशों को ढोते रहें। हमारा यह भी कहना है कि सरकार आज अध्यादेश और कानून बनाने की स्थिति में क्यों नहीं है ? हमारा हर विधेयक और अध्यादेश बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारा कहना यह है कि जो भी विधेयक बने वह उत्तरांचल का अपना विधेयक बने और यहाँ के परिप्रेक्ष्य में बने।

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, 1964 में यह कानून बना था और तब से अभी तक कोई भी चुनाव नहीं हुए थे। प्रतिपक्ष के सदस्यों को तो सरकार को बधाई देनी चाहिए कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करा कर इस त्रुटि को सुधारा है। इसमें सरकारी अधिकारियों को मतदान का अधिकार प्राप्त था, इसलिए इसमें संशोधन लाया है। क्योंकि मतदान के लिए जन प्रतिनिधि का अधिकार ही सर्वोच्च होता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपनी बात को यहाँ पर रख दिया है और कहा है कि यह अत्यावश्यक है, यदि अत्यावश्यक था तो इसे विधेयक के रूप में लाना चाहिए था। इसे संशोधन विधेयक के रूप में क्यों लाया जा रहा है ? अगर इसे लाना ही था तो उत्तरांचल के विधेयक के रूप में लाना चाहिए था।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, क्या आपके अनुसार एक नया विधेयक और लाना चाहिए ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हम नये विधेयक और उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में विधेयक लाने की बात कर रहे हैं कि उत्तरांचल राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ही विधेयक यहाँ पर आना चाहिए। क्योंकि उत्तरांचल में सब जगह तो मण्डी समितियाँ नहीं हैं। केवल तराई भावर के क्षेत्र में ही है तो इसे उत्तरांचल के पूरे क्षेत्र को देखते हुए और यहाँ की आवश्यकताओं को देखते हुए यह विधेयक लाया जाना चाहिए।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, इस पर नये विधेयक की तैयारी हो चुकी है, हम तो इसे इसी सत्र में लाना चाहते थे, लेकिन कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक नहीं हो सकी और इस पर उसमें विचार नहीं हो पाया, तो नहीं ला सके, सम्भवतः अगले सत्र में इसे लाया जायेगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यहाँ पर मंत्री जी ने भी कह दिया कि विधेयक लायेंगे तो हमारा कहना है कि अभी विधेयक लाकर और बाद में भी विधेयक ला कर आप सदन का समय क्यों बरबाद कर रहे हैं ?.......... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2006 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

(उत्तरांचल विधेयक संख्या......सन् 2006)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) का संशोधन

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में निम्नवत् संशोधन किये जायेंगे:–

धारा 13 की उपधारा (7) में शब्द 'समिति एवं रीति' के मध्य शब्द "के निर्वाचित सदस्य विहित" रख दिये जायेंगे।

(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2005 (अध्यादेश संख्या 04, वर्ष 2005) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन एवं व्यावृत्ति

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही समझी जायेगी।

खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2006

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, राज्य में 1–10–2005 से मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू कर दी गयी है एवं विभाग का नाम परिवर्तित कर वाणिज्य कर विभाग कर दिया गया है। अतः मूल अधिनियम में कतिपय संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। एतदर्थ विधेयक सदन के विचारार्थ पुरःस्थापित किया जा रहा है।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने विधेयक में कहा कि 1–10–2005 से मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू कर दी गयी है एवं विभाग का नाम परिवर्तित कर वाणिज्य कर विभाग कर दिया गया है। मान्यवर, इसके माध्यम में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इस अधिनियम की धारा 3, जिसमें कहा गया है कि "मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "व्यापार कर कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "कमिश्नर वाणिज्य कर" रख दिये जायेंगे।" श्रीमन्, मैं सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार ने जो मूल्य वर्धित कर विधेयक इस सम्मानित सदन में पारित किया, जिसके आधार पर यह अध्यादेश बना। उसकी धारा 80 में इस बात का प्राविधान है कि "उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे आगे निरसित अधिनियम कहा गया है) या, जैसी भी स्थिति हो, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 (जिसे आगे निरसित अध्यादेश कहा गया है) के अधीन कमिश्नर, ऐडीशनल कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2, ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिटेन्ट कमिश्नर या व्यापार कर अधिकारी ग्रेड–2 के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति या कमिश्नर की सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से ठीक पूर्व अपने पद पर बना हुआ था, ऐसी तारीख को और ऐसी तारीख से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा और इस रूप में अपने पद पर उस समय तक बना रहेगा जब तक कि वह वाणिज्य कर विभाग में ऐसे पद पर है और ऐसा अधिकारी इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और जारी अधिसूचनाओं के अधीन निहित अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।"

श्रीमन्, इसकी धारा 80 में यह प्राविधान है इस सम्मानित सदन ने इसे स्वीकार किया था। माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि इस विधेयक के संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी ? जब कि इसके निरसन की व्यवस्था विधेयक और इस अधिनियम में की गई थी। इसका अर्थ यह है कि 1–10–2005 के पूर्व जितनी भी व्यवस्थायें चल रही थीं वह इस विधेयक के आने से बदल जायेंगी। इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत जिस अधिनियम का जिक्र कर रहे हैं वह स्वतः निरसन हो गई। अब जब नई व्यवस्था चलाई जायेगी तो इसे सदन में दोबारा प्रस्तुत करने के लिए मैंने नेता प्रतिपक्ष की ओर से संशोधन प्रस्ताव रखे थे। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसे पहले प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मुझे नहीं मालूम कि आप इसका कौन सा अर्थ निकाल रहे हैं। इसका अब तक नाम व्यापार कर था वह नाम मात्र बदल दिया गया है। वैट की वजह से मूल

मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू कर दी गई है एवं विभाग का नाम परिवर्तित कर वाणिज्य कर विभाग कर दिया गया है। प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने से केवल समय की बर्बादी होगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2006

[विधेयक संख्या.......सन् 2006)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन हेतु,

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2006 है। — संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे आगे यहाँ मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ठ) में शब्द "जैसा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 2 के खण्ड (क क) में परिभाषित है" के स्थान पर शब्द "जैसा उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उपधारा (31) में परिभाषित है" रख दिये जायेंगे। — धारा 2 का संशोधन

धारा 3 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "व्यापार कर कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "कमिश्नर वाणिज्य कर" रख दिये जायेंगे।

मूल अधिनियम का संशोधन

4. मूल अधिनियम में जहाँ-जहाँ शब्द "उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948" आये हैं, के स्थान पर वहाँ-वहाँ शब्द "उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005" पढ़े जायेंगे।

खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 में अन्य बातों के साथ-साथ भू-राजस्व के किसी बकाया या भू-राजस्व के किसी बकाया के तौर पर वसूली योग्य रकम की वसूली के लिए प्रक्रिया की भी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शासनादेश संख्या 285/11/69 (दो-875)/राजस्व-7 दिनांक 30 अगस्त, 1974 द्वारा यह निर्देश दिया है कि वसूली प्रमाण-पत्र में कथित धनराशि के अतिरिक्त। मान्यवर, 10 प्रतिशत के बराबर संग्रह प्रभार की वसूली की जाये। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने रिट याचिका संख्या 29612/92 मैसर्स महालक्ष्मी शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में दिनांक 20 नवम्बर, 1998 को अपने आदेश द्वारा उक्त शासनादेश को मुख्यतः इस आधार पर अभिखण्डित कर दिया है कि उक्त अधिनियम और उत्तर प्रदेश राजस्व वसूली

नियमावली, 1996 में वसूली प्रमाण पत्र में कथित धनराशि के अतिरिक्त, संग्रह प्रभार की वसूली की व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-6192/99 दायर की। उच्चतम न्यायालय ने आवेदित अनुज्ञा को मंजूर करते समय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के प्रवर्तन पर रोक नहीं लगायी। अतएव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका को वापस ले लिया जाय। उत्तरांचल सरकार द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र में कथित धनराशि के दस प्रतिशत से अनधिक दर पर संग्रह प्रभार की वसूली की व्यवस्था करने और उक्त शासनादेश के अनुसरण में पहले से की गयी वसूली को विधिमान्य करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय। तदनुसार राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006 विचारार्थ पुरःस्थापित करती हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में जिस बात को सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह विधेयक हम क्यों लाये हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में 1974 में उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में एक रिट याचिका दायर हुई, यह याचिका किन कारणों से दायर हुई इसका सीधा प्रभाव उत्तरांचल में भी पड़ता है। मान्यवर, आये दिन दूरदराज अंचल के क्षेत्रों को देखते हुए दो हजार, चार हजार खर्च करने वाला गरीब जिसके पास खाने को दो जून की रोटी तक नहीं है। वह इस प्रताड़ना का शिकार होता है। मान्यवर, जिन लोगों ने बड़ा कर्ज लिया होता है, उन पर उपकर नहीं होता है, लेकिन दो हजार, तीन हजार, कर्ज लेने वाले व्यक्ति पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली राजस्व विभाग करता है। यदि यह वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में उसे 14 दिन तक जेल की सजा दी जाती है।

मान्यवर, इस बात को विधि मानते हुए यह सरकार इस विधेयक को लायी है। आखिर यह सरकार किस आधार पर कहती है कि वह गरीबों का साथ देने वाली सरकार है। मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है, सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि राजस्व विभाग जो 10 प्रतिशत अतिरिक्त ले रहा है, वह नाजायज है। यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कही है। मान्यवर, इसके साथ इस विधेयक में जिस बात का जिक्र है, वह है धारा 07, वह सबसे आपत्तिजनक है। यह धारा कहती है कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन किसी व्यतिक्रमी से मूल अधिनियम की धारा 3 या धारा 5 में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र में कथित रकम से अधिक वसूल किये गये। वसूली के खर्चे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन विधिमान्य रूप से वसूल किये गये समझे जायेंगे और व्यतिक्रमी ऐसे खर्च की वापसी का हकदार न होगा और यदि

ऐसे खर्चे इस प्रकार वसूल न किये गये हों तो वे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन व्यतिक्रमी से वसूल किये जा सकेंगे, मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

मान्यवर, किसी भी न्यायालय का निर्णय सार्थक व मान्य नहीं होगा यह विधेयक कह रहा है। मान्यवर, इस समय एक विधेयक तो महामहिम महोदय द्वारा वापस किया गया है। मान्यवर, हमने संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन जब कोई विधेयक राज्य की विधान सभा द्वारा या विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया है, जब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। मान्यवर, विधेयक को महामहिम द्वारा वापस किया गया और इस विषय पर मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि फिर से सरकार इस पर विचार करे। मान्यवर, अर्थात यह कोई न्यायालय का निर्णय हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, जब हम विधि बना लेंगे तो कोई निर्णय लागू नहीं होगा, इसलिए आग्रह करना चाहता हूँ कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए। मान्यवर, यह दुर्भाग्यपूर्ण है इसलिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक के बारे में मुझे इतना कहना है कि गरीब आदमी के ऊपर राजस्व की वसूली होती है और वह व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको जानकारी नहीं होती है और मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत वसूली भेज दी गई है डी०एम० के पास और वह डी०एम० वसूली करने के लिए बाध्य होगा। अगर उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा और उस व्यक्ति को न्याय मिलने की आशा नहीं है जिस को रिकवरी करने का आदेश डी०एम० को दिया है तो मेरा कहना है कि गरीब का शोषण होगा, वसूली से हानि होगी, तो मेरा निवेदन है कि ऐसे विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए ताकि एक अच्छा कानून मिले।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी० अभी लम्बित है और हाई कोर्ट ने यू०पी० स्टेट के विरुद्ध जजमेण्ट दिया था कि कोई प्राविधान नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी एक्ट पास करना पड़ा, अगर हम पास नहीं करते हैं तो सभी वसूली को विधि मानने के लिए इसका एक्ट बनाया जाना अति आवश्यक है, एक्ट नहीं लायेंगे तो विधि मान्य वह भी नहीं होगा जो वसूली होगी।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मान लीजिए किसी विभाग ने किसी व्यक्ति से गलत रिकवरी भेज दी। मान्यवर, किसी अमीर आदमी से वसूली नहीं होती है। मान्यवर, आपने गलत वसूली कर दी है और उसे न्याय नहीं मिलेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपने अवगत कराया कि एस०एल०पी० अभी लम्बित है। मान्यवर, मैं आपकी बात को ही पढ़ देता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विनिश्चय किया है, उच्चतम न्यायालय ने आवेदित अनुज्ञा को मंजूर करते समय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के प्रवर्तन पर रोक नहीं लगायी और उसके बाद जब स्टे उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ठीक है एस०एल०पी० लम्बित नहीं है। मान्यवर, वसूली की कोई व्यवस्था की जायेगी। ऋण होगा तो कोई न कोई व्यवस्था करनी होगी, यह विधि की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006

(उत्तरांचल विधेयक संख्या.......सन् 2006)

उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2006 है। — संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

   (3) यह 30 अगस्त, 1974 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (जिसे आगे यहाँ मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात्:– — अधिनियम संख्या 1 सन् 1890 की धारा 3 का संशोधन

"(3) उस भिन्न जिले का कलेक्टर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर उसमें कथित रकम को वसूली के खर्चे सहित वसूल करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा, मानो वह ऐसी भू-राजस्व की बकाया हो जो उसके अपने जिले में प्रोद्भूत हुआ हो।

(3-क) उपधारा (3) के अधीन वसूली के खर्चे ऐसे होंगे जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे किन्तु ऐसे खर्चों की रकम प्रमाण-पत्र में कथित रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

धारा 4 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में-

(क) उपधारा (1) में-

(एक) शब्द "उसका संदाय" के स्थान पर शब्द "उक्त धारा की उपधारा (3-क) में निर्दिष्ट खर्चे सहित उसका संदाय" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "ऐसी संदत्त रकम" के स्थान पर शब्द "प्रमाण-पत्र में कथित ऐसी संदत्त रकम" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्-

"(5) जहाँ उपधारा (2) के अधीन संस्थित किसी वाद को पूर्णतः या अंशतः डिक्री किया जाता है वहाँ न्यायालय यह भी निदेश देगा कि व्यतिक्रमी को, उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदत्त आनुपातिक खर्चे का प्रतिसंदाय किया जायेगा।"

धारा 5 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

"(3) कलेक्टर, उपधारा (1) के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर उसमें कथित रकम को वसूली के खर्चे सहित वसूल करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो प्रमाण-पत्र में कथित रकम उसे देय हो और ऐसा खर्चा भी भू-राजस्व की बकाया हो।

(3-क) उपधारा (3) के अधीन वसूली के खर्चे ऐसे होंगे जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे किन्तु ऐसे खर्चों की रकम प्रमाण-पत्र में कथित रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

5. मूल अधिनियम की धारा 5 में– धारा 5 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में शब्द "प्रमाण–पत्र में कथित रकम" के स्थान पर शब्द "प्रमाण–पत्र में कथित रकम वसूली के खर्चे सहित" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में शब्द "प्रमाण–पत्र में कथित रकम" के स्थान पर शब्द "प्रमाण–पत्र में कथित रकम या वसूली के खर्चे" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (4) में शब्द "प्रमाण–पत्र में कथित किसी रकम" के स्थान पर शब्द "प्रमाण–पत्र में कथित किसी रकम या वसूली के खर्चे" रख दिये जायेंगे।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:– धारा 10 का संशोधन

"10–जहाँ कोई कलेक्टर, किसी अन्य जिले के कलेक्टर से या किसी अन्य लोक अधिकारी से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से, इस अधिनियम के अधीन प्रमाण–पत्र प्राप्त करता है वहाँ उस प्रमाण–पत्र के आधार पर अपने द्वारा वसूल की गई राशि को, वसूली के खर्चे के रूप में वसूल की गयी राशि की कटौती करने के पश्चात् उस कलेक्टर या अन्य लोक अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।" कतिपय दशाओं में वसूलीय धनराशियों को प्रेषित करने का कलेक्टर का कर्तव्य

7. किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन किसी व्यतिक्रमी से मूल अधिनियम की धारा 3 या धारा 5 में निर्दिष्ट प्रमाण–पत्र में कथित रकम से अधिक वसूल किये गये वसूली के खर्चे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन विधिमान्य रूप से वसूल किये गये समझे जायेंगे और कोई भी व्यतिक्रमी ऐसे खर्च की वापसी का हकदार न होगा और यदि ऐसे खर्चे इस प्रकार वसूल न किये गये हों तो वे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन व्यतिक्रमी से वसूल किये जा सकेंगे, मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। विधिमान्यकरण और व्यावृत्तिक उपबन्ध

खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 7 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से उत्तरांचल पावर कारपोरेशन द्वारा वर्ष 2003 में डाटा एन्ट्री आपरेटर के 92 रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में मा० सदस्य श्री अजय भट्ट की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत तथा देहरादून महानगर के अन्तर्गत अजबपुर कलाँ स्थित माता मन्दिर मार्ग पर बिजली के तारों से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकृत की जाती हैं।

लम्बे समय से "उत्तरांचल" शब्द से पंजीकृत संस्थाओं का नवीनीकरण न होने से गैर सरकारी संस्थाओं को कार्य में हो रही परेशानी के सम्बन्ध में वन एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसाइटी एक्ट 1860 की धारा 3(क) के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि सोसाइटी के आगे राज्य या केन्द्र सरकार जैसे शब्दों का प्रयोग न हो, इससे गैर सरकारी संस्थाओं का राज्य सरकार का संगठन होना परिलक्षित होता है। दिनांक 09–11–2000 को राज्य स्थापना के बाद यह प्राविधान स्वतः लागू हो गया जिसके कारण आदेश संख्या 284/वि०अनु०–4/2005 दिनांक 26 जुलाई, 2005 द्वारा यह निर्देश जारी किये गये कि उत्तरांचल राज्य का नाम प्रयोग करने वाले संगठनों/संस्थाओं का बिना शासन की अनुमति के पंजीकरण एवं पूर्व से पंजीकृत संस्थाओं के नवीनीकरण न किये जायें। इस क्रम में अनेक प्रकरणों में शासन को सन्दर्भ प्राप्त हुए और जिन प्रकरणों में उत्तरांचल शब्द के दुरुपयोग की सम्भावना न हो या इस नाम के प्रयोग से

राज्य का संगठन होने का आभास न हो, ऐसी संस्थाओं को उत्तरांचल शब्द प्रयोग करने की अनुमति भी प्रदान की गयी है। उदाहरणार्थ– स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसियेशन में उत्तरांचल शब्द, प्रान्तीय पुलिस सेवा एसोसिएशन में उत्तरांचल शब्द, उत्तरांचल जन विकास समिति, ग्राम पलेटा, जिला उत्तरकाशी में उत्तरांचल शब्द तथा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण देहरादून में उत्तरांचल शब्द आदि।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब से यह एक्ट पास हुआ है इससे पूर्व पंजीकृत संस्थान हैं जैसे उत्तरांचल उत्थान परिषद्, क्या इन पर भी यह लागू होगा ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसमें यह प्राविधान है कि कुछ संस्थान ऐसे है जो उत्तरांचल के नाम से भ्रांति पैदा कर सकते है उसका दुरुपयोग हो सकता है। हमने वित्त विभाग को अधिकृत कर दिया है वह रिन्यूवल के समय अनुमति प्रदान कर सकता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या सरकार इस अधिनियम को जो कानून बनाया है उसमें संशोधित करेगी।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस तरह से करना उचित नहीं होगा यह उत्तर प्रदेश से लागू है। उत्तरांचल राज्य बनने के बाद 2001 में यह स्पष्टीकरण सबसे पहले जारी किया गया है कि उत्तरांचल के नाम का प्रयोग करने पर रोक लगा दी जाय। अनुमति लेकर नाम का प्रयोग किया जा सकता है। रिन्यूवल ड्यू होगा वह अनुमति प्राप्त कर लें।

उत्तरांचल राज्य के समस्त विद्यालयों में वर्ष 2004–2005 से सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम लागू होने से वाणिज्य कृषि तथा कला विषय वैकल्पिक बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का वैधानिक वक्तव्य।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

[उत्तरांचल राज्य के समस्त विद्यालयों ने वर्ष 2005–06 से सी0बी0एस0ई0 पैटर्न पर पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वाणिज्य, संगीत, पेंटिंग, गृह विज्ञान इत्यादि विषय अतिरिक्त विषय के रूप में संचालित हैं, जिन्हें छात्र/छात्राएं ऐच्छिक विषय के रूप में चयन कर सकेंगे। इन विषयों के शिक्षण हेतु अध्यापक कार्यरत हैं तथा शिक्षण कार्य पूर्ववत् संचालित हो रहा है। उत्तरांचल में सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर पर हो रही नवीन खोजों तथा विकास से सम्बन्धित आयामों को उत्तरांचल के विद्यार्थियों तक पहुँचाने के उद्देश्य से लागू किया गया है ताकि हमारे राज्य के विद्यार्थी प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अन्य स्तरों तक प्रतियोगिता कर सकें। पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित विषयों का शिक्षण किया जाएगा और तदनुसार आवश्यकता के अनुरूप अध्यापकों की भी व्यवस्था की जाएगी।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में प्रारम्भिक स्तर पर विज्ञान विषय के महत्व को देखते हुए विज्ञान वर्ग एवं विज्ञानेत्तर वर्ग, ये दो वर्ग निर्धारित किये गये हैं। वाणिज्य वर्ग के अभ्यर्थी विज्ञानेत्तर वर्ग के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करेंगे। विज्ञान वर्ग को प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विज्ञान विषय के महत्व के अनुसार ही पृथक वर्ग निर्धारित किया गया है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 09 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून
दिनांक : 03 अप्रैल, 2006

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी "क"

[देखिये तारांकित प्र0सं0 44 (पीछे पृष्ठ 47 पर) का उत्तर]

जिला हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्रामों की सूची (पीएमजीवाई/एमएनपी)

संलग्नक-1

वर्ष	ब्लॉक	ग्राम	विद्युतीकरण की तिथि
2003-04	बहादराबाद	सज्जनपुर पीली	23-07-2003
		रसूलपुर ग्रान्ट	31-07-2004
		जसपुर धमरिया	31-03-2004
		नया गाँव	31-03-2004
		गढ़ेला पुरी	22-05-2003
2004-05	बहादराबाद	गुज्जरवाली	07/2004
		रसूलपुर	07/2004
		मिठियापुर अहमदपुर	11/2004
		नसीवाला	02/2005
		पीली पड़ाव	02/2005
		हपला दयालवाला	02/2005
2005-06	बहादराबाद	लहसपुर	05/2005
		बत्सीवाली	05/2005

जिला हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों की सूची

क्रमांक	ब्लॉक	ग्राम
1.	लक्सर	खानपुर
		फतवा मुस्तकाम
		दरगाहपुर
		भीकमपुर
		सुल्तानपुर आदमपुर
2	बहादराबाद	श्यामपुर
		सज्जनपुर पीली *
		आकर कालन
		आकर खुर्द
		इब्राहिम पुर
		कस्तारपुर (अलीपुर)
		सराई
		बहादुर पुर जाट
		प्यारसा (कानपुर)
		लालढाग

* ब्लॉक बहादराबाद का ग्राम सज्जनपुर पीली पूर्व में विद्युतीकृत था। इसके छूटे ए तोकों के विद्युतीकरण हेतु इस ग्राम को राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में प्रस्तावित किया गया है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21 विधान सभा/420-31-8-2007-200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।